

00402

1374



भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का
प्रतिवेदन

मार्च 2006 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

संघ सरकार (सिविल)
लेन-देन लेखापरीक्षा टिप्पणियां
2007 की संख्या 2

©

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
2007

मूल्य

देश में : 65.00 रुपये
विदेश में : 5 अमरीकी डालर
(डाक खर्च/वायुमेल सहित)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का
प्रतिवेदन

मार्च 2006 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

संघ सरकार (सिविल)
लेन-देन लेखापरीक्षा टिप्पणियां
2007 की संख्या 2



विषय सूची

	पैराग्राफ	पृष्ठ
प्राक्कथन		v
विहंगावलोकन		vii
अध्याय I - कृषि मंत्रालय		
निष्फल व्यय	1.1	1-2
अध्याय II - संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय		
डाक विभाग		
संगठनात्मक ढांचा एवं वित्तीय प्रबंधन	2.1	3-6
स्रोत से आयकर की कटौती न करना	2.2	7-9
डाक प्रभारों की कम प्राप्ति	2.3	9-10
किसान विकास पत्रों पर ब्याज का अनियमित भुगतान	2.4	10-11
ब्याज का अनियमित भुगतान	2.5	12-13
ब्याज तथा कमीशन का अनियमित भुगतान	2.6	13-14
दूरसंचार विभाग		
पृष्ठभूमि	2.7	15
पेंशन संबंधी लाभों का अधिक भुगतान	2.8	16-17
पेंशन अंशदान के विलम्बित भुगतान पर ब्याज की अवसूली	2.9	17-18
पेंशन अंशदान की कम वसूली	2.10	18-19
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग		
प्रौद्योगिकी का अहस्तांतरण	2.11	19-20
अध्याय III - कम्पनी कार्य मंत्रालय		
लोक निधियों को सरकारी लेखों से बाहर रखना	3.1	21-22
अध्याय IV - संस्कृति मंत्रालय		
नियंत्रण की कमी के परिणामस्वरूप अधिक भुगतान	4.1	23-24
अविवेकपूर्ण कार्रवाई के कारण अपव्यय	4.2	24-27
अध्याय V - भू-विज्ञान मंत्रालय		
अपव्यय	5.1	28-29

	पैराग्राफ	पृष्ठ
अध्याय VI – पर्यावरण एवं वन मंत्रालय		
विद्युत खपत पर अधिक व्यय	6.1	30-31
अध्याय VII – विदेश मंत्रालय		
भवनों एवं आवासों को खरीदने, किराये पर लेने, मरम्मत तथा रखरखाव के लिए प्रतिमानकों का पालन न करना	7.1	32-36
आकस्मिकता प्रदत्त स्टाफ की नियुक्ति पर अप्राधिकृत व्यय	7.2	36-38
लेखन सामग्री की खरीद पर अप्राधिकृत व्यय	7.3	38
संतान शिक्षा भत्ता के अंतर्गत अग्राह्य मदों की अवसूली	7.4	39-40
सेल्यूलर फोन पर अनियमित व्यय	7.5	40-41
मू.व.क. वापसियों की गैर-वसूली	7.6	41-42
संयुक्त स्थानान्तरण अनुदान का अनियमित भुगतान	7.7	42-43
त्रुटिपूर्ण आन्तरिक नियंत्रण तंत्र	7.8	44-45
लेखापरीक्षा दृष्टांत पर वसूली	7.9	45-46
अनियमित व्यय	7.10	46-47
अध्याय VIII – वित्त मंत्रालय		
रिलीफ बांड 2002 को गलत रूप से निर्धारित सीमा से अधिक जारी करना	8.1	52-53
समय पूर्व निधियां जारी होने के परिणामस्वरूप उनका अप्रयोग	8.2	53-55
अध्याय IX – स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय		
त्रुटिपूर्ण आन्तरिक नियंत्रण के परिणामस्वरूप अपव्यय	9.1	56-58
किराये की कम वसूली	9.2	58-59
निष्फल व्यय	9.3	59-60
अध्याय X – गृह मंत्रालय		
भारत-तिब्बत सीमा पुलिस कार्मिकों का अनियमित संयोजन	10.1	61-62
गाड़ियों का अनियमित संयोजन	10.2	62-63
अध्याय XI – मानव संसाधन विकास मंत्रालय		
अपर्याप्त मानीटरिंग के कारण निधियों की निष्क्रियता/अव्ययित अनुदान की अवसूली	11.1	64-66

	पैराग्राफ	पृष्ठ
अनुदान का अधिक जारी किया जाना	11.2	66-68
मानीटरिंग की कमी के परिणामस्वरूप निधियों की निष्क्रियता	11.3	68-69
अध्याय XII – खान एवं खनिज मंत्रालय		
किराये के भुगतान पर परिहार्य व्यय	12.1	70-71
बकाया देय की अवसूली	12.2	71-72
अध्याय XIII – विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय		
सेवा कर की अवसूली	13.1	73-74
अध्याय XIV – जहाजरानी, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय		
पथकर के उद्ग्रहण में विलम्ब के कारण राजस्व हानि	14.1	75-76
हिन्दुस्तान पोत-कारखाना लिमिटेड (हि.पो.का.लि.) को 1.00 करोड़ रु. का अनुचित लाभ	14.2	76-77
अध्याय XV – पर्यटन मंत्रालय		
सहायता अनुदान को अधिक जारी करना	15.1	80-81
अविवेकपूर्ण रूप से निधियां जारी करना	15.2	81-82
अध्याय XVI – शहरी विकास मंत्रालय		
निष्फल व्यय	16.1	83-84
ठेकेदारों को जारी सामग्रियों पर बिक्री कर की अवसूली के कारण अतिरिक्त देयता	16.2	84-85
अध्याय XVII – संघ शासित क्षेत्र		
अण्डमान व निकोबार प्रशासन		
जहाजरानी सेवाएं निदेशालय		
दो यात्री जलयानों के निर्माण पर निष्फल व्यय	17.1	86-87
बकाया देय की अवसूली	17.2	87-89

	पैराग्राफ	पृष्ठ
अध्याय XVIII – सामान्य		
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही - संक्षिप्त स्थिति	18.1	90-91
विभागीय रूप से प्रबंधित सरकारी उपक्रम - प्रोफॉर्मा लेखाओं की स्थिति	18.2	91-92
बट्टेखाते डाली गई/छोड़ी गई हानियां तथा गैर-वसूली योग्य देय राशि	18.3	92
ड्राफ्ट पैराग्राफों के विषय में मंत्रालयों/विभागों के प्रत्युत्तर	18.4	93-94
परिशिष्ट		
I	मार्च 1995 को समाप्त हुए वर्ष के लिए अक्टूबर 2006 तक विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से प्रतीक्षित कार्रवाई टिप्पणियों की संक्षिप्त स्थिति	95
II	मार्च 2004 को समाप्त हुए वर्ष के लिए अक्टूबर 2006 तक विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से प्रतीक्षित कार्रवाई टिप्पणियों की संक्षिप्त स्थिति	96-101
III	विभागीय रूप से प्रबंधित सरकारी उपक्रमों के संक्षिप्त वित्तीय परिणाम	102-105
IV	2005-2006 के दौरान बट्टे खाते में डाली गई /छोड़ी गई हानियों तथा अवसूली योग्य राशियों का विवरण	106
V	ड्राफ्ट पैराग्राफों के विषय में मंत्रालयों/विभागों के प्रत्युत्तर	107

प्राक्कथन

मार्च 2006 को समाप्त हुए वर्ष के लिए यह प्रतिवेदन, संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए संघ सरकार के वित्त लेखाओं तथा विनियोग लेखाओं पर लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां 2007 के प्रतिवेदन संख्या 1 में शामिल की गई हैं। इस प्रतिवेदन में डाक एवं दूरसंचार विभाग तथा वैज्ञानिक विभागों को शामिल करते हुए सिविल मंत्रालयों के लेन-देनों की नमूना लेखापरीक्षा से उद्भूत मामले शामिल किए गए हैं।

इस प्रतिवेदन में उल्लिखित मामले उनमें से हैं, जो कि 2005-06 की अवधि की लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आए। पूर्णता की दृष्टि से, वे मामले, जो पूर्ववर्ती वर्षों से सम्बन्धित हैं परन्तु पिछले प्रतिवेदनों में शामिल नहीं किए गए थे, भी इसमें शामिल किए गए हैं। इसी प्रकार, कुछ मामलों में अप्रैल 2006 के बाद के लेन-देनों की लेखापरीक्षा के निष्कर्ष भी, जहां कहीं उपलब्ध और सुसंगत हैं, उल्लिखित किये गये हैं।



विहंगावलोकन

इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में डाक विभाग, दूरसंचार विभाग, वैज्ञानिक विभाग एवं उनके क्षेत्रीय कार्यालयों को सम्मिलित करते हुए सिविल मंत्रालयों में लेन-देन लेखापरीक्षा से प्रकट हुई लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां शामिल हैं। संघ सरकार के सिविल मंत्रालयों के लेखाओं (रेलवे को छोड़कर) पर लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां 2007 के प्रतिवेदन सं.1 में समाविष्ट की गई है।

कृषि मंत्रालय

निष्फल व्यय

राष्ट्रीय जूट एवं संबद्ध फाईबर प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, कोलकाता में अनुसंधान निष्कर्षों के दस्तावेजीकरण तथा अनुवर्ती कार्रवाई हेतु प्रभावी तंत्र के अभाव के कारण 21.08 लाख रु. का व्यय करने के उपरान्त भी धागे के विकास पर प्रौद्योगिकी एवं विकसित मशीन विकास के पांच वर्षों के उपरान्त भी वाणिज्यीकरण नहीं हुई थी।

पैराग्राफ 1.1

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

स्रोत पर आय कर की कटौती न करना

आन्ध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, केरल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा राजस्थान डाक परिमंडलों के अधीन डाकपालों द्वारा वित्त अधिनियम के सांविधिक प्रावधानों का अपालन, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के अन्तर्गत ब्याज के भुगतान पर 9.21 करोड़ रु. के आयकर की स्रोत से कटौती न होने का कारण बना।

पैराग्राफ 2.2

डाक प्रभारों की कम प्राप्ति

गुजरात डाक परिमण्डल के अधीन वरिष्ठ अधीक्षक, डाकघर, शहरी प्रभाग, अहमदाबाद तथा मुख्य महाडाकपाल, महाराष्ट्र डाक परिमण्डल ने अपात्र प्रकाशनों के लिये रियायती प्रशुल्क प्राधिकृत किया जिसका परिणाम 3.23 करोड़ रु. के डाक प्रभारों की कम वसूली में हुआ।

पैराग्राफ 2.3

किसान विकास पत्रों पर ब्याज का अनियमित भुगतान

कर्नाटक परिमंडल के अन्तर्गत गुलबर्ग मुख्य डाकघर के डाकपाल द्वारा 1.05 करोड़ रु. के मूल्य के किसान विकास पत्रों को नियमों के विपरीत जारी किये जाने का परिणाम 1.05 करोड़ रु. ब्याज के अनियमित भुगतान में हुआ।

पैराग्राफ 2.4

पेंशन लाभों का अधिक भुगतान

चेन्नई तथा हैदराबाद परिमंडलों के संचार लेखा नियंत्रकों ने भारत संचार निगम लिमिटेड के स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त कर्मचारियों की अर्हक सेवा में अनियमित रूप से भारिता (वेटेज) अनुमत की जिसका परिणाम 1.01 करोड़ रु. राशि के पेंशन लाभों के अधिक भुगतान में हुआ।

पैराग्राफ 2.8

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

प्रौद्योगिकी का अहस्तान्तरण

फैराइट रेडियो आवृत्ति अवशोषी टाइलों हेतु प्रौद्योगिकी के विकास पर 25 लाख रु. के सरकारी अनुदान सहित किया गया 60 लाख रु. का व्यय से वांछित लाभ प्राप्त नहीं हुआ क्योंकि वाणिज्यिक उपयोग हेतु प्रौद्योगिकी का हस्तान्तरण नहीं किया गया था।

पैराग्राफ 2.11

कम्पनी कार्य मंत्रालय

लोक निधियों को सरकारी लेखों से बाहर रखना

दिल्ली, कोलकाता, मुम्बई, बेंगलौर, इलाहाबाद और जयपुर के सरकारी परिसमापकों द्वारा परिसमाप्त कम्पनियों से प्राप्त शुल्कों को सरकारी लेखा में जमा करने में विफलता का परिणाम 6.13 करोड़ रु. की सरकारी राशि के 1 महीने से 5 वर्षों तक सरकारी लेखे से बाहर रहने तथा संघ सरकार की औसत उधार दर पर 66.53 लाख रु. के ब्याज की परिणामी हानि में हुआ।

पैराग्राफ 3.1

संस्कृति मंत्रालय

राष्ट्रीय संग्रहालय

नियंत्रण की कमी के परिणामस्वरूप अधिक व्यय

राष्ट्रीय संग्रहालय कला वस्तुओं को प्रदर्शनी स्थल पर ले जाने और वापिस लाने हेतु ललित कला संचालन प्रतिनिधि (ल.क.सं.प्र.) के साथ विशिष्ट समझौता करने में विफल रहा। ल.क.सं.प्र. द्वारा प्रस्तुत बिलों का समुचित सत्यापन नहीं हुआ जिसका परिणाम ल.क.सं.प्र. को 50.48 लाख रु. के अधिक भुगतान में हुआ जिसके लिए संग्रहालय ने अपने अधिकारियों तथा संचालन प्रतिनिधि के बीच सांठ-गांठ को जिम्मेदार ठहराया।

पैराग्राफ 4.1

अविवेकपूर्ण कार्रवाई के कारण अपव्यय

राष्ट्रीय संग्रहालय (रा.सं.) की, मार्च 2005 में ब्राजील में सम्पन्न होने वाली एक प्रस्तावित प्रदर्शनी हेतु समझौता ज्ञापन पत्र पर हस्ताक्षर से भी पहले मंत्रालय के अनुमोदन के बिना लकड़ी के संदूकों के निर्माण के लिए कार्य आदेश जारी करने तथा जून 2003 में राष्ट्रीय संग्रहालय की प्रस्तावित असम दीर्घा जो अन्ततः स्थापित नहीं हुई, में प्रदर्शन हेतु असम राज्य संग्रहालय से कलाकृतियों के परिवहन की अविवेकपूर्ण कार्रवाई का परिणाम 33.45 लाख रु. के अपव्यय में हुआ।

पैराग्राफ 4.2

विदेश मंत्रालय

भवनों एवं आवासों को खरीदने, किराये पर लेने, मरम्मत तथा रखरखाव के लिए प्रतिमानकों का पालन न करना

मिशनो/मंत्रालयों द्वारा विदेश में सम्पत्तियों को खरीदने, किराये पर लेने, मरम्मत तथा रखरखाव के लिए विद्यमान निर्देशों एवं प्रतिमानकों का पालन न करने का परिणाम 6.85 करोड़ रु. के अनियमित व्यय में हुआ।

पैराग्राफ 7.1

आकस्मिकता प्रदत्त स्टाफ की नियुक्ति पर अप्राधिकृत व्यय

विदेश में मिशनो और केन्द्रों ने स्थानीय स्तर भर्ती किए गए स्टाफ के रोजगार को अधिशासित करने वाले मंत्रालय के नियमों और विनियमों के उल्लंघन में आकस्मिकता प्रदत्त स्टाफ और स्थानीय स्टाफ की नियुक्ति को जारी रखा जिसका परिणाम 4.67 करोड़ रु. के अप्राधिकृत व्यय में हुआ।

पैराग्राफ 7.2

लेखन सामग्री की खरीद पर अप्राधिकृत व्यय

17 मिशनों द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियों पर लगाई गई सीमाओं का उल्लंघन करने का परिणाम लेखन सामग्री की खरीद पर 1.57 करोड़ रु. के अप्राधिकृत व्यय में हुआ।

पैराग्राफ 7.3

मू.व.क. वापसियों की गैर-वसूली

पांच मिशनों/केन्द्रों में मू.व.क. वापसियों के अपर्याप्त मानीटरिंग एवं अनुसरण के कारण 0.97 करोड़ रु. अवसूल रहे।

पैराग्राफ 7.6

त्रुटिपूर्ण आन्तरिक नियंत्रण तंत्र

दो मामलों में लेखापरीक्षा ने पाया कि मंत्रालय ने एक विद्युत शक्ति परियोजना के लिए भूटान शाही सरकार को 6.57 करोड़ रु. की अधिक सहायता जारी की तथा थिम्पू स्थित भारतीय मिशन को 90.98 करोड़ रु. का दोहरा प्रेषण किया। ये दृष्टांत मंत्रालय में त्रुटिपूर्ण आन्तरिक नियंत्रण को दर्शाते थे।

पैराग्राफ 7.8

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

समय पूर्व निधियां जारी होने के परिणामस्वरूप उनका अप्रयोग

संसद में बैंकिंग विनियमन (संशोधन) बिल के पारित होने की प्रत्याशा में मंत्रालय ने “सहकारी साख ढांचे का पुनर्जीवन” योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (रा.कृ.ग्रा.वि.बैं.) को 31 मार्च 2003 को 100 करोड़ रु. जारी किए। चूंकि बिल पास नहीं हुआ था इसलिए योजना आरम्भ नहीं की जा सकी जो निधियों के तीन वर्षों के लिए अप्रयुक्त रहने का कारण बना जिसका परिणाम 25.30 करोड़ रु. के ब्याज की परिणामी हानि में हुआ।

पैराग्राफ 8.2

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य विभाग

त्रुटिपूर्ण आन्तरिक नियंत्रण के परिणामस्वरूप अपव्यय

मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत अस्पताल सेवा परामर्श निगम (भारत) लिमिटेड (अ.से.प.नि.) द्वारा मच्छरदानियों की अधिप्राप्ति को मानीटर करने में मंत्रालय की विफलता का परिणाम निम्न कोटि की मच्छरदानियों के क्रय में हुआ। फलस्वरूप अब तक इस संबंध में हुआ 2.54 करोड़ रु. का खर्च अपव्यय रहा है। उसके अतिरिक्त 1.83 करोड़ रु. अ.से.प.नि. के पास पांच वर्षों के लिए अवरुद्ध रहे जिसका परिणाम संघ सरकार की उधार दर पर परिकलित 89.69 लाख रु के ब्याज की हानि में हुआ। इसके अतिरिक्त गोदाम, जिसमें निम्न कोटि की मच्छरदानियों का भण्डारण किया गया था, के किराये के भुगतान पर नवम्बर 2005 तक 51.68 लाख रु. का व्यय हो चुका है तथा 0.89 लाख रु. का आवर्ती मासिक व्यय जारी है। निम्न कोटि की मच्छरदानियों की अधिप्राप्ति के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के प्रति कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।

पैराग्राफ 9.1

गृह मंत्रालय

भारत-तिब्बत सीमा पुलिस

भारत-तिब्बत सीमा पुलिस कार्मिकों का अनियमित संयोजन

महानिदेशक, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस ने विभिन्न क्षेत्र रचनाओं/इकाइयों से हटाए गए कार्मिकों को बड़ी संख्या में अनियमित रूप से संयोजित किया तथा इस संबंध में गृह मंत्रालय के निर्देशों के उल्लंघन में तथा स्वीकृत संख्या से अधिक उन्हें निदेशालय में नियुक्त किया। स्वीकृत संख्या के अतिरिक्त संयोजित कार्मिकों के वेतन एवं भत्तों पर केवल 2003-2004 से 2004-2005 की अवधि में हुआ व्यय 5.19 करोड़ रु. था।

पैराग्राफ 10.1

सीमा सुरक्षा बल

गाड़ियों का अनियमित संयोजन

महानिदेशक, सीमा सुरक्षा बल (सी.सु.ब.) ने गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित पैमानों का उल्लंघन करते हुए विभिन्न क्षेत्र रचनाओं/इकाइयों से 158 गाड़ियां निकाली और उन्हें सी.सु.ब. मुख्यालय पर अपनी 100 प्राधिकृत गाड़ियों के अतिरिक्त लगाया। इन संयोजित गाड़ियों के पेट्रोल, तेल एवं स्नेहकों (पै.ते.स्ने.) तथा रखरखाव पर 2004 से

2006 की अवधि के दौरान हुआ 1.76 करोड़ रु. का व्यय अनियमित था। कार्रवाई ने क्षेत्र इकाइयों की प्रचालन प्रभावकारिता पर भी असर डाला।

पैराग्राफ 10.2

मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय

प्राथमिक शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

अपर्याप्त मानीटरिंग के कारण निधियों की निष्क्रियता/अव्ययित अनुदान की अवसूली

जिला शैक्षिक प्रशिक्षण संस्थानों के संस्थापन/उच्चीकरण हेतु महाराष्ट्र सरकार को जारी अनुदान के उपयोग की मानीटरिंग में मंत्रालय की विफलता का परिणाम नौ वर्षों के लिए 4.84 करोड़ रु. की निष्क्रियता में हुआ। इसके अतिरिक्त, यह दो से चार वर्षों तक की अवधि हेतु जिला साक्षरता समिति, करीमगंज, असम द्वारा रखे गए 20.41 लाख रु. के अव्ययित अनुदान की वसूली में भी असफल रहा।

पैराग्राफ 11.1

अनुदान का अधिक जारी किया जाना

मंत्रालय द्वारा अपर्याप्त संवीक्षा का परिणाम 'विद्यालयों में विज्ञान शिक्षा में सुधार' योजना के अंतर्गत कर्नाटक सरकार को 0.62 करोड़ रु. के अधिक अनुदान जारी करने में हुआ। इसके अतिरिक्त अनुदान के अप्रयुक्त भाग के प्रति वसूली हेतु शेष रही 2.01 करोड़ रु. की राशि में से लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर मंत्रालय ने 0.91 करोड़ रु. वसूल किये (अक्तूबर 2005)। 1.72 करोड़ रु. के शेष अभी वसूल किए जाने थे।

पैराग्राफ 11.2

मानीटरिंग की कमी के परिणामस्वरूप निधियों की निष्क्रियता

मंत्रालय 'विद्यालय में विज्ञान शिक्षा में सुधार' योजना के अन्तर्गत गुजरात सरकार को जारी 3.94 करोड़ रु. के अव्ययित अनुदान की वसूली तथा मानीटरिंग करने में विफल रहा जिसका परिणाम उसके लगभग चार वर्षों हेतु निष्क्रिय रहने में हुआ।

पैराग्राफ 11.3

खान एवं खनिज मंत्रालय

बकाया देय की अवसूली

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण नागपुर द्वारा बकाया देय की वसूली हेतु तंत्र विकसित करने में विफल रहा जिसका परिणाम 75.74 लाख रु. के राजस्व की हानि तथा 24.81 लाख रु. के ब्याज की परिणामी हानि में हुआ।

पैराग्राफ 12.2

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय

वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद

सेवा कर की अवसूली

राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान गोवा प्रायोजित परियोजनाओं के संबंध में ग्राहकों से सेवा कर वसूल करने में विफल रहा जिसका परिणाम 82.70 लाख रु. की हानि में हुआ क्योंकि इसे कर प्राधिकरणों को अपने स्वयं की निधियों से भुगतान करना पड़ा।

पैराग्राफ 13.1

जहाजरानी, सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय

पथकर के उद्ग्रहण में विलम्ब के कारण राजस्व हानि

कोई समय सीमा, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग खण्डों एवं पुलों को पूरा करने के उपरान्त पथकर उद्ग्रहण हेतु अधिसूचना जारी करनी चाहिए, विनिर्दिष्ट करने में मंत्रालय की विफलता का परिणाम अधिसूचना जारी करने में विलम्ब में हुआ जिसके कारण 85.90 करोड़ रु. की राजस्व हानि हुई।

पैराग्राफ 14.1

हिन्दुस्तान पोत-कारखाना लिमिटेड (हि.पो.का.लि.) को 1.00 करोड़ रु. का अनुचित लाभ

मंत्रालय ने अपने स्वयं के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए भुगतान की वास्तविक तिथि पर प्रचलित दर पर परिकलित करने के बजाय समझौते में दर्शाये गए चरण भुगतान की देय तिथियों पर प्रचलित विदेशी मुद्रा दर के आधार पर आर्थिक सहायता जारी की। वास्तविक भुगतानों की तिथियों पर अमरीकी डालर/रुपया विदेशी मुद्रा दरें देय तिथियों पर दरों से सामान्यतः कम थीं, जिसका परिणाम हि.पो.का.लि.को 1.00 करोड़ रु. के अनुचित लाभ में हुआ।

पैराग्राफ 14.2

पर्यटन मंत्रालय

सहायता अनुदान अधिक जारी करना

मंत्रालय ने पर्यटन केन्द्रों के विकास की योजना, जहां केन्द्रीय वित्तीय सहायता (के.वि.स.) केवल 2 करोड़ रु. तक हो सकती थी, के अन्तर्गत 5 करोड़ रु. की संस्वीकृति प्रदान की और आन्ध्र प्रदेश सरकार को 2.39 करोड़ रु. अधिक की राशि जारी की जिसकी न तो वसूली की गई और न ही सामयोजन किया गया था।

पैराग्राफ 15.1

अविवेकपूर्ण रूप से निधियां जारी करना

पर्यटन मंत्रालय द्वारा “यमुना नदी तट-वृहद हरित पर्यटन कॉम्प्लेक्स, दिल्ली” परियोजना हेतु भूमि की उपलब्धता को सुनिश्चित किए बिना निधियों का अविवेकपूर्ण रूप से जारी करने का परिणाम 31.31 लाख रु. के अपव्यय में हुआ।

पैराग्राफ 15.2

शहरी विकास मंत्रालय

ठेकेदारों को जारी सामग्रियों पर बिक्री कर की अवसूली के कारण अतिरिक्त देयता

केरल राज्य में तीन प्रभागों द्वारा कार्य के निष्पादन हेतु ठेकेदारों को जारी की गई विभागीय सामग्रियों पर बिक्री कर की अवसूली का परिणाम विभाग को 3.29 करोड़ रु. की अतिरिक्त देयता में हुआ।

पैराग्राफ 16.2

अध्याय I : कृषि मंत्रालय

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद

1.1 निष्फल व्यय

राष्ट्रीय जूट एवं संबद्ध फाईबर प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, कोलकाता में अनुसंधान निष्कर्षों के दस्तावेजीकरण तथा अनुवर्ती कार्रवाई हेतु प्रभावी तंत्र के अभाव के कारण रेटिन धागे के उत्पादन हेतु विकसित प्रौद्योगिकी एवं मशीन 21.08 लाख रु. का व्यय करने के उपरान्त भी पेटेंट नहीं हो पाई थी और विकास के पांच वर्षों के उपरान्त भी उनका वाणिज्यीकरण नहीं हुआ था।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (भा.कृ.अ.प.) की एक इकाई राष्ट्रीय जूट एवं संबद्ध फाईबर प्रौद्योगिकी संस्थान (रा.ज.स.फा.प्रौ.सं.), कोलकाता ने अप्रैल 1996 में 10.86 लाख रु. की लागत से चार वर्षों की अवधि के लिए “फर्नीचर मढ़ाई एवं साजसज्जा का भारी किस्म का कपड़ा बनाने के लिए एक फैंसी धागे-जूट आधारित रेटिन धागे का विकास” नामक परियोजना आरम्भ की। रेटिन धागे के विकासोपरांत यह परियोजना मार्च 2000 में सफलतापूर्वक संपन्न हुई थी। अनुसंधान सलाहकार समिति (अ.स.स.) की अनुसंशाओं पर रा.ज.स.फा.प्रौ.सं. ने अप्रैल 2000 में एक वर्ष की अवधि हेतु एक अन्य परियोजना नामतः “10-धुरी वाली जूट आधारित रेटिन धागा मशीन का विकास” आरम्भ की। दूसरी परियोजना का उद्देश्य जूट आधारित रेटिन धागे के बड़े पैमाने पर उत्पादन हेतु एक मशीन का रूपांकन, विकास एवं रचना करना तथा उसका वाणिज्यीकरण भी था। सितम्बर 2001 में 10.22 लाख रु. के व्यय से एक 10-धुरी वाली मशीन विकसित करने के पश्चात् परियोजना के संपन्न होने की घोषणा की गई थी। परियोजना की समापन रिपोर्ट के अनुसार, विकसित मशीन पर जूट आधारित फैंसी धागा तैयार करने के लिए चर प्रक्रियाओं का मानकीकरण किए जाने की आवश्यकता थी। इसी बीच जनवरी 2002 में रा.ज.स.फा.प्रौ.सं. ने विकसित की गई प्रौद्योगिकी को पेटेंट कराने की प्रक्रिया और इसके मानकीकरण का कार्य प्रारंभ कर दिया।

लेखापरीक्षा जांच से उजागर हुआ कि पेटेंट कराने और मानकीकरण का कार्य अक्टूबर 2006 तक भी नहीं किया गया था। संबंधित परियोजना अन्वेषक की मृत्यु के उपरान्त नवम्बर 2002 के पश्चात् पेटेंट कराने और मानकीकरण कार्य की प्रक्रिया में प्रगति नहीं हुई। वाणिज्यीकरण हेतु विकसित प्रौद्योगिकी के मानकीकरण और पेटेंट कराने के प्रति रा.ज.स.फा.प्रौ.सं. के प्रयास सफल नहीं हुए क्योंकि यह दिवंगत भूतल परियोजना अन्वेषक द्वारा अनुरक्षित दस्तावेजों को खोजने में विफल रही। इस प्रकार, 21.08 लाख रु. की लागत से विकसित प्रौद्योगिकी का वाणिज्यीकरण और पेटेंट नहीं हो सका।

यह चूक रा.ज.स.फा.प्रौ.सं. में अनुसंधान परियोजनाओं की अनुवर्ती कार्रवाई और दस्तावेजीकरण हेतु एक प्रभावी संस्थानिक तंत्र की अनुपस्थिति को दर्शाती है। ये अनुसंधान कागजात एवं दस्तावेज संस्थान की बौद्धिक सम्पत्तियां हैं और जब भी भा.कृ.अ.प./मानीटरिंग अभिकरणों के अधीन कार्यरत वैज्ञानिकों को इनकी आवश्यकता हो पुनरीक्षण और परामर्श हेतु उपलब्ध होनी चाहिए।

भा.कृ.अ.प. ने स्वीकार किया (सितम्बर 2006 में) कि पेटेंट प्रक्रिया दिवंगत परियोजना अन्वेषक द्वारा प्रारम्भ की गई थी लेकिन इस विषय पर आगे का पत्राचार खोजनीय नहीं था। भा.कृ.अ.प. ने आगे बताया कि संस्थान में, अनुसंधान निष्कर्षों पर अनुवर्ती कार्रवाई हेतु प्रौद्योगिकी हस्तान्तरण प्रभाग के माध्यम से एक प्रभावी तंत्र मौजूद है। भा.कृ.अ.स. उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि सितम्बर 2001 में विकसित की गई प्रौद्योगिकी के पेटेंट और वाणिज्यीकरण हेतु 2006 तक सिर्फ इसी वजह से कोई कार्रवाई नहीं हुई थी क्योंकि परियोजना अन्वेषक की मृत्यु हो चुकी थी।

अतः परियोजना पर 21.08 लाख रु. की कुल लागत से रैटिन धागे के उत्पादन हेतु विकसित प्रौद्योगिकी एवं मशीन अनुसंधान निष्कर्षों की अनुवर्ती कार्रवाई और दस्तावेजीकरण के त्रुटिपूर्ण तंत्र के कारण पांच वर्षों बाद भी बिना पेटेंट हुए रही।

अध्याय II : संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

डाक विभाग

2.1 संगठनात्मक ढांचा एवं वित्तीय प्रबंधन

2.1.1 विभाग के कार्य

डाक विभाग (डा.वि.) के मूल कार्यों में डाक का संग्रहण, प्रसंस्करण, संचरण एवं वितरण, टिकटों एवं डाक लेखन सामग्री की बिक्री, पंजीकृत, बीमाकृत एवं मूल्य देय वस्तुएं, धन आदेश, पार्सल इत्यादि बुक करना सम्मिलित हैं।

डा.वि. अन्य मंत्रालयों एवं विभागों के प्रतिनिधि के रूप में कुछ एजेन्सी कार्य जैसे कि डाक बचत बैंक एवं अन्य लघु बचत योजनाएं, डाक जीवन बीमा, लोक भविष्य निधि योजना, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, विदेशों से डाक द्वारा भेजी गई वस्तुओं पर सीमा शुल्क का संग्रहण, तार की बुकिंग, संचरण एवं वितरण, सैन्य एवं रेलवे पेंशन भोगियों को पेंशन का संवितरण, कोयला खान कर्मियों एवं कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अंतर्गत आने वाले उद्योगों के कर्मचारियों के परिवारों को परिवार पेंशन का संवितरण भी करता है।

2.1.2 संगठनात्मक ढांचा

विभाग का प्रबंधन डाक सेवा बोर्ड में निहित है। बोर्ड का मुखिया एक अध्यक्ष होता है और इसके तीन सदस्य होते हैं, जो प्रचालन, अवसंरचना और वित्तीय सेवाएं तथा कार्मिक विभाग संभालते हैं। अध्यक्ष, डा.वि. में भारत सरकार का सचिव भी होता है। बोर्ड, डाक महानिदेशालय में उप महानिदेशकों की सहायता से देश भर में डाक सेवाओं के प्रबंधन को निदेशित और पर्यवेक्षित करता है। डा.वि. में व्यवसाय विकास निदेशालय (व्य.वि.नि.) की स्थापना 1996 में मूल्य वर्धित सेवाओं, जैसे:- द्रुत डाक, द्रुत डाक पासपोर्ट सेवा, कारोबारी डाक, एक्सप्रेस पार्सल डाक, मीडिया डाक, मेघदूत डाक पत्र, बधाई डाक, डेटा पत्र, ई-बिल डाक एवं ई-डाक, का केन्द्रीकृत प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए हुई थी।

विभाग के पास 22 डाक परिमंडल हैं, जोकि 37 क्षेत्रीय कार्यालयों में बंटे हुए हैं तथा 441 डाक मंडलों एवं 69 रेलवे डाक सेवा मंडलों को नियंत्रित करते हैं। सशस्त्र सेनाओं की डाक संचार जरूरतों को पूरा करने के लिए एक आधार परिमंडल भी है। 31 मार्च

2007 का प्रतिवेदन संख्या 2

2006 को विभाग के कर्मचारियों की संख्या 5.20 लाख थी जिसमें 2.34 लाख विभागीय कर्मचारी तथा 2.86 लाख बहिर्विभागीय कर्मचारी थे।

2.1.3 डाक यातायात

विभाग द्वारा, अपंजीकृत डाक के प्रक्षेपित यातायात की गणना गत दो वर्ष के आकलित यातायात के आधार पर की गई थी। आकलित ट्रेफिक अर्जित राजस्व पर आधारित था। विभाग द्वारा प्रदत्त जानकारी के अनुसार वर्ष 2003-2006 के दौरान परम्परागत सेवाओं, जैसे पोस्टकार्ड, पत्र कार्ड (अन्तर्देशीय), धन आदेश, बीमा आदि की बिक्री के संदर्भ में प्रक्षेपित और आकलित यातायात का परिमाण निम्न सारणी के अनुसार था:

(क) अपंजीकृत डाक

(लाखों में संख्या)

क्र सं	मद	2003-2004		2004-2005		2005-2006	
		प्रक्षेपित	आकलित*	प्रक्षेपित	आकलित*	प्रक्षेपित	आकलित*
1.	पोस्टकार्ड	2551.11	2706.81	2989.32	2451.07	2574.96	1991.54
2.	मुद्रित पोस्टकार्ड	468.49	816.08	901.26	830.04	871.99	879.19
3.	पत्र कार्ड (अन्तर्देशीय)	3274.69	2809.93	3103.20	2610.35	2742.31	2333.79
4.	समाचार-पत्र						
	एक	592.50	811.83	896.56	860.86	904.37	968.68
	बंडल	359.16	82.84	91.49	150.82	158.44	162.81
5.	पार्सल	534.10	409.92	452.70	408.75	429.41	397.08
6.	पत्र	4869.23	3720.97	4109.33	7678.81	8066.95	7100.01
7.	पुस्तक पैकेट	669.17	747.50	825.52	753.82	791.92	875.17
8.	मुद्रित पुस्तकें	253.85	175.76	194.10	353.02	370.86	469.27
9.	अन्य आवधिक पत्रिकाएँ	260.41	199.95	220.82	269.27	282.88	372.37
10.	पावती	311.48	637.45	703.98	741.07	778.53	716.83

* राजस्व संग्रहण पर आधारित

(ख) पंजीकृत डाक तथा अन्य

(लाखों में संख्या)

क्र सं.	मद	2003-2004		2004-2005		2005-2006	
11.	धन आदेश (ध.आ.)	1165.01	1136.55	1100.45	1222.91	1197.13	1229.31
12.	बीमा	97.12	95.59	105.57	90.86	95.45	86.65
13.	मूल्य देय पत्र एवं पार्सल	189.87	100.43	110.91	93.72	98.46	80.44
14.	पंजीकृत पत्र एवं पार्सल	2233.00	1923.61	2124.38	1900.84	1996.92	1844.32

2.1.4 राजस्व प्राप्ति तथा राजस्व व्यय**(क) राजस्व प्राप्ति**

सेवाओं के चार प्रमुख राजस्व उपार्जन वर्ग अर्थात्, डाक टिकटों की बिक्री, ध.आ./भा.पो.आ. में कमीशन, नकद डाक टिकटें व अन्य प्राप्तियों ने वर्ष 2005-06 के दौरान अन्य डाक प्रशासन से हानि के 43.97 लाख रु. समायोजित करने के पश्चात् 5023.49 करोड़ रु. अर्जित किए तथा पिछले वर्ष की तुलना में 13.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। वर्ष 2004-05 तथा 2005-06 के लिए डाक राजस्व के स्रोतवार अंश को नीचे तालिका में दर्शाया गया है:

(करोड़ रूपयों में)

सेवा का नाम	2004-05	2005-06	पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि/कमी की प्रतिशतता
टिकटों को बिक्री	798.66	758.56	-5.0
नकद डाक टिकटें	1297.11	1469.99	13.3
ध.आ./भा.डा.आ. पर कमीशन	2216.84	2696.38	21.6
अन्य प्राप्तियां	124.75	142.53	14.3
अन्य डाक प्रशासनों से निवल प्राप्तियां	-5.51	-43.97	698
सकल राजस्व	4431.85	5023.49	13.35

(ख) राजस्व व्यय

2005-06 के दौरान राजस्व व्यय 6429.15 करोड़ रु. था जो पिछले वर्ष की तुलना में 7.8 प्रतिशत की वृद्धि प्रदर्शित करता था। 2004-05 तथा 2005-06 के दौरान वेतन एवं भत्ते, डाक परिवहन, डाक टिकटों, पोस्ट कार्ड व डाक लेखन सामग्री के मुद्रण पर राजस्व व्यय नीचे की तालिका में दर्शाया गया है:

राजस्व व्यय

(करोड़ रूपयों में)

श्रेणी	2004-05	2005-06	पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि/कमी की प्रतिशतता
(क) वेतन एवं भत्ते, आकस्मिक व्यय, अंतस्मि सहायता आदि	4390.40	4712.71	7.3

श्रेणी	2004-05	2005-06	पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि/कमी की प्रतिशतता
(ख) पेंशन प्रभार	1208.03	1351.02	11.8
(ग) डाक टिकट, पोस्टकार्ड आदि	21.35	16.43	-23.0
(घ) लेखन सामग्री व फार्म मुद्रण आदि	33.88	33.96	0.2
(च) डाक परिवहन (रेलवे तथा वायु डाक वाहकों को भुगतान)	123.64	126.31	2.2
(छ) अन्य व्यय	187.24	188.72	0.8
योग	5964.54	6429.15	7.8

1209.88 करोड़ रु. के निवल राजस्व बजटीय समर्थन का परिकलन 2005-06 में 6429.15 करोड़ रु. के सकल राजस्व व्यय में से 5023.49 करोड़ रु. की प्राप्तियां तथा 195.78 करोड़ रु. की वसूलियों की कटौती करने के बाद किया गया था। घाटा मुख्यतः डाक टिकटों की बिक्री के अंतर्गत राजस्व प्राप्ति में कमी तथा वेतन एवं भत्ते तथा पेंशन प्रभार शीर्ष के अंतर्गत व्यय में वृद्धि के कारण था। 2005-06 के दौरान डाक सेवाओं पर विभाग की निवल हानि 1209.88 करोड़ रु. थी जो 2004-05 के दौरान उठाई गई निवल हानि की तुलना में 171.96 करोड़ रु. (12.44 प्रतिशत) कम थी। 2001-2006 की अवधि के दौरान विभाग को स्पीड पोस्ट सहित अन्य डाक सेवाओं पर हुई निवल हानियों की तुलनात्मक स्थिति इस प्रकार थी:



2004-05 की तुलना में डाक सेवाओं पर निवल हानि में 12.44 प्रतिशत तक तथा 2001-02 की तुलना में 14.28 प्रतिशत तक कमी हुई।

2.2 स्रोत से आयकर की कटौती न करना

आन्ध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, केरल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा राजस्थान डाक परिमंडलों के अधीन डाकपालों द्वारा वित्त अधिनियम के सांविधिक प्रावधानों का अपालन वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के अन्तर्गत ब्याज के भुगतान पर 9.21 करोड़ रु. के आयकर की स्रोत से कटौती न होने का कारण बना।

वरिष्ठ नागरिक बचत योजना नियमावली, 2004 वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (व.ना.ब.यो.) की स्थापना के साथ अगस्त 2004 से प्रभाव में आई। इन नियमों ने अनुबंध किया था कि खाता खोलने की तारीख को जो व्यक्ति, 60 वर्ष या उससे अधिक का हो अथवा जो 55 वर्ष या उससे अधिक लेकिन 60 वर्ष से कम का हो तथा स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना के अन्तर्गत सेवा-निवृत्ति हो चुका हो, अपनी सेवा-निवृत्ति की तारीख से तीन माह के भीतर व.ना.ब.यो. के अन्तर्गत खाता खोल सकता था। इन नियमों के अधीन जमा की तारीख से जमा धन पर 9 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से तिमाही देय ब्याज लगना था। इसमें यह भी परिकल्पित किया गया था कि योजना हेतु आवेदन करते समय, आवेदक अपना स्थायी खाता संख्या अथवा इस आशय का स्व-घोषणा पत्र प्रस्तुत करेगा कि इस आवेदन द्वारा खोले जाने वाले खाते से ब्याज की आय सहित सभी स्रोतों से उसकी आय, छूट की सीमा से अधिक नहीं थी। आयकर अधिनियम, 1962 की धारा 194 अ में यह विशेष रूप से उल्लेख करता था कि एक वित्तीय वर्ष में यदि ब्याज 5,000 रु. से अधिक है तो ब्याज रूप में आय के स्रोत से कर की कटौती (स्रो.क.क.) वसूली योग्य थी। इसके अतिरिक्त डा.वि. ने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को अनुदेश जारी किये (जनवरी 2004) कि निदेशालय से पृथक निर्देशों की प्रतीक्षा किये बिना वित्तीय अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार स्रो.क.क. तथा अधिभार की कटौती की जानी चाहिए।

मार्च 2006 तथा जून 2006 में, वित्त मंत्रालय ने इन प्रावधानों को दुहराया और बताया कि आयकर अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत फार्म 15-एच प्रस्तुत करने की सुविधा 65 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु के व्यक्तियों एवं भारत में निवासियों को उपलब्ध थी, जबकि 65 वर्ष से कम आयु के जमाकर्ता द्वारा फार्म 15-जी में घोषणा इस अतिरिक्त शर्त के साथ प्रस्तुत की जा सकती थी कि वित्तीय वर्ष के दौरान जमा किए गए/अदा किए गए या सम्भावित जमा किये जाने/अदा किये जाने वाले ब्याज की समग्र राशि उस अधिकतम राशि¹ से अधिक नहीं थी, जो कर के लिए प्रभार्य नहीं थी। जून 2006 में, वित्त मंत्रालय ने पुनः स्पष्ट किया कि व.ना.ब.यो. को क्रियाशील होने के पहले दिन से स्रो.क.क. लागू होगा।

¹ पुरुष कर दाता प्रकरण में एक लाख रु तथा स्त्री के प्रकरण में 1.35 लाख रु

2007 का प्रतिवेदन संख्या 2

जून से अक्टूबर 2006 के दौरान आन्ध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, केरल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा राजस्थान डाक परिमंडलों के अधीन डाकघरों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से उजागर हुआ कि उन जमाकर्ताओं से वर्ष 2004-05, 2005-06 तथा 2006-07 के दौरान व.ना.ब.यो. के अन्तर्गत किए गए ब्याज के भुगतान से निर्धारित दरों से स्रो.क.क. की कटौती नहीं की गई थी, जिन्होंने फार्म 15-एच या फार्म 15-जी प्रस्तुत नहीं किए थे और जिनके प्रकरण में एक वित्तीय वर्ष में ब्याज 5,000 रु. से अधिक हो गया था। इसका परिणाम इन डाकघरों में स्रोत से 9.21 करोड़ रु. के आयकर व शैक्षिक कर की कटौती नहीं होने में हुआ। जिनका विवरण नीचे तालिका में दर्शाया गया है:

(करोड़ रुपयों में)

क्र. सं.	परिमंडल का नाम	वसूली योग्य स्रो.क.क.
1	आन्ध्र प्रदेश	1.91
2	छत्तीसगढ़	0.25
3	दिल्ली	3.31
4	केरल	1.83
5	मध्य प्रदेश	0.54
6	उड़ीसा	0.32
7	राजस्थान	1.05
योग		9.21

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर आन्ध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, केरल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा राजस्थान डाक परिमंडलों के अधीन डाकघरों ने उत्तर दिया कि स्रो.क.क. से संबंधित अनुदेशों की प्राप्ति में विलम्ब के कारण आयकर एवं शैक्षिक कर काटे नहीं गए थे तथा मामलों के सत्यापन के बाद आगे की कार्रवाई की जायेगी। उप-महानिदेशक (वित्तीय सेवाएं), डा.वि. ने बताया (अक्टूबर 2006) कि जब योजना शुरू की गई थी तो निवेशकों को ब्याज के भुगतान पर स्रोत से आयकर की कटौती का कोई उल्लेख नहीं किया जा रहा था तथा जून 2006 में जब वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि व.ना.ब.यो. के शुरू करने के पहले दिन से ही स्रो.क.क. लागू होगा, उसमें पूर्वव्यापी प्रभाव से स्रो.क.क. संग्रह करने के विषय में कोई उल्लेख नहीं था।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि जनवरी 2004 में डा.वि. द्वारा सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को पहले से ही निर्देश जारी कर दिये गये थे कि निदेशालय से पृथक निर्देश की प्रतीक्षा किये बिना वित्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार स्रो.क.क. तथा अधिभार की कटौती की जानी चाहिए।

सारांश में, डाक घर वित्त अधिनियम के सांविधिक प्रावधानों का पालन करने में विफल रहे तथा स्रोत से 9.21 करोड़ रु. के आयकर व शैक्षिक कर की कटौती किये बिना जमाकर्ताओं को ब्याज अनुमत किया।

मामला अगस्त 2006 में मंत्रालय को प्रेषित किया गया; उनका उत्तर दिसम्बर 2006 तक प्रतीक्षित था।

2.3 डाक प्रभारों की कम प्राप्ति

गुजरात डाक परिमंडल के अधीन वरिष्ठ अधीक्षक, डाकघर, शहरी प्रभाग, अहमदाबाद तथा मुख्य महाडाकपाल, महाराष्ट्र डाक परिमंडल ने अपात्र प्रकाशनों के लिये रियायती प्रशुल्क प्राधिकृत किया जिसका परिणाम 3.23 करोड़ रु. के डाक प्रभारों की कम वसूली में हुआ।

भारतीय डाकघर (भा.डा.घ.) अधिनियम, 1898 अनुबन्ध करता है कि किसी प्रकाशन को समाचार पत्र इस शर्त पर माना जाएगा कि उनके पास ग्राहकों की एक वास्तविक सूची है। भा.डा.घ. नियमावली, 1933 में यह भी अनुबन्ध था कि पंजीकृत होने के लिए इच्छित समाचारपत्र के कम से कम 50 वास्तविक ग्राहक होने चाहिए जो अपना शुल्क का अदा कर चुके हों। ऐसे सभी पंजीकृत समाचारपत्रों को अपने पंजीकरण के प्रचलन दौरान रियायती प्रशुल्क पर प्रेषण का अधिकार होगा। यदि कोई समाचारपत्र उपर्युक्त विशिष्ट शर्तों में से किसी का अनुपालन करने में विफल रहता है तो इसे उच्चतर दरों एवं बुक पैकेट में निहित आवधिक पत्रिकाओं पर लागू शर्तों के अधीन प्रेषित किया जाएगा। डा.वि. ने अक्टूबर 2002 में एक स्पष्टीकरण जारी किया कि बिना कीमत वाली पत्रिकाओं को बुक पैकेट के रूप में वर्गीकृत किया जायेगा और 1 जून 2002 से 'बुक, पैटर्न व नमूना पैकेट' के लिये निर्धारित दरों पर प्रेषित किया जायेगा। दिसम्बर 2002 में डा.वि. ने इन प्रावधानों को दोहराया था।

दिसम्बर 2005 तथा जनवरी 2006 में क्रमशः गुजरात परिमंडल के अधीन वरिष्ठ अधीक्षक, डाकघर (व.अ.डा.घ.), शहरी प्रभाग, अहमदाबाद तथा मुख्य महाडाकपाल, महाराष्ट्र परिमंडल की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि नगर डाक परिमंडल, अहमदाबाद में 65 समाचार पत्र तथा मुम्बई क्षेत्र में 27 समाचार पत्र वास्तविक ग्राहक होने की शर्त पूर्ण नहीं करते थे। ये समाचार पत्र ग्राहकों को निशुल्क वितरित किए गए तथा इन्हें बुक पैकेटों में निहित आवधिक पत्रिकाओं (1 जून 2002 से पहले) के लिये लागू दरों तथा 1 जून 2002 से 'बुक, पैटर्न व नमूना पैकेट' के लिये निर्धारित प्रशुल्कों के बजाय रियायती प्रशुल्कों पर पंजीकृत तथा प्रेषित किये जा रहे थे। इसका परिणाम जनवरी 2002 से सितम्बर 2005 की अवधि के लिये इन समाचार पत्रों के संबंध में 3.23 करोड़ रु. के डाक प्रभारों की कम वसूली में हुआ।

लेखापरीक्षा में इसे इंगित किये जाने पर व.अ.डा.घ., अहमदाबाद ने तथ्यों तथा आंकड़ों की पुष्टि करते हुए उत्तर दिया (जून 2006) कि 65 प्रकाशनों में से 35 प्रकाशनों का डाक पंजीकरण 7 सितम्बर 2005 को रद्द कर दिया गया था जबकि शेष 30 प्रकाशनों का जारी था क्योंकि उन्होंने अपनी कीमत निर्धारित कर दी थी तथा वास्तविक ग्राहकों से संबंधित शर्तें पूरी कर दी थी। वसूली के संबंध में व.अ.डा.घ. ने बताया कि डा.वि. द्वारा दिसम्बर 2002 में जारी निर्देश जून 2003 में जारी दूसरे निर्देशों द्वारा रोक दिए गए थे। मुख्य महा डाकपाल, महाराष्ट्र डाक परिमंडल ने उत्तर दिया (जून 2006) कि समाचार पत्र की कीमत के संबंध में भा.डा.घ. अधिनियम के अनुच्छेद 9 या भा.डा.घ. नियमावली, 1933 के नियम 30 में विशेष रूप से कुछ नहीं कहा गया था।

उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि भा.डा.घ. अधिनियम, 1898 तथा भा.डा.घ. नियमावली, 1933 में समाचारपत्रों के पंजीकरण के लिये सांविधिक प्रावधान पहले से ही थे। दिसम्बर 2002 में जारी किए गए निर्देश, जून 2003 के पत्र द्वारा विधि मंत्रालय से स्पष्टीकरण मांगने के लिए अस्थाई रूप से रोक दिए गए थे। डा.वि. ने विधि मंत्रालय से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के उपरान्त स्पष्ट किया (दिसम्बर 2003) कि वास्तविक ग्राहक वह था जिसने समाचार पत्र पर प्रकाशित कीमत अदा की और कोई कीमत न दर्शाने वाला तथा लोगों को मुफ्त भेजा जाने वाला कोई प्रकाशन था, भारतीय डाकघर अधिनियम तथा नियमावली के अंतर्गत रियायत प्राप्त नहीं कर सकता था। डा.वि. द्वारा दिसम्बर 2003 में स्पष्टीकरण जारी करने के बावजूद, डाकघरों ने सितम्बर 2005 तक अपात्र प्रकाशनों को रियायती शुल्क की स्वीकृति जारी रखी।

मामला जून 2006 में मंत्रालय को प्रेषित किया था; उनका उत्तर दिसम्बर 2006 तक प्रतीक्षित था।

2.4 किसान विकास पत्रों पर ब्याज का अनियमित भुगतान

कर्नाटक परिमंडल के अन्तर्गत गुलबर्ग मुख्य डाकघर के डाकपाल द्वारा 1.05 करोड़ रु. के मूल्य के किसान विकास पत्रों को नियमों के विपरीत जारी किए जाने का परिणाम 1.05 करोड़ रु. ब्याज के अनियमित भुगतान में हुआ।

नियमावली¹ अनुबन्ध करती है कि 1 अप्रैल 1995 को अथवा उसके बाद किसान विकास पत्रों (कि.वि.प.) को किसी व्यक्ति अथवा तत्समय लागू किसी विधि के अन्तर्गत पंजीकृत न्यास द्वारा क्रय किया जा सकता था। अपंजीकृत न्यास, कि.वि.प. में निवेश करने हेतु प्राधिकृत नहीं हैं। इन नियमों में परिकल्पित है कि डाकघर बचत प्रमाणपत्र नियमावली, 1960 के प्रावधानों को ऐसे किसी भी मामलों के संबंध में लागू किया जाएगा जिसके लिए कि.नि.प. नियमावली में कोई प्रावधान नहीं किया गया है तथा

¹ डाकघर किसान विकास पत्र नियमावली, 1988

डाकघर इन नियमों के उल्लंघन में क्रय किए गए किसी भी कि.वि.प. को इस तथ्य के पता लगते ही धारक द्वारा भुनाये जाने को सुनिश्चित करेंगे एवं इस प्रकार के धारण पर किसी ब्याज का भुगतान नहीं किया जायेगा।

नवम्बर 2004 में, कर्नाटक डाक परिमंडल के अन्तर्गत डाकपाल, मुख्य डाकघर, गुलबर्ग के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से उजागर हुआ कि डाकपाल ने नियमों के उल्लंघन में 1995-1996 तथा 1996-1997 के दौरान अपंजीकृत न्यासों उदाहरणार्थ वैश्य बैंक, महाराष्ट्र बैंक तथा मैसूर स्टेट बैंक के नाम पर 1.05 करोड़ रु. मूल्य के कि.वि.प. जारी किये। बाद में, ब्याज सहित 2.10 करोड़ रु. का भुगतान करके 2001-02 तथा 2002-03 के दौरान इन कि.वि.प. का उन्मोचन कर दिया गया था। इसका परिणाम 1.05 करोड़ रु. के ब्याज के अनियमित भुगतान में हुआ जैसा कि नीचे विवरण दिया गया है:

(करोड़ रुपयों में)

निवेशक का नाम	निवेशित राशि	अनियमित भुगतान की अदायगी
वैश्य बैंक	0.50	0.50
महाराष्ट्र बैंक	0.45	0.45
मैसूर स्टेट बैंक	0.10	0.10
	योग	1.05

लेखापरीक्षा में इसे इंगित किये जाने पर, उप-महानिदेशक (वित्तीय सेवा), डाक विभाग ने उत्तर दिया (अगस्त 2006) कि चूंकि ये न्यास अनुसूचित बैंक से सम्बन्धित थे, इसकी बराबरी निजी व्यक्तियों द्वारा निर्मित किसी अन्य संस्था के साथ नहीं की जा सकती थी, जिसके लिए न्यास के प्रयोजन की वास्तविकता सुनिश्चित करने हेतु किसी नियम के अन्तर्गत पंजीकरण का औचित्य हो।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि कि.वि.प. नियमावली के प्रावधानों के अन्तर्गत कि.वि.प. केवल व्यक्ति तथा पंजीकृत न्यास द्वारा ही क्रय किये जा सकते थे।

उपर्युक्त तथ्य केवल पात्र निवेशकों को ही कि.वि.प. का जारी किया जाना सुनिश्चित करने के लिए नियमों की अनुपालना की अतिसतर्कतापूर्ण जांच से डाकघर की असफलता की ओर इशारा करते थे।

मामला जुलाई 2006 में मंत्रालय को प्रेषित किया गया; उनका उत्तर दिसम्बर 2006 तक प्रतीक्षित था।

2.5 ब्याज का अनियमित भुगतान

लोक भविष्य निधि (लो.भ.नि.) योजना के संबंध में अंशदान की निर्धारित आर्थिक सीमा सुनिश्चित करने में कर्नाटक डाक परिमंडल के अधीन एक मुख्य डाकघर, राजस्थान डाक परिमंडल के अधीन पांच मुख्य डाकघरों, एक प्रधान डाकघर, उड़ीसा डाक परिमंडल के अधीन दो मुख्य डाकघरों और दो प्रधान डाकघरों की विफलता का परिणाम 73.11 लाख रु. के अनियमित भुगतान में हुआ।

विभागीय नियमावली व्यवस्था करती है कि कोई व्यक्ति स्वयं अथवा जिसका वह संरक्षक है, ऐसे अवयस्क/अवयस्कों, की तरफ से लो.भ.नि. योजना में इस शर्त पर अंशदान कर सकता है कि एक वर्ष के दौरान सभी खातों में किये गये जमा 60,000 रु. (15 नवम्बर 2002 से 70,000 रु.) से अधिक नहीं होने चाहिए। सीमा से अधिक अंशदान अनियमित अंशदान माना जाना चाहिए तथा अभिदाता को बिना किसी ब्याज के वापस किया जाना चाहिए। खाता खोलने के समय अभिदाता से उसके आवेदन पत्र के साथ इस आशय का घोषणा-पत्र प्राप्त किया जाना अपेक्षित है कि वह कोई दूसरा लो.भ.नि. लेखा अनुरक्षित नहीं कर रहा/रही है और वह लो.भ.नि. योजना, 1968 के प्रावधानों तथा समय-समय पर जारी संशोधनों का पालन करने के लिए सहमत है।

जनवरी 2006 में, कर्नाटक डाक परिमंडल के अन्तर्गत वरिष्ठ डाकपाल, मैसूर मुख्य डाकघर के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से प्रकट हुआ कि मु.डा.घ. ने एक अभिदाता को खाता खोलते समय आवश्यक घोषणा-पत्र प्राप्त किये बिना तीन लो.भ.नि. खाते, एक स्वयं की तरफ से तथा दो अपनी अवयस्क बेटियों की तरफ से, खोलने की अनुमति दी। अप्रैल 2005 के अंत में उसने निर्धारित सीमा से अधिक जमा के रूप में 21.20 लाख रु. भी स्वीकार किये थे, जिसका परिणाम 29.80 लाख रु. के ब्याज के अधिक भुगतान में हुआ। आगे यह भी देखा गया था कि 14 अवसरों पर उसी दिन सभी तीन खातों में अधिक राशि जमा की गई थी लेकिन वरिष्ठ डाकपाल अधिक जमा का पता लगाने में विफल रहा। अंततः सितम्बर/अक्तूबर 2005 के दौरान इन खातों को भारतीय स्टेट बैंक, मैसूर को स्थानान्तरित कर दिया गया था।

इसी प्रकार, अप्रैल 2006 में राजस्थान डाक परिमंडल के अधीन एक प्रधान डाकघर (प्र.डा.घ.) तथा पांच मु.डा.घ. तथा जुलाई-अगस्त 2006 के दौरान उड़ीसा डाक परिमंडल के अधीन दो प्र.डा.घ. तथा दो मु.डा.घ. के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से प्रकट हुआ कि उन्होंने 140 खातों में निर्धारित सीमा से अधिक जमा स्वीकार किया था तथा 1997-98 से 2005-06 की अवधि के दौरान ब्याज के रूप में 43.31 लाख रु. की राशि अनियमित रूप से जमा की।

मई 2004 में, डा.वि. ने इस प्रकार के मामलों का जल्दी पता लगाने के लिए आदेश जारी किये थे तथा निर्देश भी दिये थे कि दोषी डाक कर्मचारी जो इस प्रकार की अनियमितताओं का पता लगाने में विफल थे, के प्रति कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। इसके बावजूद, ये डाकघर अधिक जमा का पता लगाने में विफल रहे तथा उन पर 73.11 लाख रु. की राशि का ब्याज अनुमत किया।

लेखापरीक्षा में इसे इंगित किये जाने पर, मुख्य महा डाकपाल, कर्नाटक परिमंडल ने तथ्यों तथा आंकड़ों को स्वीकार किया और बताया (जून 2006) कि अधिक ब्याज की राशि की वसूली के लिए मामला चलाया जा रहा है। राजस्थान डाक परिमंडल के अधीन डाकपालों ने उत्तर दिया कि भुगतान किए गए अधिक ब्याज को वसूला जायेगा जबकि उड़ीसा परिमंडल के अधीन डाकपालों ने उत्तर दिया कि इस प्रकार के मामलों में वसूली/नियमित करने के लिए कार्रवाई की जायेगी। तथापि, अक्टूबर 2006 तक वसूली के विवरण प्रतीक्षित थे।

मामला जून 2006 में मंत्रालय को प्रेषित किया गया; उनका उत्तर दिसम्बर 2006 तक प्रतीक्षित था।

2.6 ब्याज तथा कमीशन का अनियमित भुगतान

केरल, महाराष्ट्र तथा उत्तर प्रदेश में डाकघर, मासिक आय योजना के अन्तर्गत खोले गए खातों में निर्धारित वित्तीय सीमा सुनिश्चित करने में विफल रहे। इसका परिणाम ब्याज तथा कमीशन की 29.59 लाख रु. की राशि के अनियमित भुगतान में हुआ।

विभागीय नियमावली में प्रावधान है कि एक वैयक्तिक जमाकर्ता मासिक आय योजना (मा.आ.यो.) में एक से अधिक खाते खोल सकता है बशर्ते कि सभी खातों में जमा राशि मिला कर एकल खाते में 2.04 लाख रु. (1 फरवरी 2000 से 3 लाख रु.) और संयुक्त खाते में 4.08 लाख रु. (1 फरवरी 2000 से 6 लाख रु.) से अधिक नहीं होनी चाहिए।

नियमावली में यह भी प्रावधान है कि मा.आ.यो. खाते में निवेश के समय जमाकर्ता को इस आशय की घोषणा करनी चाहिये कि सभी खातों में उसका/उसकी जमा राशि निर्धारित सीमा से अधिक नहीं है। निर्धारित सीमा से अधिक जमा राशि के मामले में, मुख्य डाकपाल को अधिक अनियमित जमा राशि जमाकर्ता को बिना ब्याज के वापिस कर देना चाहिए। यदि अधिक जमा पर ब्याज का कोई भुगतान हुआ है तो उसकी कटौती करनी चाहिये और अधिक निवेश पर एजेन्ट को अदा किए गए कमीशन के भुगतान की वसूली की जानी चाहिये। तथापि, जनवरी 2002 में, वित्त मंत्रालय ने निर्णय किया था कि अधिक जमा पर डाक घर बचत बैंक दर से जमा की तिथि से, जिस महीने अभिदाता ने मा.आ.यो.खाते से अधिक जमा निकाली हो उसके पहले वाली महीने की समाप्ति तक के ब्याज के साथ लौटा दी जाये। डाक विभाग ने अप्रैल 2002 में सभी परिमंडलों को इस निर्णय के बारे में बता दिया।

31 मार्च 2003 तथा 31 मार्च 2005 को समाप्त वर्ष के लिये भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन, संघ सरकार, लेन-देन लेखापरीक्षा टिप्पणियों के पैराग्राफ क्रमशः 1.12 तथा 3.5 में नियमों के उल्लंघन में, मा.आ.यो. में विभिन्न डाकघरों में खोले गये खातों पर ब्याज के अनियमित भुगतान के उदाहरणों का उल्लेख किया गया था।

दिसम्बर 2004 में प्रस्तुत की गई कार्रवाई टिप्पणी में मंत्रालय ने स्वीकार किया कि योजना के नियमों का पालन करने में डाक स्टाफ विफल रहा और बताया कि परिमंडलों के सभी अध्यक्षों को सितम्बर 2004 में यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये थे कि डाकघरों का निरीक्षण का कार्य करने वाले अधिकारियों को डाकघरों में खोले गये खातों की प्रारम्भिक जांच प्रारम्भ करने का कार्य भी दे दिया गया था। इसके अतिरिक्त यह भी सुनिश्चित किया गया कि भविष्य में इस प्रकार की अनियमितताओं की आवृत्ति से बचने के लिये सभी डाकघर खातों से संबंधित नियम कार्यालय में उपलब्ध हों।

अप्रैल 2004 से जून 2006 के दौरान केरल, महाराष्ट्र तथा उत्तर प्रदेश डाक परिमंडलों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से उजागर हुआ कि केरल डाक परिमंडल के अंतर्गत 14 मुख्य डाक घर (मु.डा.घ.), महाराष्ट्र डाक परिमंडल के अंतर्गत एक मु.डा.घ. तथा दो उप डाक घर (उ.डा.घ.) तथा उत्तर प्रदेश परिमंडल के अंतर्गत चार मु.डा.घ. एवं तीन उ.डा.घ. ने कमीशन के भुगतान के अतिरिक्त मा.आ.यो. में निर्धारित सीमा से अधिक जमाओं पर ब्याज बचत बैंक दर के बजाय मा.आ.यो. दरों पर अदा किया था। इसका परिणाम 29.59 लाख रू. के अनियमित भुगतान में हुआ।

लेखापरीक्षा द्वारा यह इंगित किये जाने पर, जहां महाराष्ट्र परिमंडल के अंतर्गत डाकपाल, मु.डा.घ., कल्याण शहर ने लेखापरीक्षा दावे को स्वीकार करते हुए उत्तर दिया कि 1.68 लाख रू. की राशि वसूल की जा चुकी थी तथा शेष राशि की जांच तथा वसूली की जाएगी वहीं केरल तथा उत्तर प्रदेश परिमंडल के अंतर्गत डाकपालों ने उत्तर दिया कि अधिक अदा किए गए कमीशन तथा ब्याज की जांच तथा वसूली की जाएगी। ये दृष्टांत स्पष्टतः दर्शाते हैं कि डा.वि. अनियमित प्रक्रिया को रोकने में सफल नहीं हो सका था तथा उनके आदेशों की अनुपालना की मानीटरिंग हेतु तंत्र कमजोर रहा।

मामला अगस्त 2006 में मंत्रालय को प्रेषित किया गया था; उनका उत्तर दिसम्बर 2006 तक प्रतीक्षित था।

दूरसंचार विभाग

2.7 पृष्ठभूमि

1948 में, भारत में प्रति सौ की जनसंख्या पर लगभग 0.02 दूरभाष घनत्व के साथ केवल 0.1 मिलियन दूरभाष संयोजन थे। तब से 31 मार्च 2006 तक भारत में दूरभाष संयोजनों की संख्या प्रति सौ की जनसंख्या पर 12.74 दूरभाष घनत्व के साथ 142.09 मिलियन तक बढ़ गई है।

2.7.1 प्रशासन एवं नियंत्रण

अप्रैल 1989 में स्थापित किए गए दूरसंचार आयोग के पास दूरसंचार के विभिन्न पहलुओं का समाधान करने के लिए भारत सरकार की प्रशासकीय व वित्तीय शक्तियां हैं। दूरसंचार आयोग व दूरसंचार विभाग (दू.वि.) दूरसंचार सेवाओं तथा अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों में काम कर रहे सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सा.क्षे.उ.) के नीति निर्धारण निष्पादन की समीक्षा, लाइसेंस प्रदान करने, बेतार स्पैक्ट्रम प्रबंधन व प्रशासन हेतु उत्तरदायी हैं।

2.7.2 दूरसंचार क्षेत्र में विकास

भारत में दूरसंचार सेवायें प्रदान करने में निजी आपरेटरों के प्रवेश की प्रक्रिया 1992 में आरम्भ हुई। मूलभूत दूरभाष सेवाओं का निजीकरण करने के अलावा सरकार ने यह भी निर्णय लिया कि कई मूल्य युक्त सेवाएं जैसे सैल्यूलर मोबाइल दूरभाष, रेडियो पेजिंग, ई-मेल, इंटरनेट, क्लोज्ड यूजर ग्रुप (सी.यू.जी) तथा ब्रॉड बैंड सेवा आदि निजी आपरेटरों के माध्यम से शुरू की जाएं, जो वर्तमान मूलभूत दूरभाष सेवाओं के मूल्य में वृद्धि करती हैं। दूरभाषों की कुल संख्या में निजी क्षेत्र की भागीदारी मार्च 2005 को 47 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2006 को 57 प्रतिशत हो गई।

निजी सेवा सम्भरकों की प्रविष्टि से एक स्वतंत्र विनियमन की अपरिहार्य आवश्यकता भी हो गई। इसलिये, संसद के अधिनियम जिसे भा.दू.वि.प्रा. अधिनियम, 1997 कहा जाता है, के द्वारा 20 फरवरी 1997 को दूरसंचार सेवाओं के विनियमन के लिए भारत के दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भा.दू.वि.प्रा.) की स्थापना की गई थी। 24 जनवरी 2000 को भा.दू.वि.प्रा. अधिनियम में एक अध्यादेश द्वारा संशोधन कर दिया गया था, जिसमें दूरसंचार विवाद निपटान व अपीलीय ट्रिब्यूनल (दू.वि.नि.अ.ट्रि.) स्थापित करके भा.दू.वि.प्रा. से अधिनिर्णय विवाद कार्यों को अलग कर दिया गया था। दू.वि.नि.ट्रि. लाइसेंस देने वाले और लाइसेंस धारक के बीच, दो अथवा अधिक सेवा सम्भरकों के बीच तथा एक सेवा सम्भरक व उपभोक्ताओं के समूह के बीच किसी विवाद का अधिनिर्णय करता है। यह भा.दू.वि.प्रा. के किसी निर्देश, निर्णय अथवा आदेश के प्रति अपील की सुनवाई व निपटान भी करता है।

2.8 पेंशन संबंधी लाभों का अधिक भुगतान

चेन्नई तथा हैदराबाद परिमंडलों के संचार लेखा नियंत्रकों ने भारत संचार निगम लिमिटेड के स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त कर्मचारियों की अर्हक सेवा में अनियमित रूप से भारिता (वेटेज) अनुमत की जिसका परिणाम 1.01 करोड़ रु. के पेंशन लाभों के अधिक भुगतान में हुआ।

दिसम्बर 2002 में शुरू की गई के.सि.से. (पेंशन) नियमावली के नियम 37 क (11क) ने अनुबद्ध किया कि सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सा.क्षे.उ.)/स्वायत्त निकाय में आमेलित स्थायी सरकारी कर्मचारी अथवा अस्थायी/अर्द्ध स्थायी सरकारी कर्मचारी जो सा.क्षे.उ./स्वायत्त निकाय में, आमेलित होने के बाद स्थायी किए गए थे, सरकारी और सा.क्षे.उ./स्वायत्त निकाय दोनों की मिलाकर 10 वर्षों की अर्हक सेवा को पूरा करने के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के पात्र होंगे और वह संयुक्त अर्हक सेवा के आधार पर यथानुपात पेंशन संबंधी लाभों का पात्र हो जायेगा/जायेगी।

भारत संचार निगम लिमिटेड (भा.सं.नि.लि.) ने भी दूरसंचार विभाग (दू.वि.) से परामर्श करके अक्टूबर 2004 में स्पष्ट किया कि उप-नियम 37क (11क) के शुरू होने के साथ ही के.सि.से. (पेंशन) नियमावली के नियम 48 एवं 48क के प्रावधान भा.सं.नि.लि. में आमेलित सरकारी कर्मचारियों के लिये लागू नहीं थे तथा परिणामतः ऐसे कर्मचारियों के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के सभी अनुरोध उक्त नियमावली के उप-नियम 37क (11क) के प्रावधानों के अधीन आच्छादित किए जाने थे। यह भी स्पष्ट किया गया था कि नियम 48 ख के अन्तर्गत उपलब्ध अतिरिक्त अर्हक सेवा लाभ के.सि.से. (पेंशन) नियमावली के उप-नियम 37 क (11क) के अन्तर्गत सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उपलब्ध नहीं थे।

जनवरी से मार्च 2006 तथा जुलाई 2006 के दौरान क्रमशः संचार लेखा नियंत्रक, चेन्नई तथा हैदराबाद के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से प्रकट हुआ कि 157 भा.सं.नि.लि. कर्मचारी, जो के.सि.से. (पेंशन) नियमावली के नियम 37 क (11क) के अन्तर्गत जनवरी 2003 से जुलाई 2004 के दौरान स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त हुए थे, को अर्हक सेवा में अनियमित रूप से भारिता अनुमत की गई थी। इसका परिणाम दिसम्बर 2005 तक 1.01 करोड़ रु. के पेंशन संबंधी लाभों के अधिक भुगतान में हुआ।

मंत्रालय ने अपने उत्तर में बताया (सितम्बर 2006) कि के.सि.से. (पेंशन) नियमावली के नियम 37 क के उप-नियम 11 क का प्रावधान नियम 48 क एवं 48 ख के अन्तर्गत बीस वर्षों की अर्हक सेवा को पूरा करने पर भा.सं.नि.लि. में समाविष्ट दू.वि./दू.से.वि./दू.प्र.वि. के पूर्व कर्मचारियों पर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति मांगने पर रोक नहीं लगाता। इसके अतिरिक्त वर्ग ख संवर्ग में समावेश प्रक्रिया को 19 जुलाई 2004 तक बढ़ा दिया गया था और इस बीच की अवधि के दौरान कई स्वैच्छिक सेवानिवृत्तियां हुई थीं। इन परिस्थितियों में के.सि.से. (पेंशन) नियमावली के नियम 37(क) के अन्तर्गत स्वैच्छिक

सेवानिवृत्ति के मामलों पर विचार करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। उन्होंने यह भी बताया कि भा.सं.नि.लि. में समाविष्ट पूर्व दू.वि./दू.से.वि./दू.प्र.वि. के पूर्व कर्मचारियों को पेंशन लाभों के संबंध में विशेष छूट दी गई थी जो सरकार द्वारा भुगतान योग्य होने थे, और ऐसे कर्मचारियों के संबंध में, सा.क्षे.उ./स्वायत्त निकायों में समाविष्ट अन्य केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के विपरीत मू.नि. 116 व 117 के अनुसार भा.सं.नि.लि. से पेंशन अंशदान भी प्राप्त किया जा रहा था।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि उप-नियम 37क (11क) शुरू करने के बाद, नियम 48ख जो अर्हक सेवा में भारिता अनुमत करता था, भा.सं.नि.लि. में समाविष्ट सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू नहीं होना था। ये अनुदेश भा.सं.नि.लि. द्वारा दू.वि. के साथ परामर्श करके जारी किए गए थे।

2.9 पेंशन अंशदान के विलम्बित भुगतान पर ब्याज की अवसूली

असम, झारखंड और मध्य प्रदेश परिमंडलों के संचार लेखा नियंत्रक, भारत संचार निगम लिमिटेड से पेंशन अंशदान के विलम्बित भुगतानों पर 99 लाख रु. के ब्याज के दावे करने में असफल रहे।

दूरसंचार विभाग (दू.वि.) ने जुलाई 2002 में अनुदेश जारी किए थे, जिनके अनुसार भारत संचार निगम लिमिटेड (भा.सं.नि.लि.) द्वारा दू.वि. के वे कर्मचारी, जिनको या तो प्रतिनियुक्ति पर माना गया था या भा.सं.नि.लि. में स्थायी तौर पर आमेलित कर लिया गया था, के बारे में संचार लेखा नियंत्रक (सं.ले.नि.) को पेंशन अंशदान देय था। अनुपूरक नियम 307(1) के अनुसार पेंशन अंशदान का वार्षिक भुगतान प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त से 15 दिनों के अन्दर किया जाना अपेक्षित था। उपर्युक्त अवधि में भुगतान न किये जाने के मामले में, उपर्युक्त अवधि की समाप्ति की तारीख से अंशदान का अंतिम रूप से भुगतान किये जाने की तिथि तक अदेय अंशदान पर दो पैसा प्रति दिन प्रति 100 रु. की दर से ब्याज देय था।

लो.ले.सं. ने 22 अप्रैल 1997 को संसद में प्रस्तुत अपने नौवें प्रतिवेदन (ग्यारहवीं लोक सभा) में इच्छा प्रकट की है कि मार्च 1996 को समाप्त हो रहे वर्ष से आगे के लिए संसद में प्रस्तुत करने से चार माह के भीतर लेखापरीक्षा द्वारा जांच की गई कार्रवाई टिप्पणी उन्हें प्रस्तुत की जाए। इस तथ्य के बावजूद कि 31 मार्च 2004 तथा 31 मार्च 2005 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के संघ सरकार, लेन-देन लेखापरीक्षा टिप्पणियों के इस विषय पर दो पैसा अर्थात् पैसा 4.11 तथा पैसा 3.8 लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल थे, मंत्रालय ने 2006 के प्रतिवेदन सं. 2 के पैसा 3.8 के संबंध में कार्रवाई टिप्पणी नवम्बर 2006 में प्रस्तुत की और स्वीकार किया कि डा.वि. पेंशन अंशदान के विलम्बित भुगतान पर ब्याज के दावे करने में असफल रहा था और बताया कि ब्याज भुगतानों के निपटान के लिए भा.सं.नि.लि. से कहा जा रहा था।

तथापि मंत्रालय द्वारा 2005 की प्रतिवेदन सं. 2 के पैरा 4.11 के संबंध में कोई कार्रवाई टिप्पणी प्रस्तुत नहीं की गई थी।

जुलाई 2003 से मई 2006 के दौरान असम, झारखंड तथा मध्य प्रदेश परिमंडलों के सं.ले.नि. के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से प्रकट हुआ कि वर्ष 2001-02, 2002-03, 2003-04 व 2004-05 में भा.सं.नि.लि. में समाविष्ट कर्मचारियों के पेंशन अंशदान भा.सं.नि.लि. से 27 से 836 दिनों के विलम्ब के पश्चात प्राप्त हुए थे। भुगतान में देरियों के कारण 99 लाख रु. का ब्याज बनता था, जिसकी वसूली करने में सं.ले.नि. विफल रहा।

लेखापरीक्षा में इसे इंगित करने पर उप-महानिदेशक (लेखा), दू.वि. ने बताया (अगस्त 2006) कि ब्याज की वसूली का मामला भा.सं.नि.लि. प्राधिकरणों के साथ उठाया जा चुका था। तथापि वसूली के ब्यौरे अक्टूबर 2006 तक प्रतीक्षित थे जबकि झारखंड तथा असम परिमंडल के सं.ले.नि. ने क्रमशः नवम्बर 2005 तथा मई 2006 में उत्तर दिया कि मामला भा.सं.नि.लि. प्राधिकरणों के साथ उठाया जाएगा।

मामला जून 2006 में मंत्रालय को प्रेषित किया गया था; उनका उत्तर दिसम्बर 2006 तक प्रतीक्षित था।

2.10 पेंशन अंशदान की कम वसूली

बिहार, झारखंड, राजस्थान तथा उड़ीसा परिमंडलों के लेखानियंत्रक, पेंशन अंशदान के भुगतान से संबंधित आदेश लागू करने में विफल रहे जिसका परिणाम भारत संचार निगम लिमिटेड से 57.53 लाख रु. के पेंशन अंशदान की कम वसूली में हुआ।

फरवरी 1984 के वित्त मंत्रालय का आदेश अनुबद्ध करता था कि सरकारी कर्मचारी के संबंध में भुगतान योग्य पेंशन अंशदान मू.नि. 9(21)(क)(i) में की गई परिभाषा के अनुसार अधिकतम वेतन के आधार पर होना चाहिए तथा इसमें विदेश सेवा पर जाते समय धारित पद के ऐसे अधिकतम अथवा जिस पर वह विदेश सेवा के दौरान प्रोफार्मा पदोन्नति प्राप्त करेगा पर उपयुक्त मंहगाई वेतन तथा अंतरिम राहत को जोड़ा जायेगा। इसके अतिरिक्त, वित्त मंत्रालय ने मार्च 2004 में निर्णय किया कि मौजूदा मूल वेतन के 50 प्रतिशत के बराबर मंहगाई भत्ता मूल वेतन के साथ मिला दिया जायेगा और मंहगाई वेतन के रूप में स्पष्ट रूप से अलग दर्शाया जायेगा, जिसकी अप्रैल 2004 से भत्ते, स्थानान्तरण अनुदान, सेवानिवृत्ति लाभों आदि के भुगतान जैसे प्रयोजनों हेतु गणना की जाएगी। तदनुसार, भारत संचार निगम लिमिटेड (भा.सं.नि.लि.) को दू.वि. को दू.वि. से भा.सं.नि.लि. में समप्रतिनियुक्तों के संबंध में संबंधित ले.नि. को मंहगाई वेतन सहित अधिकतम वेतन के आधार पर पेंशन अंशदान का भुगतान करना अपेक्षित था।

अक्टूबर 2005 से अक्टूबर 2006 के दौरान बिहार, झारखंड, राजस्थान तथा उड़ीसा परिमंडलों के लेखानियंत्रकों (ले.नि.) के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से प्रकट हुआ कि इन ले.नि. ने अप्रैल 2004 से आहरित अधिकतम वेतन के साथ 50 प्रतिशत मंहगाई भत्ते के विलय का ध्यान रखे बिना दू.वि. से भा.सं.नि.लि. में समप्रतिनियुक्तों के संबंध में भा.सं.नि.लि. से पेंशन अंशदान प्राप्त करना जारी रखा। इसका परिणाम अप्रैल 2004 से जुलाई 2006 से 57.53 लाख रु. के पेंशन अंशदान की कम वसूली में हुआ, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

(लाख रूपयों में)

क्रम संख्या	परिमंडल का नाम	राशि
1.	बिहार	25.02
2.	झारखंड	4.91
3.	राजस्थान	18.86
4.	उड़ीसा	8.74
	योग	57.33

मंत्रालय ने अपने उत्तर में बताया (अक्टूबर 2006) कि सम्बन्धित ले.नि. द्वारा झारखंड तथा राजस्थान परिमंडलों के संबंध में भा.सं.नि.लि. प्राधिकारियों से 23.45 लाख रु. वसूल कर लिए गए हैं और ले.नि. बिहार द्वारा पेंशन अंशदान का कम भुगतान वसूल करने के लिए मामला भा.सं.नि.लि. प्राधिकारियों के साथ उठाया गया है जबकि ले.नि. उड़ीसा परिमंडल ने अगस्त व सितम्बर 2006 में भा.सं.नि.लि. प्राधिकारियों से 0.61 लाख रु. वसूल कर लिए हैं।

सारांश है कि 57.53 लाख रु. में से 24.06 लाख रु. की वसूली कर ली गई थी, जबकि 33.47 लाख रु. के संबंध में वसूली विवरण दिसम्बर 2006 तक प्रतीक्षित थे।

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

2.11 प्रौद्योगिकी का अहस्तांतरण

फैराइट रेडियो आवृत्ति अवशोषी टाइलों हेतु प्रौद्योगिकी के विकास पर 25 लाख रु. के सरकारी अनुदान सहित किया गया 60 लाख रु. का व्यय से वांछित लाभ प्राप्त नहीं हुआ क्योंकि वाणिज्यिक उपयोग हेतु प्रौद्योगिकी का हस्तान्तरण नहीं किया गया था।

फैराइट रेडियो आवृत्ति (रे.आ.) अवशोषी टाइलों का उपयोग विद्युत-चुंबकीय संगतता (वि.चु.सं.) मापन हेतु उपयोग किए जाने वाले परिरक्षित अतिध्वनिक कक्ष हेतु अवशोषक अस्तर पदार्थ के रूप में किया जाता है। भविष्य की आवश्यकता और इसके आयात के

अधिक मूल्य को देखते हुए इलैक्ट्रॉनिक्स विभाग, जो अब सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (सू.प्रौ.वि.) है, ने 'विद्युतचंबकीय अन्तरा-पृष्ठ (वि.चुं.अ.) मापन हेतु फ़ैर्राइट अवशोषी टाइलों के प्रौद्योगिकी विकास' पर एक सहयोगी परियोजना मंजूर की (दिसम्बर 1998)। यह परियोजना सू.प्रौ.वि. के अधीन एक स्वायत्त संस्था अनुप्रयुक्त माइक्रोवेव इलैक्ट्रॉनिक्स अभियान्त्रिकी एवं अनुसंधान समिति (अ.मा.इ.अ.स.) द्वारा एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी लिमिटेड (ए.सी.कं.) के सहयोग से आगे बढ़ाई जानी थी तथा 30 जून 2000 तक पूरी की जानी लक्षित थी।

परियोजना का उद्देश्य समस्त वि.चुं.सं. एंटीना और माइक्रोवेव मापन हेतु प्रयोग में लाये जाने वाले परिरक्षित कक्षों हेतु फ़ैर्राइट रे.आ. अवशोषी टाइलों हेतु देशी प्रौद्योगिकी का विकास करना था। परियोजना के प्रस्ताव में परिकल्पना की गयी थी कि इस प्रकार की सामग्रियों का उत्पादक होने के कारण ए.सी.कं., विकसित उत्पाद को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण द्वारा वाणिज्यिक उत्पाद में परिवर्तित कर देगी। परियोजना की कुल लागत 48.80 लाख रु. थी जो सू.प्रौ.वि. (25 लाख रु.) अ.मा.इ.अ.स. (11.90 लाख रु.) और ए.सी.कं. (11.90 लाख रु.) के बीच बांटी जानी थी।

लेखापरीक्षा जांच से उजागर हुआ कि परियोजना 60 लाख रु. की कुल लागत से अप्रैल 2002 में पूरी हुई थी। परियोजना समीक्षा और संचालन समूह ने सितम्बर 2002 में आयोजित अपनी बैठक में सुझाव दिया कि अ.मा.इ.अ.स. एवं ए.सी.कं. को प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए। तथापि, ए.सी.कं. ने उत्पाद के वाणिज्यिक उत्पादन में कोई रुचि नहीं दिखाई। स.प्रौ.वि. भी ए.सी.कं. से प्रौद्योगिकी का वाणिज्यिकरण नहीं करा सकी क्योंकि अनुदान जारी होने से पहले स.प्रौ.वि.ने ए.सी.कं. और अ.मा.इ.अ.स. के साथ कोई समझौता-ज्ञापन (स.ज्ञा.) हस्ताक्षरित नहीं किया था। इस प्रकार, सरकार के 25 लाख रु. की अनुदान राशि को सम्मिलित करके 60 लाख रु. की लागत से विकसित प्रौद्योगिकी का उपयोग अभिप्रेत उद्देश्यों की पूर्ति हेतु नहीं किया जा सका जिसका परिणाम निष्फल व्यय में हुआ। अनुसंधान का उद्देश्य विफल रहा क्योंकि प्रौद्योगिकी के गैर-वाणिज्यिकरण के कारण फ़ैर्राइट रेडियो आवृत्ति अवशोषी टाइलों का आयात जारी रहा।

मंत्रालय ने सितम्बर 2006 में तथ्य स्वीकार कर लिया।

मंत्रालय लोक निधि से किए गए भारी व्यय के पश्चात अनुसंधान के माध्यम से विकसित प्रौद्योगिकी का अन्ततः वाणिज्यिकरण एवं उपयोग सुनिश्चित करने के लिए उद्योग हेतु प्रासंगिक परियोजनाओं के संबंध में अभिकरणों के साथ स.ज्ञा. पर हस्ताक्षर करने की वांछनीयता पर विचार करे।

अध्याय III : कम्पनी कार्य मंत्रालय

3.1 लोक निधियों को सरकारी लेखों से बाहर रखना

दिल्ली, कोलकाता, मुम्बई, बेंगलौर, इलाहाबाद और जयपुर के सरकारी परिसमापकों द्वारा परिसमाप्त कम्पनियों से प्राप्त शुल्कों को सरकारी लेखा में जमा करने में विफलता का परिणाम 6.13 करोड़ रु. की सरकारी राशि के 1 महीने से 5 वर्षों तक सरकारी लेखे से बाहर रहने तथा 66.53 लाख रु. के ब्याज की परिणामी हानि में हुआ।

देश के विभिन्न राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में कार्य कर रहे सरकारी परिसमापक, कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 448 के अन्तर्गत संघ सरकार द्वारा नियुक्त किए गए अधिकारी हैं तथा विभिन्न उच्च न्यायालयों से संबद्ध हैं। कम्पनी (न्यायालय) नियमावली, 1959 के नियम 291 के अनुसार कम्पनी समापन की प्रत्येक प्रक्रिया में, जहां सरकारी परिसमापक, परिसमापक होता है अथवा उसकी तरह कार्य करता है, उक्त न्यायालय नियमावली के अन्तर्गत निर्धारित शुल्क, परिसमाप्त कम्पनी की परिसम्पत्तियों में से प्रत्येक वर्ष 31 मार्च तक भारतीय रिजर्व बैंक में भारतीय लोक लेखे में जमा कराने अपेक्षित हैं। प्राप्ति एवं भुगतान नियमावली के नियम 6 में भी निर्धारित है कि सरकार के राजस्वों एवं प्राप्तियों के कारण जो राशि सरकारी अधिकारियों द्वारा प्राप्त की जाती है या सरकारी अधिकारियों को दी जाती है, बिना अनुचित विलम्ब, सरकारी लेखे में सम्मिलित करने के लिए अधिकृत बैंक में पूरी अदा की जाए।

सरकारी परिसमापक, दिल्ली के अभिलेखों की लेखापरीक्षा जांच में प्रकट हुआ (दिसम्बर 2005) कि कम्पनी (न्यायालय) नियमावली और प्राप्ति और भुगतान नियमावली के उल्लंघन में 2001-05 की अवधि के लिए कुल 1.94 करोड़ रु. के शुल्क को एक बैंक में चालू खाते में रखा गया था तथा सरकारी लेखों में जमा नहीं कराए थे। लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित करने पर, सरकारी परिसमापक ने 1.94 करोड़ रु. सरकारी लेखे में जमा किए (मार्च 2006)। शुल्कों को समय पर सरकारी लेखे में जमा न करने का परिणाम संघ सरकार की 8.9 प्रतिशत की औसत उधार दर पर 43.48 लाख रु. के ब्याज की हानि में हुआ। लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि उच्च न्यायालय कोलकाता, मुम्बई, बेंगलौर, इलाहाबाद और जयपुर से संबद्ध सरकारी परिसमापकों ने 1994-2006 की अवधि के लिए 4.19 करोड़ रु. (कोलकाता : 1.31 करोड़ रु., मुम्बई: 1.54 करोड़ रु., बेंगलौर: 0.80 करोड़ रु. इलाहाबाद : 0.34 करोड़ रु. और जयपुर : 0.20 करोड़ रु.) के कुल शुल्कों को सरकारी लेखों में जमा करने की बजाय बैंकों में चालू खाते में रखा और धनराशि को 1 महीने से 4 ½ वर्षों के विलम्ब से जमा किया। सरकारी लेखे

में शुल्कों को समय पर जमा न करने का परिणाम 23.05 लाख रु. के ब्याज की हानि में हुआ।

इस प्रकार, सम्बन्धित क्षेत्रीय निदेशक/मंत्रालय द्वारा सरकारी परिसमापक के क्रियाकलापों की अपर्याप्त मानीटरिंग का परिणाम 6.13 करोड़ रु. (1.94 करोड़ रु. + 4.19 करोड़ रु.) की सरकारी राशि को 1 महीने से 5 वर्षों की दीर्घावधि हेतु सरकारी लेखों से बाहर रखने तथा 66.53 लाख रु. (43.48 लाख रु. + 23.05 लाख रु.) के ब्याज की परिणामी हानि में हुआ।

मंत्रालय ने बताया (मई 2006) कि क्षेत्रीय निदेशक (उत्तरी क्षेत्र) को लेखापरीक्षा द्वारा इंगित की गई कमियों की जाँच करने का निर्देश दिया गया था और सभी क्षेत्रीय निदेशकों/सरकारी परिसमापकों को निर्धारित कार्यविधि के विधिवत अनुसरण को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए थे। उसने यह भी बताया कि जाँच के परिणामों को लेखापरीक्षा को अवगत करा दिया जाएगा। दिसम्बर 2006 तक मंत्रालय से आगे की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

अध्याय IV : संस्कृति मंत्रालय

राष्ट्रीय संग्रहालय

4.1 नियंत्रण की कमी के परिणामस्वरूप अधिक भुगतान

राष्ट्रीय संग्रहालय ने न तो ललित कला संचालन प्रतिनिधि (ल.क.सं.प्र.) के साथ विशिष्ट समझौता किया और न ही उसके द्वारा प्रस्तुत बिलों का सत्यापन किया। इसका परिणाम ल.क.सं.प्र. के बढ़ाए गए दावों को भुगतान के लिए अनुमत किए जाने में हुआ जिसके परिणामस्वरूप 50.48 लाख रु. का अधिक भुगतान हुआ जिसके लिए संग्रहालय ने अपने अधिकारियों और ल.क.सं.प्र. के बीच संदिग्ध साठ-गांठ को जिम्मेदार ठहराया।

राष्ट्रीय संग्रहालय (संग्रहालय) कला वस्तुओं की भारत में और भारत के बाहर प्रदर्शनी आयोजित करता है। कला वस्तुओं को प्रदर्शनी के स्थान पर ले जाने और वापस लाने के लिए यह एक ललित कला संचालन प्रतिनिधि (ल.क.सं.प्र.) की नियुक्ति करता है। सामान्य वित्तीय नियम (सा.वि.नि.) के अनुसार, संविदा की शर्तें संक्षिप्त तथा निश्चित होनी चाहिए और उसमें संदिग्धता और गलत व्याख्या की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त सा.वि.नि. में अपेक्षित है कि खुली निविदा आमंत्रित नहीं करने के मामले में ऐसा करने के लिए विशेष कारणों को अभिलिखित किया जाना चाहिए और सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया (जून 2005) कि संग्रहालय ने संहिता के प्रावधानों का अनुसरण नहीं किया जिसका परिणाम निम्नलिखित अनियमितताओं में हुआ:-

- 2002-03 से 2004-05 के दौरान, संग्रहालय ने भारत में और भारत के बाहर विभिन्न प्रदर्शनियों का आयोजन किया और कार्य, संविदाओं/सीमित निविदाओं के आधार पर प्रदान किए गए जिसके लिए कोई विशिष्ट कारण अभिलिखित नहीं किए गए थे। हर बार उन्हीं अभिकरणों को उद्धृत करने को कहा गया था और सभी मामलों में न्यूनतम होने के कारण, कार्य मै. पैकवैल एंड क. को, सौंपा गया था। फरवरी 2004 में मै. पैकवैल एंड क. को बिना किसी औपचारिक समझौते के फिर से दो वर्ष की अवधि के लिए ल.क.सं.प्र. के रूप में रखा गया।
- निवेदित दरें आमंत्रित करते समय संग्रहालय द्वारा वांछनीय सेवाएं स्पष्ट रूप से उल्लेखित नहीं थीं। केवल संचालन, अभिकरण, पैकेजिंग प्रभार आदि जैसे बड़े शीर्ष ही उल्लेखित थे। सभी प्रभार वास्तविक आधार पर अदा किये जाने थे।

- ल.क.सं.प्र. द्वारा उठाये गये बिलों की नमूना जांच में पाया गया कि संग्रहालय ने बिलों का समुचित सत्यापन किये बिना ही अभिकरण को भुगतान किए थे। यद्यपि सामग्री पैकिंग प्रभार और अभिकरण प्रभार ग्राह्य नहीं थे क्योंकि ये संचालन प्रभारों में पहले से ही शामिल थे, फिर भी 11.40 लाख रु. की राशि के ऐसे शुल्क अलग से अदा किये गये थे।

लेखापरीक्षा द्वारा मामले के इंगित किए जाने पर (जून 2005 और अप्रैल 2006) संग्रहालय ने माना (अप्रैल 2006) कि उसने अधिक भुगतान किए थे और बताया कि इसमें ल.क.सं.प्र. और संग्रहालय के अधिकारियों के बीच मिलीभगत हो सकती है। उसने मै. पैकवैल एंड क. को सौंपे गये कार्य के सम्बन्ध में वित्तीय अनियमितताओं की जांच (अगस्त 2005 और नवम्बर 2005) की जिसमें पाया गया कि प्रतिष्ठान ने बढ़ाए गए दावे पेश किये थे और जो सेवाएं उद्धृत नहीं की गई थी या जो मर्दे उद्धृत सेवा का भाग थीं, उनके लिए शुल्क लगाया था। अधिक भुगतान अतिरिक्त संचालन प्रभार, पैकिंग सामग्री और अभिकरण प्रभार की प्रकृति के थे। ल.क.सं.प्र. ने उचित विनिर्देशों और स्पष्टता की कमी, दंड की धारा सहित निबंधन एवं शर्तों को समाविष्ट करने वाले औपचारिक समझौते का अभाव तथा प्रचलित बाजार दरों से प्रतिष्ठान द्वारा उद्धृत दरों की जांच न किए जाने का लाभ उठाया था। जांच समिति ने वित्तीय अनियमितताओं की पुष्टि की जैसा कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित (जून 2005) किया गया था और पाया कि ल.क.स.प्र. को 50.48 लाख रु. की राशि का अधिक भुगतान हुआ था।

महानिदेशक, संग्रहालय, ने जांच समिति के निष्कर्षों को मंत्रालय को अग्रेषित करते समय सिफारिश की (अगस्त 2005 और जनवरी 2006) कि ल.क.स.प्र. से वसूलियां की जाए और विधि मंत्रालय से सलाह प्राप्त करने के उपरान्त एजेन्सी को काली सूची में डाल दिया जाए।

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति के प्रत्युत्तर में, मंत्रालय ने बताया (सितम्बर 2006) कि प्राथमिक जांच के आधार पर, दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई प्रारम्भ की जा चुकी है। ल.क.स.प्र. को किए गए अधिक भुगतान के सम्बन्ध में मंत्रालय ने बताया कि विधि मंत्रालय के साथ विचार-विमर्श करने के पश्चात इसके विरुद्ध कार्रवाई की जायेगी।

4.2 अविवेकपूर्ण कार्रवाई के कारण अपव्यय

राष्ट्रीय संग्रहालय की, मार्च 2005 में ब्राजील में सम्पन्न होने वाली एक प्रस्तावित प्रदर्शनी हेतु समझौता ज्ञापन पत्र पर हस्ताक्षर से भी पहले लकड़ी के संदूकों के निर्माण के लिए कार्य आदेश जारी करने तथा जून 2003 में राष्ट्रीय संग्रहालय की प्रस्तावित असम दीर्घा जो अन्ततः स्थापित नहीं हुई, में प्रदर्शन हेतु असम राज्य संग्रहालय से कलाकृतियों के परिवहन की अविवेकपूर्ण कार्रवाई का परिणाम 33.45 लाख रु. के अपव्यय में हुआ।

राष्ट्रीय संग्रहालय (रा.सं.), नई दिल्ली पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय (मंत्रालय) के अधीन वर्ष 1960 से अधीनस्थ कार्यालय के रूप में कार्य कर रहा है। भारत में तथा बाहर कलाकृतियों की प्रदर्शनी आयोजित करना रा.सं. के मुख्य उद्देश्यों में से एक है।

रा.सं. के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा (जून 2005) से निम्नलिखित दो मामलों में कुल 33.45 लाख रु. का अपव्यय स्पष्ट हुआ:-

(क) ब्राजील में प्रदर्शनी हेतु संदूकों का निर्माण

ब्राजील में भारत के राजदूत के सुझाव (अप्रैल 2003) पर संस्कृति विभाग (अब पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय), भारत सरकार, ब्राजील की एक गैर लाभकारी निजी संस्था, 'ब्राजील कनेक्ट' के सहयोग से मार्च 2005 में 'अनन्त भारत' नामक एक प्रदर्शनी आयोजित करने के लिए सहमत हुई (मार्च 2004)। रा.सं. को प्रस्तावित प्रदर्शनी के लिए केन्द्रक अभिकरण के रूप में मनोनीत किया गया था (जून 2004)। समझौता ज्ञापन पत्र (स.ज्ञा.प) पर हस्ताक्षर किए जाने के पहले, ब्राजील में भारत के राजदूत ने 17 नवम्बर 2004 को सूचित किया कि चूंकि 'ब्राजीलकनेक्ट' के अध्यक्ष एक बैंक घोटाले में संलिप्त थे, अब यह प्रदर्शनी के लिए वांछनीय सहयोगी नहीं थी। तदनुसार मंत्रालय ने दिसम्बर 2004 में प्रदर्शनी को स्थगित कर दिया। इसी बीच संग्रहालय ने 17 नवम्बर 2004 को 19.15 लाख रु. की लागत पर विभिन्न मापों के 165 लकड़ी के संदूकों के निर्माण के लिए कार्य आदेश जारी कर दिया। संदूक फरवरी 2005 में प्राप्त किए गए तथा उन संदूकों की 18.62 लाख रु. की पूरी कीमत (आंतरिक पैकिंग सामग्री की कीमत को छोड़कर) मार्च 2005 में अदा की गई। इनका अभी तक किसी अन्य प्रदर्शनी में उपयोग नहीं किया गया था।

इस प्रकार 'ब्राजीलकनेक्ट' के साथ स.ज्ञा.प. पर हस्ताक्षर होने से पहले, संदूकों के निर्माण के लिए समय पूर्व कार्य आदेश जारी करने का परिणाम 18.62 लाख रु. के अपव्यय में हुआ। प्रदर्शनी के स्थगन में मंत्रालय की ओर से लगभग एक महीने का विलम्ब हुआ। था। रा.सं. ने 27 दिसम्बर 2004 यह जानने के बाद भी कि प्रदर्शनी स्थगित कर दी गयी थी, संदूकों का निर्माण रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाए।

जून 2005 में, लेखापरीक्षा में मामले को इंगित करने पर, रा.सं. ने उसी महीने में मुद्दों की जांच हेतु एक समिति गठित कर दी थी। समिति ने निष्कर्ष निकाला कि:-

- कार्य आदेश जारी करते समय ऐसा कोई भी बाध्यकारी कारण या अत्यावश्यकता नहीं थी जिससे ऐसी तत्काल कार्रवाई की गयी।
- फाइल में हेर-फेर किया गया था और एक यथोचित संदेह पैदा होता था कि कार्य आदेश उस समय जारी किया गया था जब यह पूर्ण रूपेण स्पष्ट था कि

ब्राजील प्रदर्शनी जारी नहीं थी, या कम से कम यह मार्च 2005 में तो सम्पन्न नहीं होगी।

- रा.सं. में संदूकों की प्राप्ति के पहले से ही भुगतान हेतु बिलों की प्रक्रिया के लिए आरंभिक कार्रवाई शुरू कर दी गयी थी। पैकिंग सामग्री और पैकिंग सेवा हेतु उपयुक्त राशि को बिलों से नहीं घटाया गया था।
- आपूर्ति की गई संदूकों अपेक्षित विनिर्देशन तथा गुणवत्ता की नहीं थी। प्राप्त संदूकों की संख्या के विषय में भी अनिश्चितता थी।

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति के प्रत्युत्तर में मंत्रालय ने बताया (सितम्बर 2006) कि संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी कर दिए गए थे तथा उनका स्पष्टीकरण प्राप्त होने के पश्चात आगे की कार्रवाई की जाएगी।

(ख) असम से कलाकृतियों का परिवहन

उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र की कला तथा संस्कृति के प्रदर्शन के लिए रा.सं. में एक दीर्घा स्थापित करने के जल संसाधन के केन्द्रीय राज्य मंत्री के अनुरोध (मई 2000) पर मंत्रालय सैद्धान्तिक रूप से सहमत हो गया और रा.सं. से इस दीर्घा के लिए संकल्पना टिप्पणी करने हेतु आग्रह किया। बाद में जून 2001 में मंत्रालय ने रा.सं. ने परामर्श से, जगह के अभाव के कारण, उत्तरी-पूर्वी दीर्घा स्थापित करने के विचार को छोड़ दिया। लेखापरीक्षा ने पता लगाया कि रा.सं. ने किसी नये प्रस्ताव और मंत्रालय के अनुमोदन के बगैर रा.सं. में प्रस्तावित असम दीर्घा में प्रदर्शनी हेतु चुनी हुई कृतियों की एक सूची भेजने के लिए असम सरकार से आग्रह किया (अप्रैल 2003)। जून 2003 में 14.83 लाख रु. की लागत पर कुल मिलाकर 80 कृतियों को रा.सं. में परिवहित किया गया। अप्रैल 2006 तक, इन कृतियों की प्रदर्शनी नहीं हो पाई और वे उनकी प्राप्ति से भंडार में पड़ी हैं।

इस प्रकार रा.सं. ने कलाकृतियों के असम से परिवहन पर 14.83 लाख रु. का अपव्यय किया। बिना उचित प्रदर्शन के भंडार में करीब तीन वर्षों से पड़ी रहने के कारण इन वस्तुओं को क्षति पहुंचने का जोखिम भी था।

मामला जून 2005 में लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर रा.सं. ने क्षेत्रवार दीर्घा स्थापित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं होने को स्वीकार करते हुए इन कृतियों के प्रदर्शित नहीं होने की पुष्टि की (अप्रैल 2006)।

इस प्रकार रा.सं. की अविवेकपूर्ण कार्रवाई का परिणाम उपरोक्त दो मामलों में 33.45 लाख रु. (18.62 लाख रु.+14.83 लाख रु.) के अपव्यय में हुआ।

मामला जुलाई 2006 में मंत्रालय को प्रेषित किया गया था; अनुस्मारक के बावजूद उनका उत्तर दिसम्बर 2006 तक प्रतीक्षित था।

अध्याय V : भू-विज्ञान मंत्रालय

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग

5.1 अपव्यय

महानिदेशक, मौसम विज्ञान विभाग ने प्रिसिजन-सी (नि-स्पैन) की अपनी आवश्यकता के प्रति निम्न विस्तारण मिश्रधातु 43 पी एच की अधिप्राप्ति की। मिश्रधातु वांछित प्रयोजन हेतु अनुपयुक्त पाई गई तथा मई 2002 से अप्रयुक्त पड़ी थी जिसका परिणाम 33.08 लाख रु. के अपव्यय में हुआ।

उप-महानिदेशक, मौसम विज्ञान (ऊपरी वायु उपकरण), नई दिल्ली के मांग-पत्र के आधार पर महानिदेशक, मौसम विज्ञान (म.नि.) ने मार्च 2001 में 400 कि.ग्रा. प्रिसिजन-सी (नि-स्पैन) की आपूर्ति हेतु पांच प्रतिष्ठानों से निविदाएं आमंत्रित की। प्राप्त हुई तीन निविदाओं में से मै. नाइट स्ट्रिप्स मैटल्स लिमिटेड, इंग्लैंड (प्रतिष्ठान) की निविदा निम्नतम थी और इसलिए म.नि. ने प्रतिष्ठान को 71.9 ग्रे.बि.पा. प्रति कि.ग्रा. की दर से 500 कि.ग्रा. नि-स्पैन चादरों की आपूर्ति का आदेश दिया।

आदेश दिए जाने के पश्चात्, मांगकर्ता ने अप्रैल 2001 में म.नि. को सूचित किया कि जिस प्रतिष्ठान को आदेश दिया गया था वह न तो मद का उत्पादक था न ही पहले उसने इसकी आपूर्ति की थी तथा आग्रह किया था कि साख-पत्र खोलने के पूर्व प्रतिष्ठान से कहा जाए कि उत्पादक से प्रिसिजन-सी मिश्र धातु की आपूर्ति करने के लिए प्राधिकार प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करे। म.नि. ने अप्रैल 2001 में प्रतिष्ठान से प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने को आग्रह किया जिसके उत्तर में प्रतिष्ठान ने मई 2001 में सूचित किया कि वह निम्न विस्तारण मिश्रधातु 43 पी.एच. की आपूर्ति कर सकता है जो कि कोल्ड रोल्ड सुदृढ़ स्थिति में प्रिसिजन-सी के समकक्ष था। उसने आगे यह भी बताया कि मिश्र धातु के संघटन से सम्बन्धित अपेक्षित प्रमाण-पत्र, सामग्री के साथ भेजा जाएगा। क्रय आदेश को रद्द करने के बजाय, म.नि. ने अगस्त 2001 में प्रतिष्ठान के पक्ष में 25.16 लाख रु. के समकक्ष 35950 ग्रे.बि.पा.¹ का साख-पत्र खोला।

मई 2002 में प्रतिष्ठान ने 379 कि.ग्रा. मिश्रधातु 43 पी.एच. की आपूर्ति की जिसके लिए सामग्री की 90 प्रतिशत लागत के रूप में 18.99 लाख रु. का भुगतान प्रतिष्ठान को साख-पत्र के द्वारा किया गया था। इसके अतिरिक्त 14.09 लाख रु. का सीमा शुल्क भी अदा किया गया था। जुलाई 2002 में मांगकर्ता द्वारा सामग्री की जांच की गई जिसमें पाया कि सामग्री विनिर्देशों के अनुरूप नहीं थी तथा इसलिए उसने आपूर्ति को

¹ गेट ब्रिटेन पाउण्ड

अस्वीकृत कर दिया। सितम्बर 2002 में म.नि. ने अस्वीकृत सामग्री को बदलने का मामला प्रतिष्ठान के समक्ष उठाया। फर्म ने यह कहकर माल बदलने से मना कर दिया (नवम्बर 2002) कि उसने सामग्री की आपूर्ति निविदा में अंकित विनिर्देशों के अनुरूप की थी।

इस प्रकार, मांगकर्ता द्वारा आपत्ति व्यक्त करने एवं प्रतिष्ठान की स्पष्ट सूचना कि वे केवल निम्न विस्तारण मिश्रधातु 43 पी.एच. की आपूर्ति कर सकते थे, के बावजूद म.नि. यह जांच करने में विफल रहा कि क्या प्रतिष्ठान द्वारा प्रस्तावित सामग्री उपयोगकर्ता की आवश्यकतानुसार थी जिसके परिणामस्वरूप सामग्री खरीद के बाद से अप्रयुक्त पड़ी रही और प्रतिष्ठान के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी।

विभाग ने बताया (अगस्त 2005) कि वह दोषपूर्ण माल की वापसी हेतु प्रयास कर रहा था। उसने यह भी बताया कि रक्षा धातुविज्ञान अनुसंधान प्रयोगशाला (र.धा.अ.प्र.) हैदराबाद, वांछित अनुप्रयोग हेतु सामग्री के उपयोग की साध्यता की खोज के लिए इसका अध्ययन संचालित करेगा। बाद में विभाग ने सूचित किया (जून 2006) कि र.धा.अ.प्र. ने निष्कर्ष निकाला कि सामग्री का उपयोग वांछित उद्देश्य की पूर्ति हेतु नहीं किया जा सकता और फरवरी 2006 में विभागीय जांच शुरू कर दी गई थी जिसकी रिपोर्ट अभी तक प्रतीक्षित थी।

विभाग का उत्तर लेखापरीक्षा के इस दावे की पुष्टि करता है कि सामग्री को वांछित उद्देश्य हेतु इसकी अनुकूलता का पूर्व सत्यापन किए बिना स्वीकार कर लिया गया था। इस प्रकार, म.नि. के सामग्री की तकनीकी विशिष्टताओं की अनुकूलता के मूल्यांकन में विफल रहने का परिणाम 33.08 लाख रु. के अपव्यय में हुआ।

मामला जुलाई 2006 को मंत्रालय को प्रेषित किया गया था; उनका उत्तर दिसम्बर 2006 तक प्रतीक्षित था।

अध्याय VI : पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

6.1 विद्युत खपत पर अधिक व्यय

उष्ण कटिबन्धीय वन अनुसंधान संस्थान द्वारा विद्युत मांग, जिसकी वास्तव में उनको आवश्यकता नहीं थी, में कटौती हेतु सुधारात्मक कार्रवाई करने में विफलता का परिणाम विद्युत खपत पर 20.39 लाख रु. (मार्च 1997 से मई 2006 तक) के अधिक व्यय में हुआ।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संस्थान उष्ण कटिबन्धीय वन अनुसंधान संस्थान (उ.क.व.अ.सं.), जबलपुर (पहले पर्णपाती वन संस्थान) ने सितम्बर 1992 में मध्य प्रदेश विद्युत बोर्ड (म.प्र.वि.बो.) के साथ कार्यालय-सह-प्रयोगशाला भवन हेतु दो वर्षों के लिए 250 के.वी.ए. विद्युत आपूर्ति और उसके उपरान्त नियमित आधार पर, जब तक कि तीन माह का नोटिस देकर समाप्त न किया जाए, हेतु अनुबंध किया। म.प्र.वि.बो. शुल्क सूची के अनुसार एक माह के लिए बिल की मांग माह के दौरान दर्ज की गई वास्तविक अधिकतम मांग या अनुबंध मांग का 75 प्रतिशत, में से जो भी ज्यादा हो, होनी थी।

लेखापरीक्षा जांच (मार्च 2005) से उजागर हुआ कि यद्यपि मार्च 1997 से दिसम्बर 1998 तक मासिक विद्युत खपत 62.4 के.वी.ए. तथा 169.6 के.वी.ए. के बीच थी और कभी भी अनुबंधित मांग तक नहीं पहुंची, उ.क.व.अ.सं. ने जनवरी 1999 में नये भवनों के निर्माण को ध्यान में रखते हुए म.प्र.वि.बो. से अनुबंध मांग को 250 के.वी.ए. से बढ़ाकर 400 के.वी.ए. करने का आग्रह किया। तदनुसार जुलाई 2000 से अनुबंध मांग को बढ़ाकर 400 के.वी.ए. तक संशोधित कर दिया गया। लेखापरीक्षा द्वारा जुलाई 2000 से नवम्बर 2005 के दौरान विद्युत खपत की समीक्षा में प्रकट हुआ कि विद्युत की 400 के.वी.ए. अनुबंध मांग के प्रति उ.क.व.अ.सं. ने अधिकतम मांग 106.03 के.वी.ए. से 220 के.वी.ए. के बीच दर्ज की थी। यद्यपि उ.क.व.अ.सं. कम मांग दर्ज कर रहा था, तथापि वह अनुबंध मांग के 75 प्रतिशत के रूप में मार्च 1997 से जून 2000 (मई 2000 के अतिरिक्त) तक 188 के.वी.ए. तथा जुलाई 2000 से फरवरी 2005 तक 300 के.वी.ए. के लिए भुगतान कर रहा था।

मार्च 2005 में लेखापरीक्षा द्वारा यह इंगित किए जाने पर उ.क.व.अ.सं. ने जुलाई 2005 में म.प्र.वि.बो. से अनुबंध मांग को 400 के.वी.ए. से घटाकर 250 के.वी.ए. करने का आग्रह किया और तदनुसार म.प्र.वि.बो. ने जून 2006 से अनुबंध मांग को घटाकर 250

के.वी.ए. कर दिया। इसी बीच, उ.क.व.अ.सं. ने वास्तविक रूप से उपयोग न की गई मांग के कारण 20.39 लाख रु.¹ का अधिक व्यय वहन किया।

मंत्रालय ने सितम्बर 2006 में बताया कि अनुबंध मांग में 250 के.वी.ए. से 400 के.वी.ए. की वृद्धि म.प्र.वि.बो. के अनुमानों के अनुसार थी और इसलिए इस बात के लिए उ.क.व.अ.सं. को दोषी ठहराना उपयुक्त नहीं होगा। मंत्रालय का जवाब तर्कसंगत नहीं था क्योंकि वास्तविक मांग सदैव अनुबंधित मांग से कम थी और इसीलिए उ.क.व.अ.सं. को समय पर समीक्षा करनी चाहिए थी और म.प्र.वि.बो. को अनुबंध मांग में कमी के लिए संशोधन हेतु संपर्क करना चाहिए था। अनुबंध मांग को जून 2006 में लेखापरीक्षा के दृष्टांत, अर्थात् अनुबंध मांग में वृद्धि के छः वर्ष बीत जाने के बाद, पर ही घटाया गया था।

इस प्रकार, उ.क.व.अ.सं. की समय रहते विद्युत मांग में कमी करने की सुधारात्मक कार्रवाई करने में असफलता का परिणाम मार्च 1997 से मई 2006 के दौरान विद्युत मांग पर 20.39 लाख रु. के अधिक व्यय में हुआ।

¹ मार्च 1997 से जून 2000 हेतु 3.07 लाख रु. तथा जुलाई 2000 से जून 2006 हेतु 17.32 लाख रु.

अध्याय VII : विदेश मंत्रालय

7.1 भवनों एवं आवासों को खरीदने, किराये पर लेने, मरम्मत तथा रखरखाव के लिए प्रतिमानकों का पालन न करना

शिकागो स्थित मिशन/मंत्रालय की रिहायशी उद्देश्य हेतु सम्पत्ति के अधिग्रहण में ढीलेपन का परिणाम अक्टूबर 1999 से फरवरी 2004 के दौरान 2.48 करोड़ रु. के परिहार्य व्यय में हुआ। बैंकाक, बीजिंग, हो ची मिन सिटी, काठमाण्डू एवं माहे स्थित भारतीय मिशनों ने नियमों की अवहेलना करते हुए अपने अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु निर्धारित प्लिंथ क्षेत्रफल प्रतिमान से अधिक आवासीय परिसर किराये पर लिए जिसका परिणाम 2001-05 के दौरान 2.67 करोड़ रु. के अनियमित व्यय में हुआ। जोहान्सबर्ग और प्रिटोरिया स्थित भारतीय मिशनों ने मंत्रालय के नियमों और प्रत्यायोजित शक्तियों की अवहेलना कर, मंत्रालय के अनुमोदन के बिना आवासीय स्थान के लिए निर्धारित सीमा से अधिक किराये का भुगतान किया जिसका परिणाम सितम्बर 2002 से मार्च 2006 के दौरान 31.21 लाख रु. के अप्राधिकृत व्यय में हुआ। माहे, रियाद और कोलम्बो स्थित भारतीय मिशनों द्वारा सरकारी स्वामित्व वाले भवनों/कर्मचारियों के आवासों की मरम्मत/नवीकरण और अनुरक्षण में वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन का उल्लंघन करने का परिणाम 2002-06 के दौरान 1.39 करोड़ रु. के अप्राधिकृत व्यय में हुआ।

मंत्रालय एवं मिशनों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा जांच ने विदेशों में भारतीय मिशनों हेतु सम्पत्तियों के क्रय, किराये पर लेने, मरम्मत तथा रखाव में विभिन्न त्रुटियां प्रकट हुईं जिनकी चर्चा अनुवर्ती पैराग्राफों में की गई है:

7.1.1 भारत का महाकांसुलावास, शिकागो

शिकागो स्थित भारतीय दूतावास में महावाणिज्य दूतावास (म.दू.), 1976 में मिशन खुलने से एक किराये के आवास में रह रहे थे। किराये के आवासों में जगह की कमी तथा उच्च किराये को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय दिसम्बर 1996 से म.दू. की रिहायश हेतु आवास के क्रय पर विचार कर रहा था। वित्त मंत्रालय तथा विदेश मंत्रालय से वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में एक संपत्ति दल ने फरवरी 1999 में शिकागो का दौरा किया तथा 1.5 मिलियन अमेरिकी डालर की कीमत पर एक सम्पत्ति क्रय करने की सिफारिश की। यद्यपि योजनेत्तर व्यय पर समिति (यो.व्य.स.) ने अप्रैल 1999 में उक्त सम्पत्ति के क्रय की स्वीकृति दे दी थी, फिर भी खरीद संपन्न नहीं हो सकी क्योंकि विक्रेता यह कहते हुए सौदे से मुकर गया कि सौदे की अंतिम तिथि निकल चुकी थी। बाद में, यो.व्य.स. ने अक्टूबर 1999 से म.दू. की रिहायश के रूप में इस्तेमाल हो रही सम्पत्ति को 1.7 मिलियन अमेरिकी डालर, जिसमें नवीकरण की कीमत शामिल है, की कीमत

पर क्रय करने हेतु स्वीकृति दी (जून 2002)। तथापि मंत्रालय/मिशन ने विक्रय पत्र, क्रय समझौता तथा रसोईघर का पुनः प्रतिरूपण आदि जैसे मामलों के निपटान में 1 1/2 वर्षों से अधिक का समय लिया और अन्ततः फरवरी 2004 में 1.65 मिलियन अमेरिकी डालर (7.26 करोड़ रु.), जिसमें नवीकरण कीमत शामिल नहीं है, की कीमत पर सम्पत्ति का क्रय किया जा सका।

यदि मंत्रालय ने फरवरी 1999 में पहचान की गई सम्पत्ति को क्रय करने में समय से कार्रवाई की होती तो यह अक्टूबर 1999 से फरवरी 2004 की अवधि हेतु 0.41 मिलियन अमेरिकी डालर (1.82 करोड़ रु.) की किराये की देयता के अतिरिक्त 0.15 मिलियन अमेरिकी डालर (0.66 करोड़ रु.) बचा सकती थी।

प्रत्युत्तर में मंत्रालय ने बताया (फरवरी 2007) कि मालिक के साथ विक्रय पट्टे कि शर्तों को अंतिम रूप दिए जाने के लिए आवश्यक क्रियाविधि कदमों के कारण सौदा अनुबंधित अवधि में पूरा नहीं किया जा सका। उत्तर तर्क संगत नहीं है क्योंकि खरीद हेतु विधिवत प्रक्रिया का पालन कार्य का अंग था एवं विलम्ब को न्यूनतम रखने के लिए मंत्रालय को खरीद की प्रभावी मानीटरिंग करनी चाहिए थी।

7.1.2 भारतीय विदेश सेवा (वे.अ.प्र.भ.) नियमावली विदेशों में भारत आधारित अधिकारियों तथा कर्मचारियों हेतु आवासीय भवनों के निर्माण हेतु प्लिथ क्षेत्रफल प्रतिमान निर्धारित करती है। उक्त नियम यह भी प्रावधान करता है कि मिशन को यह सुनिश्चित करने के प्रयास करने चाहिए कि किराये की सम्पत्ति के प्लिथ क्षेत्रफल में निर्माण हेतु निर्धारित प्रतिमान से अत्यधिक परिवर्तन नहीं हो।

तथापि लेखापरीक्षा ने पाया (जून-अगस्त 2004 तथा मई-जुलाई 2005) कि बैंकाक, बीजिंग, हो ची मिन सिटी, काठमाण्डू एवं माहे स्थित मिशनों ने अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु आवासीय परिसर किराये पर लिए थे जो निर्धारित प्रतिमान से 20 से 141 प्रतिशत के बीच अधिक थे जिसका परिणाम 2001-05 के दौरान 2.67 करोड़ रु. (अतिरिक्त जगह हेतु समानुपातिक आधार पर परिकलित) के अनियमित व्यय में हुआ।

लेखापरीक्षा में मामले को इंगित किए जाने पर मंत्रालय ने एक ओर तो बताया (अप्रैल 2006) कि प्लिथ क्षेत्रफल प्रतिमान केवल निर्माण के उद्देश्य हेतु निर्धारित किया गया था न कि किराये की सम्पत्ति हेतु और दूसरी ओर स्वीकार किया कि मिशनों/केन्द्रों को सुनिश्चित करना था कि किराये की सम्पत्ति के प्लिथ क्षेत्रफल में निर्माण हेतु निर्धारित प्रतिमान से बहुत अधिक परिवर्तन नहीं हो। उत्तर का प्रथम भाग तर्कसंगत नहीं है क्योंकि नियम स्पष्ट रूप से कहता है कि मिशन द्वारा किराये पर लिया गया आवास निर्माण हेतु निर्धारित प्रतिमान से अधिक नहीं होना चाहिए जैसा कि मंत्रालय द्वारा अपने उत्तर के दूसरे भाग में स्वीकार किया गया है। इसके अतिरिक्त, स्वयं मंत्रालय ने सभी मिशनों/केन्द्रों को सलाह दी थी (अक्टूबर 1998) कि उसके द्वारा तय किये गये प्लिथ

क्षेत्रफल प्रतिमान को अधिकतम समझा जाना चाहिए जिससे परे मिशन द्वारा कोई भी आवास पट्टे पर नहीं लिया जाना चाहिए, यहां तक कि प्रतिनिधित्वमूलक दायित्व हेतु पर्याप्त स्थान की अनुपलब्धता के आधार पर भी नहीं, क्योंकि यह पहलू प्रतिमान के संशोधन के दौरान पहले ही ध्यान में रखा जा चुका था।

7.1.3 लेखापरीक्षा ने पाया (जून 2005) कि सितम्बर 2002 से मार्च 2006 के दौरान **जोहान्सबर्ग और प्रीटोरिया** स्थित भारतीय मिशनों द्वारा नियमों और प्रत्यायोजित शक्तियों की अवहेलना कर, मंत्रालय के अनुमोदन के बिना आवासीय स्थान के लिए निर्धारित सीमा से अधिक दर से किराये के भुगतान का परिणाम 31.21 लाख रु. के अप्राधिकृत व्यय में हुआ।

लेखापरीक्षा में मामले के इंगित किये जाने पर, जहां जोहान्सबर्ग स्थित मिशन ने माना (फरवरी 2006) कि उसने नियमों की गलत व्याख्या के कारण अनियमितता की थी, वहीं प्रीटोरिया स्थित मिशन ने बताया कि मंत्रालय द्वारा किराये की सीमा तय नहीं की गई थी, इसलिए वह जोहान्सबर्ग के मामले में लागू किराये की सीमा का अनुकरण कर रहा था। इसने आगे बताया कि दक्षिण अफ्रीका (जोहान्सबर्ग सहित) की सभी चारों जगहों के लिए किराये की सीमा में संशोधन हेतु मामला मंत्रालय को प्रेषित किया गया था। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि जहां मंत्रालय द्वारा किराये की सीमा तय नहीं की गई थी वहां मिशन, प्रमुख प्रत्यायोजित शक्तियों के अनुसार मात्र 920 अमेरिकी डालर प्रतिमाह तक व्यय कर सकता था।

मामला मई 2006 में मंत्रालय को प्रेषित किया गया था; अनुस्मारक के बावजूद उनका उत्तर दिसम्बर 2006 तक प्रतीक्षित था।

7.1.4 विदेश में भारत सरकार के प्रतिनिधियों की वित्तीय शक्तियों की अनुसूची की मद सं. 4(क) के द्वारा मिशनों के प्रमुख को सरकारी स्वामित्व वाले भवनों/सम्पत्ति की मरम्मत और अनुरक्षण पर व्यय करने की शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं। इस प्रत्यायोजन के अनुसार, मिशनों के प्रमुख इस संबंध में चांसरी के लिए अधिकतम 19270 अमेरिकी डालर प्रतिवर्ष, दूतावास आवास के लिए 11560 अमेरिकी डालर प्रतिवर्ष, प्रतिनिधित्वमूलक संवर्ग अधिकारी (प्र.स.अ.) के स्वतंत्र निवास स्थान के लिए 4620 अमेरिकी डालर प्रतिवर्ष तथा स्टाफ सदस्यों के आवासों के लिए 2310 अमेरिकी डालर प्रतिवर्ष का व्यय वहन कर सकते हैं। मद सं. 4 के नीचे दी गई टिप्पणी के अनुसार, मुख्य संरचनात्मक मरम्मत और नवीनीकरण से सम्बंधित प्रस्ताव, मंत्रालय के पूर्वानुमोदन हेतु प्रेषित किये जाने होते हैं।

तीन मिशनों की लेखापरीक्षा जांच (मई-जून 2006) से प्रकट हुआ कि उन्होंने अपनी वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन का उल्लंघन किया और भवनों/आवासों की मरम्मत और अनुरक्षण पर 1.39 करोड़ रु. का अप्राधिकृत व्यय किया जिसे नीचे दर्शाया गया है:

माहे स्थित मिशन

मिशन ने कार्यालय भवन और आवासीय परिसर के नवीनीकरण और मरम्मत का कार्य, जिसमें महत्वपूर्ण संरचनात्मक बदलाव शामिल था, 1.11 करोड़ रु. के समकक्ष 0.252 मिलियन अमेरिकी डालर की लागत पर ठेकेदार को मंत्रालय के अनुमोदन के बिना प्रदान किया गया (मार्च 2005)। उसने कार्योंतर संस्वीकृति हेतु मार्च 2005 में मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा था जिसे जून 2006 तक मंजूरी नहीं दी गई थी। इस बीच में, मिशन ने अगस्त 2005 तक ठेकेदार को 84.22 लाख रु. के समकक्ष 0.192 मिलियन अमेरिकी डालर का भुगतान कर दिया था और 90 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका था। इसके बाद, सैशैल्स सरकार के अनुरोध पर कार्य रोक दिया गया था क्योंकि वे मार्गाधिकार के संबंध में मिशन के विरुद्ध एक पड़ोसी की दर्ज शिकायत की जांच पड़ताल कर रहे थे।

इस प्रकार, मिशन द्वारा वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन का उल्लंघन करने का परिणाम 2004-06 के दौरान 84.22 लाख रु. के अप्राधिकृत व्यय में हुआ।

रियाद स्थित मिशन

वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन के अनुसार मिशन सम्पूर्ण सम्पत्ति (सा.सं.अ. के 9 आवास स्थानों और स्टाफ के 32 आवासों को शामिल करते हुए) की मरम्मत और अनुरक्षण पर 2002-03 और 2003-04 के दौरान क्रमशः 70.31 लाख रु. तथा 66.54 लाख रु. के समकक्ष 146330 अमेरिकी डालर प्रतिवर्ष का व्यय कर सकता था। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय ने 2002-03 और 2003-04 के दौरान साफ-सफाई, भू-दृश्य संविदा और विद्युत यान्त्रिकी संविदा के व्यय के संबंध में क्रमशः 50 लाख रु. तथा 47.56 लाख रु. का व्यय अनुमोदित किया था। इस प्रकार, मिशन 2002-03 और 2003-04 के दौरान कुल 1.20 करोड़ रु. तथा 1.14 करोड़ रु. का व्यय कर सकता था, जिनके प्रति उसने क्रमशः 1.36 करोड़ रु. और 1.28 करोड़ रु. व्यय किये थे। अपनी प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों तक अपने व्यय को सीमित न करने के कारण मिशन ने 2002-04 के दौरान 30.00 लाख रु. का अप्राधिकृत व्यय किया।

कोलम्बो स्थित मिशन

मिशन ने मंत्रालय का अनुमोदन प्राप्त किये बिना मुख्य संरचनात्मक बदलाव सहित चांसरी भवन और स्टाफ क्वार्टरों के नवीकरण (आर.सी.सी. स्लैब क्षेत्र का जलसह का कार्य और बाहरी दीवारों का संरक्षात्मक लेप आदि) का कार्य एक ठेकेदार को 25.34 लाख रु. के समकक्ष 58.22 लाख श्रीलंकाई रु. की लागत पर आंबटित किया (मार्च 2005)। कार्य जनवरी 2006 में पूर्ण किया गया और जनवरी 2006 तक ठेकेदार को कुल 24.89 लाख रु. का भुगतान किया गया था। 19.27 लाख रु. का व्यय करने के

उपरान्त ही मिशन ने मंत्रालय के पास कार्योत्तर अनुमोदन की मंजूरी का प्रस्ताव भेजा था (अगस्त 2005)। प्रत्युत्तर में मंत्रालय ने पाया (नवम्बर 2005) कि औपचारिक संस्वीकृति के बिना प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों का बढ़ाना आपत्तिजनक था। मंत्रालय का अनुमोदन अक्टूबर 2006 तक प्रतीक्षित था।

इस प्रकार, मिशन द्वारा प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों के उल्लंघन का परिणाम 24.89 लाख रु. के अप्राधिकृत व्यय में हुआ।

मंत्रालय ने बताया (दिसम्बर 2006) कि वह संबंधित मिशनों से पूरा विवरण प्राप्त कर रहा था और इसके अतिरिक्त स्पष्टीकरण प्राप्त होने के उपरान्त अप्राधिकृत व्यय को नियमित करने की संभावना की जांच की जाएगी।

उपरोक्त मामले विदेश में मिशनों में कमजोर और अप्रभावशाली व्यय नियंत्रण एवं मानीटरिंग को दर्शाते हैं। मंत्रालय को उपरोक्त मिशनों द्वारा अपने अनुदेशों का उल्लंघन करने हेतु उत्तरदायित्व निर्धारित करने की आवश्यकता है।

7.2 आकस्मिकता प्रदत्त स्टाफ की नियुक्ति पर अप्राधिकृत व्यय

विदेश में मिशनों और केन्द्रों ने स्थानीय स्तर भर्ती किए गए स्टाफ के रोजगार को अधिशासित करने वाले नियमों और विनियमों के उल्लंघन में आकस्मिकता प्रदत्त स्टाफ और स्थानीय स्टाफ की नियुक्ति को जारी रखा जिसका परिणाम 4.67 करोड़ रु. के अप्राधिकृत व्यय में हुआ।

सामान्य वित्तीय नियमावली के नियम 6 के अनुसार कोई भी प्राधिकारी ऐसा कोई व्यय वहन नहीं कर सकता या देयता नहीं ले सकता जिसमें सरकारी लेखे का व्यय सम्मिलित हो जब तक कि ऐसा व्यय सरकार अथवा किसी प्राधिकारी, जिसे शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हो, के सामान्य या विशेष आदेशों द्वारा स्वीकृत न किया गया हो। अतः कोई भी प्राधिकारी पदों को संस्वीकृत करने वाले सक्षम प्राधिकारी की विशिष्ट स्वीकृति के बिना वेतन के भुगतान पर व्यय नहीं कर सकता।

इसके अतिरिक्त भारत सरकार के विदेशी प्रतिनिधियों की वित्तीय शक्तियों की अनुसूची-I की मद संख्या 12 में प्रावधान है कि मिशनों और केन्द्रों के प्रधान (मि.प्र./के.प्र.) केवल आकस्मिक कार्य के लिए आकस्मिकता प्रदत्त स्टाफ (वर्ग-IV) लगा सकते हैं। इसमें नियमित प्रकृति के कार्य अथवा नियमित स्थापना पर वहन किये जाने वाले रिक्त पदों के प्रति नियुक्त किये गये कर्मचारियों को आकस्मिकता से भुगतान पर रोक है।

मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी आदेश उनकी नियुक्ति पर निम्नलिखित प्रतिबंध भी लगाते हैं :

- उनकी नियुक्ति छः माह से अधिक नहीं होनी चाहिए;
- उनकी नियुक्ति के प्रत्येक दिन के लिए स्थानीय पदों के लिए निर्धारित न्यूनतम वेतनमान के एक-तीसवें के बराबर वेतन का भुगतान किया जाना चाहिए; और
- वे जीवन निर्वाह सूचकांक के आधार पर किसी अर्जित अवकाश, बोनस, वेतन वृद्धि और समायोजनों के हकदार नहीं होंगे।

भारत के नियंत्रण-महालेखापरीक्षक को आनुक्रमिक प्रतिवेदनों¹ ने विभिन्न मिशनों और केन्द्रों द्वारा वित्तीय शक्तियों की अनुसूची I और मंत्रालय के अनुदेशों के उल्लंघन को उजागर किया है। जनवरी 2001, मई 2002 और दिसम्बर 2004 में प्रस्तुत की गई कार्रवाई टिप्पणियों में मंत्रालय ने बताया था कि मिशनों और केन्द्रों को नियमों और विनियमों के पालन की आवश्यकता पर जोर देने के लिए अनुदेश जारी किए थे जिसके न मानने पर चूककर्ता अधिकारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा।

तथापि, लेखापरीक्षा संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि इस सम्बन्ध में पिछली लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों और मंत्रालय द्वारा जारी अनुदेशों के बावजूद रियाद, दुबई, जोहान्सबर्ग, बहरीन, ट्यूनिश, लुआन्डा, जेद्दाह, लागोस, गेब्रोन, प्रिटोरिया, लुसाका, मनीला, कीव, एथेन्स, बर्मिंघम, बेलग्रेड तथा हेग स्थित मिशनों ने नियमों और अनुदेशों की अवहेलना जारी रखी और लम्बी अवधि के लिए नियमित प्रकृति के कार्य के लिए आकस्मिकता प्रदत्त स्टाफ की नियुक्ति जारी रखी तथा मंत्रालय के अनुमोदन के बिना उन्हें उच्चतर मजदूरी का भुगतान किया गया। इन अनियमिताओं के परिणामस्वरूप मिशनों और केन्द्रों ने 4.67 करोड़ रु. का अप्राधिकृत व्यय किया जिसका विवरण अनुबन्ध-क दर्शाया गया है।

मंत्रालय ने बताया (अगस्त 2006) कि दुबई, जोहान्सबर्ग, ट्यूनिश, जेद्दाह तथा लागोस स्थित मिशनों को उनके द्वारा किए गए व्यय के विवरण प्रस्तुत करने को कहा गया था तथा लुआण्डा स्थित मिशन को अपने उत्तर को अति शीघ्र भेजने हेतु स्मरण कराया गया था। बहरीन, प्रिटोरिया तथा लुसाका स्थित मिशनों के संबंध में मंत्रालय ने बताया कि उसके सम्पत्ति-I अनुभाग से आवश्यक कार्रवाई हेतु आग्रह किया था। उसने आगे बताया कि गेब्रोन के संबंध में व्यय को नियमित किया जा रहा था तथा मंत्रालय के सलाहकार, पासपोर्ट एवं वीजा (स.पा.वी.) अनुभाग एवं पदों का सृजन एवं अनुवर्तन (प.सृ.अ.) प्रभाग ने क्रमशः रियाद एवं मनीला स्थित मिशनों के संबंध में आवश्यक कार्रवाई हेतु आग्रह किया था। मंत्रालय ने आगे बताया (नवम्बर 2006) कि कीव, बर्मिंघम, बेलग्रेड एवं हेग (एथेन्स के अलावा) स्थित मिशनों ने मामला उनके सामने उठाया है तथा

¹ भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के संघ सरकार-सिविल के प्रतिवेदन (1999 की सं. 2) का पैराग्राफ सं. 4.1.1, प्रतिवेदन (2000 की सं. 2) का पैराग्राफ 8.6, प्रतिवेदन (2002 की सं. 2) का पैराग्राफ 9.2, प्रतिवेदन (2003 की सं. 2) का पैराग्राफ सं. 4.1 प्रतिवेदन (2004 की सं. 2) का पैराग्राफ सं. 2.3 तथा प्रतिवेदन (2006 की सं. 2) का पैराग्राफ सं. 4.2

अतिरिक्त स्टाफ की संस्वीकृति की मांग की है। उसने यह भी बताया कि मामला मंत्रालय के विभिन्न प्रभागों/अनुभागों के साथ उठाया गया है।

मंत्रालय अपने आदेशों की अवहेलना हेतु उत्तरदायित्व निर्धारित करे। मंत्रालय द्वारा सामान्य ढंग से कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान करना केवल मिशनों द्वारा अप्राधिकृत कार्रवाई को ही बढ़ावा देगा।

7.3 लेखन सामग्री की खरीद पर अप्राधिकृत व्यय

17 मिशनों द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियों पर लगाई गई सीमाओं का उल्लंघन करने का परिणाम लेखन सामग्री की खरीद पर 1.57 करोड़ रु. के अप्राधिकृत व्यय में हुआ।

विदेश में भारत सरकार के प्रतिनिधियों की वित्तीय शक्तियों की अनुसूची I की मद सं. 26 के अनुसार, 2001-02 से सं.रा.अ. और यू.के. के मिशनों के प्रमुखों के अतिरिक्त अन्य मिशनों के प्रमुखों को लेखन सामग्री, भंडार और मुद्रित सामग्रियों की खरीद पर अधिकतम 3850* अमेरिकी डालर का व्यय करने की अनुमति थी।

2002-03 से 2005-06 के दौरान 17 मिशनों के अभिलेखों की नमूना जाँच से उजागर हुआ कि इन मिशनों ने लेखन सामग्रियों पर प्रत्यायोजित शक्तियों से अधिक 1.57 करोड़ रु. का अप्राधिकृत व्यय किया जैसा कि अनुबन्ध-ख में विवरण दिया गया है। अन्य मिशनों की तुलना में भारतीय दूतावास रियाद, भारतीय उच्चायोग कोलम्बो और भारतीय उच्चायोग ढाका का अतिरिक्त व्यय असामान्य रूप से अधिक था। पिछले चार वर्षों (2002-06) के दौरान भारतीय दूतावास रियाद ने लेखन सामग्री की खरीद पर 1.72 लाख रु. से 1.85 लाख रु. की प्रत्यायोजित शक्तियों के प्रति 10.26 लाख रु. से 23.50 लाख रु. के बीच व्यय किया।

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति के प्रत्युत्तर में मंत्रालय ने बताया (नवम्बर 2006) कि माले और बैंकाक के मिशनों द्वारा किए गए अधिक व्यय नियमित किए जा चुके थे। उसने आगे बताया कि शेष 15 मिशनों से अपेक्षित सूचना/स्पष्टीकरण प्रतीक्षित थे, जिन्हें अपने प्रत्युत्तर शीघ्र देने को कहा गया था। मामले मंत्रालय द्वारा लेखन सामग्री के असंयमित उपयोग पर नियंत्रण, उचित सीमाओं का निर्धारण तथा उन्हें सख्ती से लागू करने की जरूरत को दर्शाते हैं। अधिक व्यय का सामान्य तरीके से नियमन, वित्तीय अपव्यय को ही बढ़ावा देगा।

* मार्च 2003, 2004, 2005 एवं 2006 की विनिमय दरों को लेते हुए क्रमशः 2002-03 में 1,84,993 रु., 2003-04 में 1,75,060 रु., 2004-05 में 1,69,554 रु., 2005-06 में 1,71,787 रु. के तुल्य

7.4 संतान शिक्षा भत्ता के अंतर्गत अग्राह्य मदों की अवसूली

इस्लामाबाद, यंगून एवं बैंकाक स्थित मिशन विद्यालयों द्वारा प्रभारित तथा सरकार द्वारा वहनित शिक्षा शुल्क में शामिल पूंजीगत शुल्क/द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी शुल्क की वसूली में विफल रहे जिसका परिणाम 2 से 3 वर्षों हेतु इन मिशनों के 30 कर्मचारियों के प्रति 57.68 लाख रु. के बकाया रहने में हुआ।

भारतीय विदेश सेवा (वेतन, अवकाश, प्रतिपूर्ति भत्ता) [भा.वि.से. (वे.अ.प्र.भ.) नियमावली के अनुबंध VII के अनुसार, भारत सरकार विदेशों में मिशनों/केन्द्रों में नियुक्त भारतीय आधारित कर्मचारियों के संतानों की शिक्षा हेतु विद्यालय/शिक्षा शुल्क, प्रवेश शुल्क, पंजीकरण शुल्क, परीक्षा शुल्क, प्रयोगशाला/विज्ञान शुल्क एवं कम्प्यूटर शुल्क के भुगतान हेतु उत्तरदायी है। पूंजीगत शुल्क या भवन निधि का भुगतान तथा द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी (द्वि.भा.अं.) शुल्क की प्रतिपूर्ति केवल मंत्रालय के पूर्व अनुमोदन पर ही स्वीकार्य है।

तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया (मई-जून 2006) कि तीन मिशनों ने 30 कर्मचारियों से सरकार द्वारा वहन किये गये शिक्षा शुल्क में शामिल पूंजीगत शुल्क/द्वि.भा.अं शुल्क के 57.68 लाख रु. की वसूली नहीं की जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

(लाख रुपयों में)

क्र. सं.	मिशन/केन्द्र का नाम	अवधि	वसूली योग्य कुल राशि		कर्मचारियों की संख्या
			स्थानीय मुद्रा	भारतीय मुद्रा	
1.	भा.दू., इस्लामाबाद	अप्रैल 2004 से मार्च 2006	74580* अमेरिकी डालर	32.85	19
2.	भा.दू., यंगून	सितम्बर 2004 से सितम्बर 2005	24000* अमेरिकी डालर	10.57	4
3.	भा.दू., बैंकाक	अप्रैल 2003 से मार्च 2006	1252260@ भाट	14.26	7
	योग			57.68	30

मंत्रालय ने बताया (अक्टूबर 2006) कि उसने भारतीय दूतावास, यंगून के संबंध में पूंजीगत शुल्क को नियमित कर दिया गया था। उसने आगे बताया कि भारतीय दूतावास, बैंकाक का मामला 'नियमितीकरण' की प्रक्रिया के अधीन है तथा भारतीय दूतावास, इस्लामाबाद को खर्च के नियमितीकरण हेतु विस्तृत प्रस्ताव भेजने की सलाह दी गई थी। उसने आगे कहा कि तीनों मिशनों को संतान शिक्षा भत्ता के अंतर्गत अग्राह्य मदों के संबंध में मंत्रालय से उचित अनुमोदन के बिना खर्च नहीं करने की कड़ी सलाह

* मार्च 2005 में प्रचलित 1 अमेरिकी डॉलर = 44.04 रु. की सरकारी विनिमय दर

@ 1 रु. = 0.878 भाट की औसत दर के समकक्ष

दी गई थी। विद्यमान नियमों के अनुसार संबंधित अधिकारियों से राशि वसूलने के बजाय अनियमितता के नियमितीकरण की मंत्रालय की कार्रवाई मिशनों में वित्तीय अनुशासनहीनता को ही बढ़ावा देगी। मंत्रालय आवश्यक वसूलियां प्रभारित करे तथा ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति से बचने के लिए चूक हेतु दायित्व निर्धारित करे।

7.5 सेल्यूलर फोन पर अनियमित व्यय

सात भारतीय मिशनों ने अनधिकृत कर्मचारियों द्वारा उपयोग हेतु सेल्यूलर फोन खरीदे तथा मंत्रालय के अनुदेशों के उल्लंघन में किराये, कॉल प्रभार आदि पर आवर्ती व्यय किया जिसका परिणाम 2000-06 के दौरान 1.22 करोड़ रु. के अनियमित व्यय में हुआ।

भारत सरकार (वित्त मंत्रालय) ने जनवरी 2003 में सचिवों को तथा जनवरी 2004 में संयुक्त सचिवों को किराये और कॉल प्रभार पर व्यय की मासिक अधिकतम सीमा क्रमशः 1500 रु. तथा 500 रु. के अधीन सेल्यूलर फोन की सुविधा की अनुमति दी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि निम्नलिखित सात मिशनों ने या तो अनधिकृत कर्मचारियों को सेल्यूलर फोन उपलब्ध कराए अथवा मंत्रालय के अनुमोदन के बिना फोन खरीदे। इन फोनों की खरीद तथा किराये और कॉल प्रभार पर अनियमित व्यय का विवरण नीचे दिया गया है:

(लाख रुपयों में)

क्र. सं.	मिशन का नाम	व्यय	अवधि	अनियमितता की प्रकृति
1.	ढाका	2.21	2004-06	अनधिकृत कर्मचारियों को 17 सेल्यूलर फोन (9 चालकों सहित) उपलब्ध कराए गए थे।
2.	इस्लामाबाद	5.80	2004-06	मंत्रालय द्वारा संस्वीकृति 12 सेल्यूलर फोनों के प्रति मिशन 26 सेल्यूलर फोनों का प्रचालन कर रहा था।
3.	कोबे	5.15	2001-06	मंत्रालय के अनुमोदन के बिना एक सेल्यूलर फोन खरीदा गया था।
4.	रियाद	17.22	2001-05	अनधिकृत कर्मचारियों को 12 सेल्यूलर फोन उपलब्ध कराए गए थे।
5.	टोक्यो	2.42	2005-06	अनधिकृत कर्मचारियों को 5 सेल्यूलर फोन उपलब्ध कराए गए थे।
6.	लन्दन	83.93	2000-05	मंत्रालय के अनुमोदन के बिना सेवा प्रदाता से 38 सेल्यूलर फोन पर काल प्रभार और किराया मुफ्त प्राप्त किए गए।
7.	पेरिस	5.21	2004-05	मंत्रालय के अनुमोदन के बिना खरीदे गये 11 सेल्यूलर फोन पर काल प्रभार एवं किराये।
	योग	121.94		

सेल्यूलर फोनोनों पर मंत्रालय के स्पष्ट निर्देशों के अपालन का परिणाम 2000-2006 के दौरान 1.22 करोड़ रु. के अनियमित व्यय में हुआ।

मंत्रालय ने बताया (अक्टूबर 2006) कि यद्यपि लेखापरीक्षा द्वारा प्रकाश में लाये गये अधिकतर मामलों में, सम्बन्धित मिशनों/केन्द्रों ने उससे कार्यान्तर नियमितीकरण के लिए सम्पर्क किया था, लेकिन प्रस्ताव संसाधित नहीं हो सके थे, क्योंकि वित्त मंत्रालय ने कार्यान्तर संस्वीकृति हेतु प्रस्ताव को, मंत्रालय के विदेशों में मिशनों/केन्द्रों को सेल्यूलर फोन उपलब्ध कराने की एक नीति का सूत्रीकरण किए जाने तक, स्थगित रखने की सलाह दी थी (दिसम्बर 2003)। इसने आगे बताया कि सर्वत्र दुनिया में वर्तमान कार्य संस्कृति में सेल्यूलर फोन की सुविधा के बिना अधिकारियों के लिए आसानी और कुशलता से कार्य करना वस्तुतः असम्भव था। तथापि, तथ्य यह रहा है कि वित्त मंत्रालय द्वारा दिए गए सुझावों के तीन वर्षों के बाद भी मंत्रालय एक नीति को सूत्रबद्ध करने में विफल रही है जिसका परिणाम विदेश में मिशनों/केन्द्रों द्वारा इसके निर्देशों के निरन्तर उल्लंघन में हुआ। अनधिकृत कर्मचारियों द्वारा या अधिकृत अधिकारियों के लिए मंत्रालय द्वारा निर्धारित सीमा के बाहर सेल्यूलर फोन के उपयोग पर व्यय का कार्यान्तर नियमितीकरण सिर्फ वित्तीय अनुशासन को और क्षति पहुंचाएगा।

7.6 मू.व.क. वापसियों की गैर-वसूली

पांच मिशनों/केन्द्रों में मू.व.क. वापसियों के अपर्याप्त मानीटरिंग एवं अनुसरण के कारण 0.97 करोड़ रु. अवसूल रहे।

विदेश में राजनियक मिशन/केन्द्र, मिशनों/केन्द्रों के संचालन एवं रखरखाव के व्यय पर अदा किए गए मूल्य वर्धित कर (मू.व.क.) की वापसी के हकदार हैं। मिशनों/केन्द्रों से अदा किए गए मू.व.क. की राशि जो वापसी के लिए ग्राह्य है की पहचान, समय पर दावों को प्रस्तुत करने, अस्वीकृत दावों को आगे बढ़ाने तथा प्राप्त की गई वापसियों को प्रस्तुत दावों से मिलाने के लिए अभिलेखों के अनुसूक्षण अपेक्षित था।

अप्रैल 2001 से अप्रैल 2006 की अवधि के लिए पांच मिशनों/केन्द्रों की लेखापरीक्षा जांच से पता चला मू.व.क. वापसी दावों के गलत प्रस्तुतीकरण, मानीटरिंग एवं अनुसरण का परिणाम 0.97 करोड़ रु. की गैर वसूली में हुआ जिसका विवरण नीचे सारणी में दिया गया है:-

(करोड़ रुपयों में)

क्र. सं.	मिशन/केन्द्र	अवधि	राशि	टिप्पणियां
1.	भारतीय दूतावास, काठमांडू	अप्रैल 2004 से अप्रैल 2006	0.37	दावा प्रस्तुत किया परन्तु उसका अनुसरण नहीं किया।
2.	भारत का महाकांसुलावास,	अप्रैल 2003 से मार्च 2006	0.01	दावा प्रस्तुत नहीं किया था

(करोड़ रुपयों में)

क्र. सं.	मिशन/केन्द्र	अवधि	राशि	टिप्पणियां
	चियांगमाई, थाईलैंड			
3.	भारतीय उच्चायुक्त, दार-ए-सलाम	अप्रैल 2004 से मार्च 2006	0.06	दावा प्रस्तुत किया परन्तु उसका अनुसरण नहीं किया।
4.	भारत का महाकांसुलावास, डरबन	अप्रैल 2001 से नवम्बर 2005	0.52	दावा प्रस्तुत किया परन्तु उसका अनुसरण नहीं किया।
5.	भारतीय दूतावास, अल्जीयर्स	नवम्बर 2005 से फरवरी 2006	0.01	दावा प्रस्तुत नहीं किया था
		योग	0.97	

मामला लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर दार-ए-सलाम स्थित मिशन ने बताया (मई 2006) कि मू.व.क. की अतिशीघ्र वापसी हेतु प्रयास किए जा रहे थे। अल्जीयर्स स्थित मिशन ने बताया कि उसने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को दर्ज कर लिया था तथा मू.व.क. की वापसी के दावे आरम्भ कर दिए थे।

मामला मंत्रालय को जुलाई 2006 में प्रेषित किया गया था; अनुस्मारकों के बावजूद उनका उत्तर दिसम्बर 2006 तक प्रतीक्षित था।

7.7 संयुक्त स्थानान्तरण अनुदान का अनियमित भुगतान

मंत्रालय ने भारत सरकार के आदेशों और स्वयं अपने नियमों का उल्लंघन करते हुए वार्षिक हज तीर्थ यात्रा के दौरान 2 से 3 माह के लिए अस्थायी प्रतिनियुक्ति पर चुने गये कर्मचारियों को एक माह के मूल वेतन के बराबर संयुक्त स्थानान्तरण अनुदान का भुगतान किया जिसका परिणाम 2003-05 के दौरान 93.61 लाख रु. के अनियमित भुगतान में हुआ। इसके अतिरिक्त मंत्रालय ने अधिक अदा की गई राशि की वसूली करने की बजाय वहनित व्यय की कार्योत्तर मंजूरी प्रदान की जो कि घोर अनियमित थी।

1 अक्टूबर 1997 से संशोधित और मंत्रालय द्वारा भारतीय विदेश सेवा (वे.अ.प्र.अ.) नियमावली, 1961 के अनुबंध XV में समाविष्ट यात्रा भत्ता (या.भ.) नियमावली के अनुसार सरकारी कर्मचारी को अन्य चीजों पर व्यय के साथ-साथ जिस स्टेशन से उसका स्थानान्तरण हुआ है, से अपनी स्थापना तोड़ने पर तथा जहां उसका स्थानान्तरण किया गया है, पर अपनी गृहस्थी स्थापित करने हेतु मंहगाई वेतन सहित एक माह के मूल वेतन के समकक्ष संयुक्त स्थानान्तरण अनुदान देय है।

लेखापरीक्षा ने पाया (जून 2005) कि मंत्रालय वार्षिक हज तीर्थ यात्रा के दौरान प्रतिवर्ष भारत के महाकांसुलावास, जेद्दाह हेतु 2-3 महीनों की 'अस्थायी प्रतिनियुक्ति' के लिए चिकित्सकों/सहायकों, हज अधिकारियों, हज सहायकों आदि का चयन करता है।

चयनित अधिकारियों को अपने खर्चे पर भी अपने साथ पति/पत्नी सहित अपने परिवार के किसी भी सदस्य को ले जाने की अनुमति नहीं है। अतः आवास में कोई परिवर्तन अथवा स्थापना का टूटना शामिल नहीं है और इसलिए या.भ. नियमों के अंतर्गत इन मामलों में चयनित अधिकारी किसी संयुक्त स्थानान्तरण अनुदान के पात्र नहीं हैं। तथापि, यह पाया गया कि नियमों के विरुद्ध मंत्रालय ने इन अधिकारियों को एक माह के मूल वेतन के बराबर संयुक्त स्थानान्तरण अनुदान प्रदान किया जिसका परिणाम 2003-05 के दौरान 93.61 लाख रु. के अनियमित भुगतान में हुआ।

मामला लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर मंत्रालय ने वर्ष 2006 से हज के लिए जेद्दाह भेजे गये चिकित्सक और अन्य प्रतिनियुक्तों को संयुक्त स्थानान्तरण अनुदान का भुगतान बन्द कर दिया (मार्च 2006)। मंत्रालय को उपरोक्त अवधि सहित पूर्व वर्षों में किए गये संयुक्त अनुदान के अनियमित भुगतान की वसूली के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए।

मंत्रालय ने आगे बताया (नवम्बर 2006 तथा जनवरी 2007) कि सक्षम प्राधिकारी, अपर सचिव (वित्तीय सलाहकार) ने 2003-05 के दौरान हज के लिए चयनित अधिकारियों को संयुक्त स्थानान्तरण अनुदान के भुगतान पर व्यय को वहन करने का कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया है। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि वित्तीय शक्ति नियमावली के प्रत्यायोजन के नियम 17 के नीचे भारत सरकार के निर्णय सं.1 के अनुसार, जन सेवक को अधिक अदा की गई प्रत्येक राशि को जनता से लिए गए ऋण के रूप में समझा जाना चाहिए तथा इसकी वसूली के लिए सभी संभव कार्रवाई करनी चाहिए। जहां वसूली संभव न हो जैसे अपवादात्मक मामलों में उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा अधिक अदायगी को माफ किया जा सकता है। तथापि, वर्तमान मामले में मंत्रालय द्वारा ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके विपरीत, मंत्रालय ने बताया (जनवरी 2007) कि संलग्न कार्मिक पूरे देश में फेले हुए हैं तथा विभिन्न संगठनों से संबंधित हैं। उसने यह भी बताया कि जो व्यक्ति उन वर्षों के दौरान प्रतिनियुक्ति पर थे उनकी वर्तमान तैनाती को प्रकाशित करने वाला कोई आंकड़ा विद्यमान नहीं है। इस तर्क को स्वीकार करना कठिन है कि प्रतिनियुक्ति के लिए चुने गए कार्मिकों के अभिलेख उपलब्ध नहीं हैं अथवा उनकी पुनर्चना नहीं की जा सकती। इस मामले में कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान करने की मंत्रालय की कार्रवाई को रद्द करने की आवश्यकता है।

7.8 त्रुटिपूर्ण आन्तरिक नियंत्रण तंत्र

मंत्रालय/थिम्पू मिशन में प्रभावी आन्तरिक नियंत्रण तंत्र की संस्थापना न करने का परिणाम एक विद्युत शक्ति परियोजना हेतु भूटान शाही सरकार को 6.57 करोड़ रु. अधिक जारी करने में हुआ। मंत्रालय ने इसी उद्देश्य हेतु मिशन को 67.99 करोड़ रु. का दोहरा प्रेषण किया और एक अन्य उद्देश्य हेतु 22.99 करोड़ रु. अधिक जारी किए। इन दृष्टांतों का परिणाम संघ सरकार की उधार दर पर परिकलित 58.00 लाख रु. की हानि में हुआ।

भारत सरकार, भूटान शाही सरकार (भू.शा.स.) को विद्युत शक्ति सहित विभिन्न विकासात्मक क्षेत्रों में वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। ल्हुएंत्से जॉंगखाग में विद्युत शक्ति की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने हेतु और विद्युत आपूर्ति की विश्वसनीयता में सुधार हेतु नवम्बर 2000 में 22.54 करोड़ रु. के समकक्ष 225.367 मिलियन एन.यू. की अनुमानित लागत पर किलीखार से ल्हुएंत्से तक 132 के.वी. एकल परिपथ प्रवाह लाइन का निर्माण आरम्भ किया। मंत्रालय ने अपने थिम्पू के मिशन के जरिए परियोजना हेतु निधियां जारी कीं। निधियां जारी करते हुए मंत्रालय ने मिशन को पहले जारी निधियों के उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त होने के उपरान्त ही भू.शा.स. को निधियां जारी करने का निर्देश दिया।

लेखापरीक्षा ने पाया (जुलाई 2005) कि भू.शा.स. ने दिसम्बर 2003 में 15.96 करोड़ रु. की कुल लागत पर परियोजना पूर्ण की थी जिसके प्रति मिशन ने अक्टूबर 2003 तक 13.37 करोड़ रु. जारी किए थे। अतः 2.59 करोड़ रु. की बकाया सहायता भू.शा.स. को देय थी। तथापि, मंत्रालय ने मिशन को 9.16 करोड़ रु. जारी किए (जनवरी 2004) जिसने इसे 10 फरवरी 2004 को भू.शा.स. को जारी कर दिया जिसका परिणाम 6.57 करोड़ रु. अधिक जारी करने में हुआ। यह निधि जिसका परिणाम एक वर्ष से अधिक अवधि हेतु सरकारी लेखे से बाहर रही जिसका परिणाम 8.8 (2003-04 के दौरान) और 8.4 प्रतिशत (2004-05 के दौरान) की संघ सरकार की उधार दर पर परिकलित 58.00 लाख रु. की ब्याज की हानि में हुआ। तब अधिक राशि का उपयोग विद्युत शक्ति क्षेत्र में नौवीं योजना की स्वीकृत एक भारत सरकार से सहायता प्राप्त किसी भी परियोजना में करने का निर्णय लिया गया जहां प्रारम्भ में सम्मत निधियां पर्याप्त नहीं थीं। अन्त में, मार्च 2005 में जाकर ही प्रथम परियोजना मानीटरिंग समिति ने अपनी बैठक में 6.57 करोड़ रु. की अधिक जारी निधियों का भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित तीन अन्य विद्युत शक्ति परियोजनाओं हेतु विपथन अनुमोदित किया।

मामले को लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर, मिशन ने स्वीकार किया (नवम्बर 2005) कि यद्यपि परियोजना दिसम्बर 2003 में पूर्ण हो चुकी थी, अधिक निधियां जारी होने का

पता दिसम्बर 2004 में योजना संबंधी बातचीत के दौरान चला। यह मंत्रालय/मिशन द्वारा परियोजना की भौतिक/वित्तीय प्रगति के ऊपर कोई निगरानी रखे बगैर निधियां जारी करने की पुष्टि करता है।

लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि मंत्रालय में यह सुनिश्चित करने का प्रभावी नियंत्रण तंत्र नहीं था कि मिशन को दोहरा प्रेषण न हो अथवा निधियां वास्तविक आवश्यकता से अधिक जारी न हों। अभिलेखों की जांच से प्रकट हुआ कि तीन अवसरों पर (16 नवम्बर 2004, 31 दिसम्बर 2004 और 1 अप्रैल 2005) मंत्रालय ने एक ही उद्देश्य हेतु मिशन को दूसरी बार 25.09 करोड़ रु., 64.12 करोड़ रु. और 3.87 करोड़ रु. जारी किए। यद्यपि मिशन ने 64.12 करोड़ रु. और 3.87 करोड़ रु. के दोहरे प्रेषण की समस्त राशि क्रमशः 11 जनवरी 2005 और 11 मई 2005 को लौटा दी थी, इसने 25.09 करोड़ रु. के दोहरे प्रेषण की राशि में से अपनी आवश्यक जरूरतों हेतु 2.10 करोड़ रु. रखे और 22.99 करोड़ रु. की बकाया अधिक राशि मंत्रालय को 3 दिसम्बर 2004 को वापिस की। मामले को लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर, मिशन ने बताया (नवम्बर 2005) कि उसने प्रेषणों हेतु आग्रह नहीं किया था और वे मंत्रालय द्वारा बिना किसी मांग के प्रदान किए गए थे।

मंत्रालय ने बताया (जुलाई 2006) कि उसने परियोजना की कुल लागत को ध्यान में रखते हुए अपने आन्तरिक वित्त प्रभाग के अनुमोदन से निधियां जारी की थी। दोहरे प्रेषणों के संबंध में मंत्रालय ने बताया कि दोहरे प्रेषणों के संबंध में लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को दोहरे प्रेषणों से बचने के लिए नियंत्रण प्रक्रिया को सुप्रवाही बनाने हेतु नोट कर लिया गया था। अतः तथ्य यह रहा कि परियोजना की भौतिक/वित्तीय प्रगति को मानीटर करने हेतु किसी नियंत्रण तंत्र की गैर मौजूदगी तथा त्रुटिपूर्ण आन्तरिक नियंत्रण तंत्र, भू.शा.स. को अधिक निधियां जारी होने तथा मिशन को दोहरे प्रेषण का कारण बने।

7.9 लेखापरीक्षा दृष्टांत पर वसूली

विदेश में मिशनों/केन्द्रों द्वारा अपने कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों आदि के भुगतान के सम्बन्ध में नियम और कार्य प्रणाली की अनुपालना में असफल रहने का परिणाम 42 मिशनों द्वारा 104 मामलों में 36.14 लाख रु. के अधिक भुगतान में हुआ जिसकी लेखापरीक्षा के दृष्टांत पर 2004-06 के दौरान वसूली की गई।

विदेश में विभिन्न भारतीय मिशनों/केन्द्रों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा जांच के दौरान प्रकट हुआ कि मिशनों ने निर्धारित नियमों तथा कार्यप्रणालियों का उल्लंघन किया जिसका परिणाम उनके कर्मचारियों को वेतन और भत्तों, संतान शिक्षा भत्ता, यात्रा भत्ता और अन्य विविध भुगतानों के अधिक भुगतान में हुआ। लेखापरीक्षा के दृष्टांत पर वर्ष 2004-06 के दौरान 42 मिशनों/केन्द्रों ने 104 मामलों में 36.14 लाख रु. की अधिक अदायगी की वसूली की।

मंत्रालय ने बताया (अक्टूबर 2006) कि उसने विदेशों में सभी मिशनों/केन्द्रों को वित्तीय मामलों में निर्धारित नियमों तथा प्रक्रियाओं के सख्ती से अनुपालन और अपने कर्मचारियों को अधिक भुगतान न करने के निर्देश दिए थे। मिशनों को सभी प्रकार के अधिक भुगतानों से बचने तथा नियमों एवं प्रक्रियाओं का शब्दों एवं भावों में अनुकरण करने हेतु भी कहा गया था। तथापि, तथ्य यह है कि विदेशों में मिशन/केन्द्र पूर्व लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के बावजूद निर्धारित नियमों तथा प्रक्रियाओं का निरंतर उल्लंघन करते हैं। मंत्रालय ऐसे अधिक भुगतानों की पुनरावृत्ति के प्रति, निवारक रूप में कार्य करने हेतु उत्तरदायित्व निर्धारित करें।

7.10 अनियमित व्यय

मंत्रालय ने केन्द्रीय राज्य मंत्री के कार्यालय एवं आवास में फर्नीचर, उपस्कर तथा विद्युत उपकरण उपलब्ध कराने हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित उच्चतम सीमा का उल्लंघन किया और वर्ष 2002-04 के दौरान 30.84 लाख रु. का अनियमित व्यय वहन किया।

भारत सरकार (वित्त मंत्रालय) ने केन्द्रीय मंत्रियों (समस्त श्रेणियों) के कार्यालयों तथा उनके आवास के कार्यालय भाग में फर्नीचर और उपस्कर उपलब्ध कराने हेतु, उनके पूरे कार्यकाल के दौरान या पांच वर्षों के लिए, व्यय की विद्यमान 0.45 लाख रु. की उच्चतम सीमा को बढ़ाकर प्रत्येक हेतु 1.00 लाख रु. कर दिया (जून 1997)। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार (गृह मंत्रालय) ने केन्द्रीय राज्य मंत्री के आवास में किराया मुक्त फर्नीचर तथा विद्युत उपकरणों को उपलब्ध कराने के लिए 2.00 लाख रु. की उच्चतम सीमा निर्धारित की (मई 2004)। इस प्रकार, दो आदेशों को एक साथ लेने पर, एक केन्द्रीय राज्य मंत्री मात्र 4.00 लाख रु. के मूल्य के फर्नीचर, उपस्कर तथा विद्युत उपकरण हेतु अधिकृत है।

अभिलेखों की लेखापरीक्षा जांच से स्पष्ट हुआ (जनवरी 2006) कि दो केन्द्रीय राज्य मंत्रियों को उनके आवासों तथा कार्यालयों में फर्नीचर, उपस्कर तथा विद्युत उपकरणों को उपलब्ध कराते समय मंत्रालय ने वर्ष 2002-04 के दौरान इन मदों पर 8.00 लाख रु. की निर्धारित सीमा के विरुद्ध कुल 38.84 लाख रु. (24.12 लाख रु. और 14.72 लाख रु.) खर्च किए। परिणामतः मंत्रालय द्वारा निर्धारित अधिकतम सीमा के अतिरिक्त किया गया 30.84 लाख रु. का व्यय अनियमित था।

मामले को लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2006) कि राजनयिकों और विदेशी पदाधिकारियों के मंत्रियों के कार्यालय तथा उनके आवासों पर स्वागत तथा आतिथ्य सत्कार के शासकीय दायित्वों को ध्यान में रखते हुए पद की कार्यात्मक आवश्यकताओं के संदर्भ में व्यय निर्धारित सीमा से अधिक हुआ था। उसने यह भी बताया कि मंत्रियों को आपूर्ति की गई फर्नीचर/उपकरण की मदों में उनके

व्यक्तिगत कर्मचारियों को आपूर्ति की गई मदें भी शामिल थीं। उसने यह भी बताया कि चूंकि व्यय फर्नीचर के चल मदों पर किया गया था, जो बाद में उनके उत्तराधिकारियों द्वारा प्रयोग में लाया गया या दूसरे कार्यालयों में पुनःस्थापित किया गया, इन मदों को संबंधित मंत्रियों के व्यक्तिगत खर्च की जगह मंत्रालय की परिसम्पत्तियों के रूप समझा जाना चाहिए। उत्तर इस तथ्य की उपेक्षा करता है कि उच्चतम सीमा निर्धारित करते समय, भारत सरकार ने मंत्रियों के कार्यात्मक दायित्वों को ध्यान में रखा था और मंत्रालय परिसम्पत्ति अर्जित करने के आधार पर आदेशों का उल्लंघन नहीं कर सकता। इसके अतिरिक्त मंत्रालय द्वारा किये गये व्यय की गणना करते समय लेखापरीक्षा ने संबंधित मंत्रियों के व्यक्तिगत कर्मचारियों को निर्गत फर्नीचर/उपकरण को शामिल नहीं किया है। मंत्रालय ने आगे बताया (सितम्बर 2006) कि इसने अधिक व्यय को नियमित करने के लिए वित्त मंत्रालय का अनुमोदन प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव किया था और वित्त मंत्रालय के निर्णय से लेखापरीक्षा को अवगत करा दिया जाएगा। उसने यह भी बताया कि मंत्रालय केन्द्रीय मंत्रियों के कार्यालय/आवास की पुनः सजावट के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित उच्चतम सीमा के पालन हेतु प्रयत्न करेगा। इसलिए तथ्य यह है कि मंत्रालय ने भारत सरकार के आदेशों का उल्लंघन किया और 30.84 लाख रु. का अनियमित व्यय वहन किया।

अनुबंध-क

(पैराग्राफ सं. 7.2 के संदर्भ में)

आकस्मिकता प्रदत्त स्टाफ की नियुक्ति पर मिशनों और केन्द्रों द्वारा वहन किए गए अप्राधिकृत व्यय का विवरण

(लाख रुपयों में)

मिशन/केन्द्र	पद	अवधि	राशि	अनियमितता की प्रकृति
रियाद	लिपिक (पांच)	2002-05	48.02	मंत्रालय ने अनुमोदन के बिना नियमित कार्य के लिए आकस्मिकता प्रदत्त स्टाफ की नियुक्ति की गई।
दुबई	लिपिक	2003-04 से जून 2005	54.76	- वही -
जोहान्सबर्ग	लिपिक और सामाजिक सचिव	2003-05	9.70	- वही -
बहरीन	माली	दिसम्बर 1996 से जुलाई 2005	9.36	- वही -
ट्यूनिश	माली और नौकरानी	2001-05	8.28	- वही -
लुआन्डा	स्वागतकर्ता सह-टंकक, दुभाषिया और चालक	अगस्त 2002 से जून 2005 तक	6.36	- वही -
जेद्दाह	लिपिक और चालक (छः)	2003-05	3.87	- वही -
लागोस	लिपिक, टंकक और संवाहक	अगस्त 2001 से जून 2005	3.06	- वही -
गेन्नोन	लिपिक और स्वागतकर्ता	मई 2002 से अगस्त 2002 और दिसम्बर 2004 से मई 2005	0.71	- वही -
प्रिटोरिया	सफाई कर्मचारी	2002-03 से मई 2005	10.68	मिशन के पास स्थानीय सफाई कर्मचारी का एक नियमित पद था जो रिक्त पड़ा था। मंत्रालय के अनुमोदन के बिना मिशन ने आकस्मिकता प्रदत्त सफाई कर्मचारी की सेवाओं को किराये पर लेना जारी रखा।
लुसाका	माली (छः)	अप्रैल 2001 से मई 2005	5.25	माली के एक स्वीकृत पद के अतिरिक्त मिशन ने मंत्रालय के अनुमोदन के बिना आकस्मिकता आधार पर नियमित रूप से 6(छः) माली नियुक्त किये।
मनीला	लिपिक और सफाई कर्मचारी	2003-05	3.56	मिशन ने मंत्रालय के अनुमोदन के बिना नियमित कार्य के लिए आकस्मिकता प्रदत्त स्टाफ नियुक्त किया।

2007 का प्रतिवेदन संख्या 2

(लाख रुपयों में)

मिशन/केन्द्र	पद	अवधि	राशि	अनियमितता की प्रकृति
कीव	केयरटेकर	अक्तूबर 2002 से जनवरी 2006	5.18	मंत्रालय की अनुमति के बिना आकस्मिकता आधार पर दो केयरटेकर नियुक्त किए गए।
एथेन्स	लिपिक	जून 2004 से दिसम्बर 2004	2.35	अनुमोदन के बिना आकस्मिकता प्रदत्त सफाई कर्मचारी एवं लिपिक को किराये पर लिया गया था।
	सफाई कर्मचारी	अप्रैल 2004 से अक्तूबर 2005	7.44	
बर्मिंघम	आकस्मिकता प्रदत्त स्टाफ	अप्रैल 2003 से मार्च 2006	277.98	सलाहकार सेवा हेतु 11 से 19 आकस्मिकता प्रदत्त स्टाफ को किराये पर लिया गया था।
बेलग्रेड	माली	अप्रैल 2003 से मार्च 2006	5.34	अनुमोदन के बिना आकस्मिकता आधार पर माली को नियुक्त किया था।
हेग	लिपिक	फरवरी 2005 से जनवरी 2006	5.30	आकस्मिकता आधार पर लिपिक को नियुक्त किया था।
		योग	467.20	

अनुबन्ध-ख

(पैराग्राफ 7.3 के संदर्भ में)

मिशन द्वारा लेखन सामग्री की खरीद पर, प्रत्यायोजित शक्तियों से अधिक किये गये व्यय का विवरण

(लाख रुपयों में)

क्र. सं.	मिशन का नाम	वर्ष	किया गया व्यय	अनुज्ञेय सीमा	अधिक व्यय
1	भा.दू., आबू धाबी.	2004-05	5.00	1.70	3.30
		2005-06	3.27	1.72	1.55
2	भा.उ., कोलम्बो	2004-05	10.11	1.70	8.41
		2005-06	8.36	1.72	6.64
3	भा.उ., ढाका	2004-05	8.16	1.70	6.46
		2005-06	7.54	1.72	5.82
4	भा.दू., दोहा	2005-06	2.80	1.72	1.08
5	भा.म., डरबन	2002-03	2.69	1.85	0.84
		2003-04	4.68	1.75	2.93
		2004-05	6.09	1.70	4.39
		2005-06	3.36	1.72	1.64
6	भा.उ., कुआलालाम्पुर	2004-05	5.89	1.70	4.19
		2005-06	3.22	1.72	1.50
7	भा.दू., मस्कट	2004-05	3.81	1.70	2.11
		2005-06	3.73	1.72	2.01
8	भा.उ., नैरोबी	2003-04	2.77	1.75	1.02
		2004-05	3.98	1.70	2.28
		2005-06	3.06	1.72	1.34
9	भा.दू., रियाद	2002-03	23.50	1.85	21.65
		2003-04	21.14	1.75	19.39
		2004-05	12.70	1.70	11.00
		2005-06	10.26	1.72	8.54
10	भा.उ., सिंगापुर	2004-05	3.39	1.70	1.69
11	भा.म., सिडनी	2002-03	5.88	1.85	4.03
		2003-04	8.21	1.75	6.46
		2004-05	4.79	1.70	3.09
		2005-06	5.00	1.72	3.28
12	भा.दू., त्रिपोली	2004-05	2.16	1.70	0.46
		2005-06	1.76	1.72	0.04
13	भा.उ., इस्लामाबाद	2004-05	5.51	1.70	3.81
		2005-06	5.52	1.72	3.80
14	भा.दू., अल्जीरिया	2004-05	1.99	1.70	0.29

2007 का प्रतिवेदन संख्या 2

(लाख रुपयों में)

क्र. सं.	मिशन का नाम	वर्ष	किया गया व्यय	अनुज्ञेय सीमा	अधिक व्यय
15	भा.उ., माले	2004-05	2.16	1.70	0.46
16	भा.दू., काबुल	2004-05	3.51	1.70	1.81
		2005-06	5.00	1.72	3.28
17	भा.दू., बैंकाक	2002-03	3.97	1.85	2.12
		2003-04	3.37	1.75	1.62
		2004-05	3.27	1.70	1.57
		2005-06	3.09	1.72	1.37
		योग	224.70	67.43	157.27

अध्याय VIII : वित्त मंत्रालय

भारतीय रिजर्व बैंक

8.1 रिलीफ बांड 2002 को गलत रूप से निर्धारित सीमा से अधिक जारी करना

वैधता जांच का अभाव 8 प्रतिशत रिलीफ बांड 2002 के संदर्भ में निर्धारित सीमा से 127.70 करोड़ रु. अधिक निवेश की स्वीकृति तथा अधिक निवेश पर ब्याज के प्रति 51.08 करोड़ रु. की देयता का कारण बना।

वित्त मंत्रालय द्वारा वर्ष 1999 में 9 प्रतिशत रिलीफ बांड की एक जमा योजना आरंभ की गई। 2001 में ब्याज की दर घटाकर 8.5 प्रतिशत कर दी गई। वित्त मंत्रालय (मंत्रालय) ने दिनांक 28 फरवरी 2002 की अधिसूचना द्वारा ब्याज की दर को और घटाकर 8 प्रतिशत कर दिया तथा मार्च 2002 से निवेश की अधिकतम सीमा को प्रति निवेशक प्रति वर्ष दो लाख रु. तक सीमित कर दिया। मंत्रालय ने दिनांक 22 अप्रैल 2002 की अधिसूचना द्वारा सेवामुक्त होने वाले कर्मचारियों द्वारा किये गये निवेश की अधिकतम सीमा में निम्नलिखित शर्तों के अधीन छूट प्रदान की:-

- निवेश, नियोजक से पूर्ण एवं अंतिम भुगतान, की तिथि से तीन माह के अंदर किया गया हो, साथ में यह दर्शाने वाले समर्थक दस्तावेज हों कि निवेश सेवानिवृत्ति/अंतिम लाभ से किया गया।
- पुनर्निवेश के मामलों में, निवेशक के इस आशय के शपथ-पत्र के साथ जो इंगित करता हो कि प्रारम्भ में रिलीफ बांड में निवेशित निधि, सेवा निवृत्ति/अंतिम लाभों में से थी।

भारतीय रिजर्व बैंक (भा.रि.बैं.) भारत के विभिन्न राज्यों में लोक ऋण एवं लोक ऋण कार्यालयों (लो.ऋ.का.) की मानीटरिंग करने के लिए केन्द्रक अभिकरण के रूप में कार्य करता है तथा 8 प्रतिशत रिलीफ बांड 2002 के लेन-देन को मानीटर करता है। मई 2002 में, भा.रि.बैं. ने स्पष्ट किया कि एक व्यक्ति एच.यू.एफ. के कर्ता के रूप में 2 लाख रु. के अतिरिक्त 2 लाख रु. का निवेश कर सकता था। पूरे देश के विभिन्न लो.ऋ.का., लोक क्षेत्र बैंक एवं निजी बैंक उक्त बांड की राशि को संग्रहीत करने के लिए प्राधिकृत थे। अन्य सुझावों के साथ-साथ भा.रि.बैं. ने बैंकों को निवेशकों (व्यक्तिगत एवं कर्ता दोनों) से इस आशय का घोषणा पत्र प्राप्त करने हेतु सुझाव दिया (मई 2002) कि 2002-03 के दौरान बांडों में कुल निवेश दो लाख रु. से अधिक नहीं था

तथा निर्धारित उच्चतम सीमा से अधिक पाये गये निवेश की राशि पर कोई भी ब्याज देय नहीं था।

किन्तु 10 राज्यों में कम्प्यूटर समर्थित लेखापरीक्षा उपकरण (क.स.ले.प.उ.) के उपयोग करके भा.रि.बैं./अभिकरण बैंकों से संबंधित आंकड़ों का विश्लेषण करने पर प्रकट हुआ:-

- निवेश की अधिकतम सीमा संबंधी पद्धति में समुचित वैधता जांच का अभाव तथा प्रतिपूरक मानवीय जांच की विफलता/अस्तित्वहीनता का परिणाम 2573 मामलों में 127.70 करोड़ रु. की राशि के अधिक निवेश की स्वीकृति में हुआ।
- भा.रि.बैं. के दिशानिर्देशों के उल्लंघन में अधिक निवेश पर 8 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से 51.08 करोड़ रु. के ब्याज की देयता वहन की गई।
- भा.रि.बैं./अभिकरण बैंकों ने 322 मामलों में 5.31 करोड़ रु. का अधिक निवेश स्वीकृत किया था तथा ब्याज के कारण 0.41 करोड़ रु. की संभावित हानि से बचते हुए 108 मामलों से संबंधित 1.46 करोड़ रु. वापस किये (अगस्त 2006)।

मामला सितम्बर 2006 में मंत्रालय के ध्यान में लाया गया था; उनका उत्तर दिसम्बर 2006 तक प्रतीक्षित था।

आर्थिक कार्य विभाग

(बैंकिंग प्रभाग)

8.2 समय पूर्व निधियां जारी होने के परिणामस्वरूप उनका अप्रयोग

संसद में बैंकिंग विनियमन (संशोधन) बिल के पारित होने की प्रत्याशा में मंत्रालय ने “सहकारी साख ढांचे का पुनर्जीवन” योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (रा.कृ.ग्रा.वि.बैं.) को 31 मार्च 2003 को 100 करोड़ रु. जारी किये। फलस्वरूप, राशि तीन वर्षों के लिए अप्रयुक्त रही जिसका परिणाम 25.30 करोड़ रु. के ब्याज की हानि में हुआ।

भारत सरकार ने ग्रामीण साख पद्धति के कार्यकलापों के अध्ययन और उसके सुदृढीकरण के लिए उपाय सुझाने के लिए तत्कालीन उप राज्यपाल, भारतीय रिजर्व बैंक की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स समिति गठित की (अप्रैल 1999)। समिति ने अपनी रिपोर्ट जुलाई 2000 में प्रस्तुत की जिस पर तत्कालीन के वित्त राज्य मंत्री की अध्यक्षता के अधीन ‘सहकारी साख ढांचे को पुनर्जीवन समर्थन’ पर संयुक्त समिति द्वारा पुनः विचार किया गया। इन दो समितियों की अनुशंसाओं के आधार पर राष्ट्रीय कृषि

एवं ग्रामीण विकास बैंक (रा.कृ.ग्रा.वि.बैं.) में सहकारी साख ढांचे के पुनर्जीवन के लिए एक योजना का सूत्रीकरण किया (जुलाई 2002) जिसमें संघ और राज्य सरकारों के बीच 60:40 (उत्तर-पूर्व और जम्मू एवं कश्मीर के मामले में 90:10) के अनुपात में लगभग 14500 करोड़ रु. की वित्तीय सहायता की साझेदारी की परिकल्पना की गई थी। सहायता इन शर्तों के अधीन थी कि राज्य सरकारें सहकारी पद्धति में विधिक सुधार करेगी और सहकारी साख पद्धति में विधिक सुधार करेगी तथा सहकारी साख संस्थाओं को उनके अभिशासन में वित्तीय स्वतंत्रता प्रदान करेगी तथा उन्हें पूरी तरह से बैंकिंग नियमों के अनुसार कार्य करने की अनुमति देगी। तदनुसार अगस्त 2003 में बैंकिंग विनियमन (संशोधन) और विविध प्रावधान बिल, 2003 लोक सभा में प्रस्तुत किया गया जिसे बाद में जांच हेतु वित्तीय संसदीय स्थाई समिति को प्रेषित कर दिया गया था। चूंकि समिति अपनी रिपोर्ट मार्च 2004 में लोकसभा के विघटन के पहले प्रस्तुत नहीं कर सकी, कथित बिल संसद द्वारा पारित नहीं किया जा सका। किंतु योजना वर्ष 2002-03 के बजट में 100 करोड़ रु. के सांकेतिक प्रावधान के साथ पहले ही घोषित की जा चुकी थी।

लेखापरीक्षा ने पाया (मार्च 2006) कि संसद में बैंकिंग विनियमन (संशोधन) बिल के पारित हो जाने के पूर्वानुमान में और योजना से संलग्न शर्तों को परिचालित किये बिना, मंत्रालय ने सिर्फ निधियों के व्यपगत हो जाने से बचने के लिए 31 मार्च 2003 को रा.कृ.ग्रा.वि.बैं. को ब्याज रहित 100 करोड़ रु. का ऋण जारी किया। यह भी अवलोकन किया गया कि निधियां वित्तीय वर्ष की अंतिम तिथि को सामान्य वित्तीय नियमों का उल्लंघन करते हुए जारी की गई थी जिनके अनुसार अंधाधुंध व्यय, विशेष तौर पर वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में वित्तीय औचित्य का उल्लंघन माना जाता है। चूंकि संसद द्वारा कथित बैंकिंग विनियमन बिल पारित नहीं हुआ था, योजना प्रारम्भ नहीं हो सकी जिसके परिणामस्वरूप रा.कृ.ग्रा.वि.बैं. इन निधियों का उपयोग नहीं कर सका। रा.कृ.ग्रा.वि.बैं. ने निधियों को बचत/अल्पावधि जमा में निवेश करने की बजाय राशि को अपने उच्चतम लेखे में रखा। मंत्रालय ने फरवरी 2006 में जाकर ही रा.कृ.ग्रा.वि.बैं. को अप्रयुक्त राशि वापस करने को कहा, यद्यपि ऋण को प्रदान करने के निबंधन एवं शर्तों के अनुसार, रा.कृ.ग्रा.वि.बैं. को राशि आहरित करने की तिथि से दो माह के भीतर उपयोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना था। इसके बाद रा.कृ.ग्रा.वि.बैं. ने 11 मार्च 2006 को राशि वापस कर दी।

इस प्रकार, बैंकिंग विनियमन अधिनियम में आवश्यक संशोधन, जो योजना को प्रारम्भ करने के लिए आवश्यक थे, किए बिना समयपूर्व निधियों को जारी करने का परिणाम तीन वर्षों के लिए 100 करोड़ रु. के अप्रयुक्त रहने में हुआ। जहां एक बड़ी राशि, जो कहीं और लाभप्रद तरीके से उपयोग में लाई गई होती, रा.कृ.ग्रा.वि.बैं. में अवरोधित रही, सरकार को संघ सरकार की उधार दर पर परिकल्पित ब्याज के रूप में 25.30 करोड़ रु. की हानि हुई।

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति के प्रत्युत्तर में, मंत्रालय ने स्वीकार किया (जून 2006) कि सहकारी साख ढांचे के पुनर्जीवन की योजना के गैर सूत्रीकरण के कारण रा.कृ.ग्रा.वि.बैं. को जारी 100 करोड़ रु. का ब्याज रहित ऋण अप्रयुक्त पड़ा रहा।

अध्याय IX : स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य विभाग

9.1 त्रुटिपूर्ण आन्तरिक नियंत्रण के परिणामस्वरूप अपव्यय

मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत अस्पताल सेवा परामर्श निगम (भारत) लिमिटेड द्वारा मच्छरदानियों की अधिप्राप्ति को मानीटर करने में मंत्रालय की विफलता का परिणाम निम्न कोटि की मच्छरदानियों के क्रय में हुआ। परिणामस्वरूप अब तक इस पर हुआ 2.54 करोड़ रु. का खर्च अपव्यय रहा है। इसके अलावा 1.83 करोड़ रु. अ.से.प.नि. के पास 5 वर्षों के लिए अवरूद्ध रहे। इसके अतिरिक्त गोदाम, जिनमें निम्न कोटि की मच्छरदानियों का भण्डारण किया गया था, के किराये के भुगतान पर नवम्बर 2005 तक 51.68 लाख रु. का व्यय हो चुका है तथा 0.89 लाख रु. का आवर्ती मासिक व्यय जारी है।

मंत्रालय ने उत्तर-पूर्वी राज्यों के सुदूर क्षेत्रों में तीव्र मलेरिया के उच्च जोखिम से 20 लाख व्यक्तियों की अनुमानित जनसंख्या की सुरक्षा हेतु अस्पताल सेवा परामर्श निगम (भारत) लिमिटेड (अ.से.प.नि.) राष्ट्रीय मलेरिया विरोधी कार्यक्रम (रा.म.वि.का.) निदेशालय को 18.16 करोड़ रु. की कुल लागत पर 10 लाख नायलॉन की मच्छरदानियों (जाल) (एकल आकार की 8 लाख और दोहरे आकार की 2 लाख) का एक मांग-पत्र दिया (जुलाई-अगस्त 2000)। मंत्रालय द्वारा अ.से.प.नि. के साथ कार्यान्वित संविदा (अगस्त 1999) के अनुसार, अ.से.प.नि. योग्य अधिकारियों द्वारा माल के निरीक्षण के लिए उत्तरदायी था। मंत्रालय ने 18.16 करोड़ रु. के व्यय की संस्वीकृति प्रदान की (दिसम्बर 2000) और अ.से.प.नि. को 4.31 करोड़ रु. का अग्रिम भुगतान जारी किया जिसमें परामर्श शुल्क के 5.12 लाख रु. शामिल थे। अ.से.प.नि. ने फरवरी-अप्रैल 2001 के दौरान 'क', 'ख' और 'ग' तीन प्रतिष्ठानों से 12.75 करोड़ रु. कीमत के 7.18 लाख मच्छरदानियों (एकल आकार के 6.43 लाख और दोहरे आकार के 0.75 लाख) की अधिप्राप्ति की जिसके लिए उसने मार्च 2001 में 'ख' प्रतिष्ठान को 2.49 करोड़ रु. का अंश-भुगतान जारी किया। ये मच्छरदानियां लोगों में वितरण के लिए उत्तर-पूर्वी राज्यों में प्रेषित किए गए।

लेखापरीक्षा ने पाया (नवम्बर-दिसम्बर 2005) कि प्रतिष्ठानों ने निम्न कोटि की मच्छरदानियों की आपूर्ति की थी और मंत्रालय को केन्द्रीय सतर्कता आयोग से एक शिकायत प्राप्त होने (फरवरी 2001) पर इस बारे में पता चला। इसके उत्तरवर्ती मंत्रालय ने प्रतिष्ठानों द्वारा आपूर्ति की गई मच्छरदानियों के नमूनों की जांच भारतीय प्रौद्योगिकी

संस्थान (भा.प्रौ.सं.), दिल्ली से करवाई जिनका मूल्यांकन विभिन्न विभागों¹ के अधिकारियों से बनी एक विशेषज्ञ समिति द्वारा किया गया था जिन्होंने बताया (जून 2003) कि भारतीय मानक ब्यूरो (भा.मा.ब्यू.) के विनिर्देशनों के साथ मच्छरदानियों की गुणवत्ता विशेष रूप से फूलने वाली शक्ति, आकार और सुराखों की संख्या आदि जैसे महत्वपूर्ण पैरामीटरों को ध्यान में रखते हुए ये मच्छरदानियां प्रयोग हेतु अनुपयुक्त थी। इसके उपरान्त मंत्रालय ने राज्य सरकारों/ अ.से.प.नि. को मच्छरदानियों के वितरण पर तुरन्त रोक लगाने की सलाह दी (अप्रैल 2001)। उस समय तक 3.42 करोड़ रु. कीमत की 1.83 लाख मच्छरदानियां (एकल आकार की 1.23 लाख और दोहरे आकार की 0.60 लाख) नागालैंड (0.10 लाख प्रति एकल व दोहरे आकार), मिजोरम (0.63 लाख एकल आकार और 0.50 लाख दोहरे आकार) तथा मणिपुर सरकारों (0.50 लाख एकल आकार) द्वारा पहले ही वितरित किए जा चुके थे। अ.से.प.नि. ने तीनों प्रतिष्ठानों को गुवाहाटी स्थित गोदाम में पड़े निम्न कोटि की मच्छरदानियों को वापिस लेने के लिए नोटिस जारी किए (मार्च 2003)। प्रतिष्ठानों ने इन्कार कर दिया और दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर दी। जबकि 'ग' की याचिका को खारिज कर दिया गया था प्रतिष्ठान 'क' और 'ख' ने अपनी याचिका वापिस ले ली और मध्यस्थता का आह्वान किया। मध्यस्थता कार्यवाही को सितम्बर 2006 तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया था। इस बीच 9.34 करोड़ रु. मूल्य की 5.35 लाख मच्छरदानियां (एकल आकार की 5.20 लाख तथा दोहरे आकार की 0.15 लाख) किराए के गोदाम में पड़ी हुई थी जिसके लिए 0.89 लाख रु. की मासिक दर से फरवरी 2001 से नवम्बर 2005 के दौरान 51.68 लाख रु. किराए का भुगतान किया जा चुका था जो आवर्ती आधार पर जारी है।

अ.से.प.नि. द्वारा माल का निरीक्षण संचालित करने तथा मंत्रालय द्वारा प्रभावी निरीक्षण के प्रयोग में विफलता निम्न कोटि की मच्छरदानियों की अधिप्राप्ति का कारण बना जिससे उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में तीव्र मलेरिया से बड़ी जनसंख्या को राहत उपलब्ध कराने का उद्देश्य विफल हुआ। मच्छरदानियों की अधिप्राप्ति तथा अ.से.प.नि. को परामर्श शुल्क पर किया गया 2.54 करोड़ रु. का खर्च भी अपव्यय रहा है। इसके अतिरिक्त 1.83 करोड़ रु. अ.से.प.नि. के पास 5 वर्षों हेतु अवरूद्ध रहे। संघ सरकार की उधार दर पर परिकलित 89.69 लाख रु. की ब्याज की हानि के लिए भी यह जिम्मेदार है। इसके अतिरिक्त किराए के गोदाम में निम्न कोटि की मच्छरदानियों के भण्डारण पर अब तक 51.68 लाख रु. का व्यय हो चुका है। अधिप्राप्ति प्रक्रिया कुछ क्षेत्रों में त्रुटिपूर्ण मच्छरदानियों की आपूर्ति होने तथा अन्य में आपूर्ति न होने के कारण बनी जिसने मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम की विश्वसनीयता के साथ-साथ इसके उद्देश्यों पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाला।

¹ वस्त्र विभाग (भा.प्रौ.सं.), सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाएं, राष्ट्रीय संक्रामक रोग संस्थान, वस्त्र मंत्रालय क्षेत्रिय कार्यालय (नोएडा) राष्ट्रीय मलेरिया विरोधी कार्यक्रम।

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति के प्रत्युत्तर में, मंत्रालय ने एक तरफ बताया (अगस्त 2006) कि अ.से.प.नि. द्वारा जनवरी-मार्च 2001 के दौरान मच्छरदानियों का एक संयुक्त पूर्व प्रेषित निरीक्षण संचालित किया जिसमें प्रकट हुआ था कि आपूर्ति की गई मच्छरदानियां अपेक्षित गुणवत्ता की थी, परन्तु दूसरी तरफ स्वीकार किया कि निम्न कोटि की मच्छरदानियों की अधिप्राप्ति के कारण सरकार को भारी नुकसान वहन करना पड़ा। इसने यह भी कहा कि निम्न कोटि की मच्छरदानियों की आपूर्ति का मामला जांच हेतु केन्द्रीय जांच ब्यूरो (के.जां.ब्यू.) को अप्रैल 2001 में सौंपा था जिसने मंत्रालय को मामला समाप्त करने की सलाह दी (सितम्बर 2003)। मंत्रालय ने के.अ.ब्यू. द्वारा मामला समाप्त करने के कारण सूचित नहीं किए। तथापि, तथ्य यह था कि आरम्भ में मच्छरदानियों के नमूने अपेक्षित गुणवत्ता वाले प्रमाणित किए गए थे किन्तु बाद में गुणवत्ता के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई थी तथा भा.प्रौ.सं., दिल्ली ने सूचित किया कि आपूर्ति की गई मच्छरदानियां विशेषताओं के अनुरूप नहीं थी जो आपूर्ति किए गए माल की गुणवत्ता की जांच और उनकी स्वीकृति के संबंध में गंभीर चिन्ता पैदा करते हैं। उपरोक्त घटनाओं की कड़ी दर्शाती है कि जवाबदेही तथा संस्थागत सत्यनिष्ठा जो अधिप्राप्ति की विश्वसनीयता की कुंजी है, की इस मामले में कमी थी। अधिप्राप्ति में संलग्न अधिकारियों को ऐसी हानि तथा मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम पर इसके प्रतिकूल प्रभाव के लिए उनके द्वारा किए गए कार्यों तथा लिए गए निर्णयों के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया गया।

सफदरजंग अस्पताल

9.2 किराये की कम वसूली

बैंक ऑफ बड़ौदा को उपलब्ध कराये गए स्थान हेतु सरकार द्वारा निर्धारित दरों से लाइसेंस शुल्क की वसूली में सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली की विफलता का परिणाम मार्च 1999 से नवम्बर 2006 की अवधि के लिए 29.54 लाख रु. के किराये की कम वसूली में हुआ जो लेखापरीक्षा दृष्टांत पर वसूला गया।

लेखापरीक्षा ने पाया (जनवरी 2006) कि सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली ने के.लो.नि.वि. द्वारा निर्धारित 3108 रु. प्रतिमाह के अंतरिम लाइसेंस शुल्क पर अपने परिसर के अन्दर बैंक ऑफ बड़ौदा को 138 वर्ग मीटर माप का कार्यालय स्थान उपलब्ध कराया था (जुलाई 1986)। जुलाई 1986 में बैंक से किए गए अनुबन्ध में इसकी वैधता, लाइसेंस शुल्क के दर में आवधिक वृद्धि अथवा पट्टे की अवधि के समापन विस्तार के बारे में कोई शर्त शामिल नहीं थी। बैंक जिसे अस्पताल, इसके कर्मचारियों एवं मरीजों के बैंकिंग सुविधाओं हेतु सफदरजंग इन्कलेव शाखा, नई दिल्ली के अंतर्गत विस्तार पटल के रूप में प्रारम्भ किया था, एक पूर्ण शाखा में उच्चीकरण हुआ था (अक्टूबर 1998)। यह भी देखा गया कि 1995 में लाइसेंस शुल्क के पुनर्निर्धारण हेतु लेखापरीक्षा के सुझाव के बावजूद, अस्पताल ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। लेखापरीक्षा ने

पाया कि अस्पताल द्वारा प्रभारित किया गया लाइसेंस शुल्क, सरकार द्वारा निर्धारित 220 रु. तथा 249 रु. प्रति वर्ग मीटर प्रतिमाह के दर जो बैंकों से क्रमशः 16 मार्च 1999 तथा 1 अप्रैल 2002 के प्रभाव से प्रभार्य था, से बहुत कम था। अस्पताल द्वारा प्रभारित 3108 रु. के प्रति इस दर से वसूली योग्य लाइसेंस शुल्क क्रमशः 0.30 लाख रु. एवं 0.34 लाख रु. प्रतिमाह परिकलित किया गया। परिणामस्वरूप अस्पताल द्वारा वसूली योग्य 30.32 लाख रु. के कुल किराये के प्रति इसने केवल 2.87 लाख रु. की वसूली की। जिसका परिणाम 16 मार्च 1999 से 30 नवम्बर 2006 की अवधि के दौरान 27.45 लाख रु. की लाइसेंस शुल्क की कम वसूली में हुआ।

आगे, बैंक के अनुरोध पर अस्पताल ने 100 रु. प्रतिमाह के टोकन लाइसेंस शुल्क पर स्वचालित टेलर मशीन (स्व.टे.म.) खोलने के लिए 15 वर्ग मीटर का अतिरिक्त स्थान आबंटित किया (फरवरी 2002)। अस्पताल आबंटन की तिथि से नवम्बर 2006 तक सरकार द्वारा निर्धारित दर से लाइसेंस शुल्क वसूलने में पुनः विफल रहा। अतिरिक्त स्थान हेतु इस दर से परिकलित 2.15 लाख रु. के वसूली योग्य लाइसेंस शुल्क के प्रति अस्पताल ने मात्र 0.06 लाख रु. वसूल किए थे जिसका परिणाम 2.09 लाख रु. की कम वसूली में हुआ।

इस प्रकार, सरकार द्वारा निर्धारित दर से किराया प्रभारित करने में अस्पताल की विफलता का परिणाम 16 मार्च 1999 से 30 नवम्बर 2006 की अवधि हेतु 29.54 लाख रु. (27.45 लाख रु. तथा 2.09 लाख रु.) के लाइसेंस शुल्क की कम वसूली में हुआ।

मामले को लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर, मंत्रालय ने बताया (जनवरी 2007) कि अस्पताल ने बैंक से 29.54 लाख रु. का कुल बकाया वसूल कर लिया था।

अखिल भारतीय स्वच्छता एवं लोक स्वास्थ्य संस्थान, कोलकाता

9.3 निष्फल व्यय

संस्थान द्वारा बिना किसी प्रयोजन के और बिना किसी उचित योजना एवं आधारभूत ढांचे के “आयोन-एनालाइजर” के अधिगृहण के गलत निर्णय का परिणाम 20 लाख रु. के व्यर्थ एवं निष्फल व्यय में हुआ।

जून 2000 में, अखिल भारतीय स्वच्छता एवं लोक स्वास्थ्य संस्थान, कोलकाता (अ.भा.स्व.लो.स्वा.सं.) के सफाई अभियांत्रिकी विभाग ने संस्थान के अनुसंधान कार्यक्रम में उपयोग हेतु अपेक्षित भारी धातुओं के अन्वेषण के उद्देश्य में प्रयोग के लिए “एटोमिक एबजोर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर” क्रय करने हेतु संस्थान के निदेशक को प्रस्ताव प्रस्तुत किया। तथापि निदेशक अ.भा.स्वा.लो.स्वा.सं. ने ‘आयोन-एनालाइजर’ के क्रय करने का पक्ष लिया क्योंकि उन्होंने उपकरण को “एटोमिक एबजोर्प्शन

स्पेक्ट्रोफोटोमीटर” से बेहतर माना तथा अपनी अनुशंसा के साथ विभाग को प्रस्ताव वापस भेज दिया। ‘आयोन-एनालाइजर’ का उपयोग पानी, रद्दी कागज, मिट्टी, जैविक सामग्री एवं मैट्रिक्स आदि के नमूनों में विभिन्न भारी धातु और अन्तवर्ती तत्वों के विश्लेषण के लिए होता है जो संस्थान के विविध कार्यकलापों के लिए अपेक्षित है।

सितम्बर 2002 में, दो वर्षों से अधिक बीत जाने के उपरान्त स्वच्छता अभियांत्रिक विभाग ने तदनुसार एक आयोन-एनालाइजर के क्रय करने हेतु प्रस्ताव अग्रेषित किया। निदेशक ने प्रस्ताव को स्वीकार कर आयोन-एनालाइजर के दो सेट क्रय करने का निर्णय लिया। दूसरा सेट जीव रसायन एवं पोषण विभाग में प्रतिष्ठापित किया जाना था यद्यपि विभाग ने इसके लिए कोई मांगपत्र प्रस्तुत नहीं किया था। मांगपत्र की अनुपस्थिति में, दूसरे एनालाइजर के अधिग्रहण का कोई औचित्य लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया।

अ.भा.स्वा.लो.स्वा.सं. ने खुली निविदा आमंत्रित करने के उपरान्त 39.94 लाख रु. (प्रत्येक 19.97 लाख रु.) की कुल लागत से आयोन-एनालाइजर के 2 सेट क्रय करने का निर्णय लिया और मार्च 2003 में आपूर्ति करने का आदेश दिया। मार्च 2003 के अंदर ही दो आयोन-एनालाइजर की आपूर्ति हो गयी थी और अप्रैल 2003 में इन्हें प्रतिष्ठापित कर दिया गया। मार्च 2003 में आपूर्तिकर्ता को 39.94 लाख रु. का कुल भुगतान कर दिया गया था। दूसरा आयोन-एनालाइजर प्रारंभ में यथा प्रस्तावित “जीव-रसायन एवं पोषण” के स्थान पर व्यावसायिक स्वास्थ्य विभाग में प्रतिष्ठापित किया गया था जबकि इन दोनों में से किसी विभाग ने उपकरण के लिए मांगपत्र प्रस्तुत नहीं किया था। लेखापरीक्षा जांच से स्पष्ट हुआ कि व्यावसायिक स्वास्थ्य विभाग में स्थापित किए गए आयोन-एनालाइजर का उपयोग कभी नहीं किया गया था। इस तरह उपकरण विभाग में प्रतिष्ठापन से अप्रैल 2006 तक अर्थात् तीन वर्षों तक निष्क्रिय तथा अप्रयुक्त पड़ा रहा। संस्थान ने अब तक उपकरण के रखरखाव के लिए कोई करार नहीं किया।

इस प्रकार उपभोक्ता से किसी विशेष मांगपत्र के बिना संस्थान ने दूसरे एनालाइजर के अधिग्रहण के निर्णय का परिणाम 20 लाख रु. के निष्फल व्यय में हुआ।

मामला जुलाई 2006 मंत्रालय को प्रेषित किया गया था। मंत्रालय ने उत्तर में बताया (अक्टूबर 2006) कि ब्यौरे की जांच पड़ताल और अब तक मशीन के अकार्यात्मक पड़े रहने के कारण की खोज के लिए एक जांच समिति का गठन किया गया था। जांच समिति को 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट देने का अनुरोध किया गया है। दिसम्बर 2006 तक मंत्रालय का अंतिम उत्तर प्रतीक्षित था।

अध्याय X : गृह मंत्रालय

भारत-तिब्बत सीमा पुलिस

10.1 भारत-तिब्बत सीमा पुलिस कार्मिकों का अनियमित संयोजन

महानिदेशक, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस ने विभिन्न क्षेत्र रचनाओं/इकाइयों से हटाए गए कार्मिकों को बड़ी संख्या में संयोजित किया, तथा इस संबंध में गृह मंत्रालय के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए स्वीकृत संख्या से अधिक में उन्हें निदेशालय में नियुक्त किया। स्वीकृत संख्या के अतिरिक्त संयोजित कार्मिकों के वेतन एवं भत्तों पर केवल 2003-2004 से 2004-2005 की अवधि में हुआ व्यय 5.19 करोड़ रु. था।

गृह मंत्रालय के अन्तर्गत भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (भा.ति.सी.पु.) का प्रमुख महानिदेशक होता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थापित है। इसकी स्वीकृत संख्या गृह मंत्रालय (मंत्रालय) द्वारा निर्धारित की गई है। मंत्रालय ने अर्धसैनिक बलों के सभी प्रमुखों को स्वीकृत संख्या से अधिक संयोजित कार्मिकों को वियोजित करने के निर्देश जारी किए थे (मई 2005)। सिर्फ अपवादात्मक एवं अपरिहार्य मामलों में ही सक्षम प्राधिकारी द्वारा, व्यक्तिगत मामलों में और वह भी बहुत अल्पावधि के लिए संयोजन नियमित किया जा सकता था।

लेखापरीक्षा जांच से प्रकट हुआ (जून 2005) कि 283 कार्मिकों की स्वीकृत संख्या के प्रति 264 कार्मिक निदेशालय में तैनात थे। इन 19 कार्मिकों की कमी के प्रति निदेशक ने 262 कार्मिकों को अपने क्षेत्र रचनाओं/इकाइयों से हटाया तथा मंत्रालय की अनुमति के बिना उन्हें विभिन्न स्कंधों से संयोजित किया। कुल संयोजित कार्मिकों में से 110 सामान्य कार्य संवर्ग से थे जो सीमा पर लड़ने वाले माने जाते थे, 19 रसोईए, 45 चालक तथा 88 अन्य संवर्ग जैसे अनुदेशक, सफाई कर्मचारी, धोबी इत्यादि से थे। उनमें से कुछ कार्मिक 1990 से संयोजित पाए गए। 2003-2004 से 2004-2005 की अवधि के लिए ही स्वीकृत संख्या के अतिरिक्त संयोजित कार्मिकों के केवल वेतन एवं भत्तों पर व्यय 5.19 करोड़ रु. था। निदेशालय में इतनी लम्बी अवधि के लिए बड़ी संख्या में कार्मिकों का संयोजन अनियमित था तथा मई 2005 में निर्गत मंत्रालय के निर्देशों का भी उल्लंघन था।

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति के प्रत्युत्तर में मंत्रालय ने सूचित किया (जुलाई 2006) कि मंत्रालय के उपर्युक्त निर्देशों को प्राप्त करने के पश्चात भा.ति.सी.पु. ने महानिदेशालय के सभी संयोजनों का पुनरावलोकन किया तथा इसे 262 से घटाकर 170 कर दिया तथा संयोजन को मात्र न्यूनतम तक घटाने का प्रयास जारी था। इसने यह भी बताया

कि आपदा प्रबन्ध वाहिनी को सज्जित करने हेतु भंडार की अधिप्राप्ति, अधिप्राप्ति कक्ष का सृजन करना, चौबीस घंटे के आधार पर नियंत्रण कक्ष का प्रचालन तथा अप्रत्याशित परिस्थितियों से निपटने संबंधी कार्यों पर ध्यान देने की बाध्यकारी परिस्थितियों के कारण स्वीकृत संख्या के अतिरिक्त कार्मिकों के संयोजन का सहारा लेना पड़ा। इसने यह भी बताया कि कार्यात्मक तथा प्रचालनात्मक आवश्यकताओं को ध्यान रखते हुए म.नि. भा.ति.सी.पु. एक इकाई से दूसरे इकाई में कार्मिकों को संयोजित करने के लिए प्राधिकृत थे। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि निदेशालय 1990 से बड़ी तादाद में संयोजन का सहारा ले रहा था। भंडारों/उपकरणों की अधिप्राप्ति तथा नियंत्रण कक्ष आदि पर ध्यान, निदेशालय के नियमित कार्यकलाप हैं और भा.ति.सी.पु. अपने निदेशालय के वैध स्वीकृत संख्या से अधिक कार्मिकों को क्षेत्र रचनाओं/इकाइयों से लम्बी अवधि के लिए संयोजित कर मंत्रालय के निर्देशों की उपेक्षा नहीं कर सकता। इसके अतिरिक्त, अधिक संख्या में रसोइयों, चालकों, अनुदेशकों, सफाई कर्मचारियों आदि के संयोजन का, भण्डार की अधिप्राप्ति या नियंत्रण कक्ष की देखभाल से बहुत अधिक सरोकार नहीं हो सकता है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न क्षेत्र रचनाओं/इकाइयों से कार्मिकों का संयोजन उनके कार्यरत कार्मिक संख्या को प्रचालन स्तर पर कम करता है।

सीमा सुरक्षा बल

10.2 गाड़ियों का अनियमित संयोजन

महानिदेशक, सीमा सुरक्षा बल (सी.सु.ब.) ने गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित पैमानों का उल्लंघन करते हुए विभिन्न क्षेत्र रचनाओं/इकाइयों से 158 गाड़ियां निकाली और उन्हें सी.सु.ब. मुख्यालय पर अपनी 100 प्राधिकृत गाड़ियों के अतिरिक्त लगाया। इन संयोजित गाड़ियों के पेट्रोल, तेल एवं स्नेहकों (पै.ते.स्ने.) तथा रखरखाव पर 2004 से 2006 की अवधि के दौरान हुआ 1.76 करोड़ रु. का व्यय अनियमित था। कार्रवाई ने क्षेत्र इकाइयों की प्रचालन प्रभावकारिता पर भी असर डाला।

सीमा सुरक्षा बल (सी.सु.ब.) के अध्यक्ष गृह मंत्रालय के अधीन एक महानिदेशक हैं और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है तथा 150 से अधिक वाहिनियां व प्रशिक्षण संस्थाएं देश के विभिन्न भागों में स्थित हैं। सितंबर 2001 में मंत्रालय ने सी.सु.ब. के मुख्यालय एवं विभिन्न इकाइयों के लिए मोटर परिवहन के मानक निर्धारित किए थे और मुख्यालय के लिए 100 गाड़ियों सहित सी.सु.ब. की विभिन्न श्रेणियों के लिए 10,928 गाड़ियां प्राधिकृत की थीं।

लेखापरीक्षा ने पाया (अप्रैल 2006) कि अपनी प्राधिकृत 100 गाड़ियों के अतिरिक्त, सी.सु.ब. के निदेशालय ने क्षेत्र रचनाओं/इकाइयों से 158 अतिरिक्त गाड़ियां निकाली थीं और उन्हें अपने नई दिल्ली स्थित मुख्यालय में लगाया। ये अतिरिक्त गाड़ियां मंत्रालय के अनुमोदन के बिना लगाई गई थीं। इन गाड़ियों के पै.ते.स्ने., मरम्मत एवं

रखरखाव पर हुआ व्यय 2004-05 से 2005-06 की अवधि के लिए ही 1.76 करोड़ रु. था। इतनी बड़ी संख्याओं में नियमित आधार पर गाड़ियों को रखे रहना, मंत्रालय द्वारा सितंबर 2001 में जारी प्राधिकार का उल्लंघन था।

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति के प्रत्युत्तर में मंत्रालय ने बताया (अक्टूबर 2006) कि अतिरिक्त गाड़ियों की संख्या घटाकर 125 कर दी गई थी तथा स्वीकार किया कि जिन क्षेत्र रचनाओं से गाड़ियां निकाली गई थीं उन्हें असुविधा हुई थी। उसने यह भी बताया कि यद्यपि बल का विस्तार हुआ था और इसके काम के बोझ में बढ़ोत्तरी हुई थी, किन्तु नई गाड़ियों की खरीद पर प्रतिबन्ध के कारण बल के लिए अतिरिक्त गाड़ियों का प्रस्ताव आगे नहीं बढ़ाया जा सका।

उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि नई गाड़ियों की खरीद पर प्रतिबन्ध से संबंधित भारत सरकार के नवंबर 2005 के आदेश, सुरक्षा बलों और केन्द्रीय अर्धसैनिक बलों पर लागू नहीं थे। मंत्रालय के अनुमोदन के बिना मुख्यालय पर अधिक गाड़ियों को अप्राधिकृत रूप से रखे रहने का सी.सु.ब. का कार्य अनियमित था तथा इसने उन क्षेत्र इकाइयों की प्रचालन प्रभावकारिता पर भी असर डाला, जिनसे गाड़ियां निकाली गई थीं।

अध्याय XI : मानव संसाधन विकास मंत्रालय

प्राथमिक शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

11.1 अपर्याप्त मानीटरिंग के कारण निधियों की निष्क्रियता/अव्ययित अनुदान की अवसूली

जिला शैक्षिक प्रशिक्षण संस्थानों के संस्थापन/उच्चीकरण हेतु महाराष्ट्र सरकार को जारी अनुदान के उपयोग की मानीटरिंग में मंत्रालय की विफलता का परिणाम नौ वर्षों के लिए 4.84 करोड़ रु. की निष्क्रियता में हुआ। इसके अतिरिक्त, यह दो से चार वर्षों तक की अवधि हेतु जिला साक्षरता समिति, करीमगंज, असम द्वारा रखे गए 20.41 लाख रु. के अव्ययित अनुदान की वसूली में भी विफल रहा।

मंत्रालय के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा (अक्तूबर 2005) से प्रकट हुआ कि यह राज्य सरकार तथा जिला साक्षरता समिति को जारी अनुदान के उपयोग की पर्याप्त मानीटरिंग नहीं कर रहा था तथा अव्ययित अनुदान लम्बी अवधि से उनके पास पड़े थे, जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

अ) महाराष्ट्र सरकार के पास निष्क्रिय निधियां

1987-88 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय (मंत्रालय), ने शिक्षक शिक्षा की एक केन्द्र प्रायोजित योजना आरम्भ की। अन्य बातों के साथ-साथ, योजना में, जहां भी संभव हो, विद्यमान प्रारम्भिक शिक्षक शिक्षा संस्थान (प्रा.शि.शि.सं.) के उच्चीकरण द्वारा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (जि.शि.प्र.सं.) की संस्थापना एवं जहां आवश्यक हो, नये जि.शि.प्र.सं. के संस्थापना शामिल थी। योजना के अंतर्गत, राज्य/संघ शासित क्षेत्र सरकार को आवर्ती एवं अनावर्ती केन्द्रीय सहायता जारी की जा रही थी।

लेखापरीक्षा जांच ने प्रकट किया (अक्तूबर 2005) कि मंत्रालय ने 1995-96 एवं 1996-97 के दौरान 15¹ जि.शि.प्र.सं. की संस्थापना हेतु महाराष्ट्र सरकार को 6.05 करोड़ रु. का अनावर्ती अनुदान (सिविल निर्माण कार्य एवं उपस्कर हेतु) जारी किया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि राज्य सरकार ने तीन जि.शि.प्र.सं. के उच्चीकरण पर 1.21 करोड़ रु. का उपयोग किया था तथा शेष 4.84 करोड़ रु. अप्रयुक्त रहा था। मंत्रालय ने इस तथ्य के बावजूद कि राज्य सरकार के पास भवन के निर्माण हेतु जमीन उपलब्ध नहीं थी, राज्य सरकार द्वारा अप्रयुक्त अनुदान को वर्ष दर वर्ष आगे ले जाने की अनुमति दी। 1996-97 में 3.37 करोड़ रु. के अनुदान का निर्गमन एवं पिछले वर्ष के अप्रयुक्त

¹ अहमदनगर, सतारा, रत्नागिरी, नागपुर, भण्डारा, वर्धा, नासिक, थाना, जलना, जलगांव, योतमल, सोलापुर, गढ़चिरोली, सिन्धुर्ग एवं सांगली

अनुदान को आगे ले जाने की अनुमति, वर्ष 1995-96 हेतु 2.68 करोड़ रु. का अनुदान जारी करने वाली संस्वीकृति के प्रावधान के विरुद्ध थी जिसमें अनुबंध किया गया था कि आगामी अनुदान, सिविल निर्माण कार्यों एवं उपस्कर हेतु सहायता के 75 प्रतिशत की सीमा तक उपयोग और निर्माण कार्य की तदनुसूची भौतिक प्रगति की रिपोर्ट राज्य सरकार से प्राप्त होने पर किया जाएगा। राज्य सरकार 2003-04 के दौरान 8 जि.शि.प्र.सं. हेतु तथा 2004-05 के दौरान 3 जि.शि.प्र.सं. हेतु भूमि की व्यवस्था कर सकी थी। एक जि.शि.प्र.सं. हेतु भूमि अभी अर्जित की जानी थी। इन 11 जि.शि.प्र.सं., जहां भूमि अर्जित की जा चुकी थी, का भी निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ था। फलतः, अनुदान के प्रयोग को मानीटर करने में मंत्रालय की विफलता का परिणाम महाराष्ट्र सरकार के पास 9 वर्षों के लिए 4.84 करोड़ रु. के निष्क्रिय पड़े रहने में हुआ।

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति के उत्तर में, मंत्रालय ने जि.शि.प्र.सं. के पास पड़े अप्रयुक्त अनुदान, जो 2.21 करोड़ रु. परिकलित हुए हैं, की नवीनतम स्थिति प्रस्तुत की (नवम्बर 2006)।

ब) जिला साक्षरता समिति, करीमगंज, असम से अव्ययित अनुदान की अवसूली

प्राथमिक शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (मंत्रालय) ने अपने राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत 1.69 लाख व्यक्तियों को असम राज्य में शिक्षा प्रदान करने हेतु 149.47 लाख रु. के बजट प्रस्ताव का अनुमोदन किया। निर्धारित प्रतिमान के अनुसार, परियोजना की लागत की दो-तिहाई सीमा तक वित्तीय सहायता केन्द्र सरकार को देनी थी तथा एक-तिहाई राज्य सरकार द्वारा वहन की जानी थी। तदनुसार मंत्रालय ने परियोजना लागत के दो-तिहाई के रूप में 99.65 लाख रु. की केन्द्रीय सहायता संस्वीकृत की (मार्च 2001) तथा 49.82 लाख रु. की पहली किश्त जिला साक्षरता समिति (जि.सा.स.), करीमगंज, असम, जो पंजीकरण समिति अधिनियम, 1860 के अंतर्गत एक पंजीकृत समिति है तथा जिसका अध्यक्ष उपायुक्त, करीमगंज है, को जारी की। लेखापरीक्षा ने पाया कि जि.सा.स. ने परियोजना जून 2001 में प्रारम्भ की तथा 1.15 लाख नौसिखियों की साक्षरता प्रदान करते हुए इसे दिसम्बर 2003 में पूरा किया। इसने 62.99 लाख रु. का कुल खर्च वहन किया जिसमें से केन्द्र सरकार का अंश (दो-तिहाई) 41.99 लाख रु. परिकलित किया गया तथा 7.83 लाख रु. का शेष अव्ययित अनुदान वापस किया जाना था। इसके आगे, जि.सा.स. ने मंत्रालय को सम्पूर्ण साक्षरता अभियान से संबंधित दूसरे कार्यक्रम से संबंधित 12.58 लाख रु. का अव्ययित अनुदान, जो 2000-01 से इसके पास पड़ा था, को भी वापस नहीं किया था। इस प्रकार, अव्ययित अनुदान की वसूली की मानीटरिंग में मंत्रालय की विफलता का परिणाम 20.41 लाख रु. के कुल योग वाली विभिन्न राशियों का दो से चार वर्षों की अवधि के लिए जि.सा.स. द्वारा रखे रहने में हुआ। प्रत्युत्तर में मंत्रालय ने बताया (सितम्बर 2006) कि 20.41 लाख रु. का अव्ययित शेष केवल एक कल्पित राशि है

क्योंकि राज्य सरकार ने अपना अंश जारी नहीं किया इसलिए जि.सा.स. ने इस राशि को वास्तव में प्राप्त नहीं किया। उसने यह भी सूचित किया कि इन परियोजनाओं हेतु राज्य द्वारा सदृश अंश निर्गत करने का मामला मुख्यमंत्री के स्तर पर उठाया गया था। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि जि.सा.स. द्वारा वापसी योग्य 20.41 लाख रु. में से 12.58 लाख रु. 2001-2002 से इसके पास पड़े थे। मंत्रालय नवीन अनुदान जारी करने से पहले इस अव्ययित शेष की वापसी को सुनिश्चित कर सकता था।

इस प्रकार, अनुदान के उपयोग की मानीटरिंग में मंत्रालय की अकर्मण्यता तथा स्वयं अपने निर्देशों के उल्लंघन में नया अनुदान जारी करने का परिणाम नौ वर्षों हेतु 4.84 करोड़ रु. के अनुदान की निष्क्रियता में हुआ। मंत्रालय दो से चार वर्षों के बीच की अवधि के लिए जि.सा.स. द्वारा रखे गए 20.41 लाख रु. की वसूली की मानीटरिंग में भी विफल रहा।

11.2 अनुदान का अधिक जारी किया जाना

मंत्रालय द्वारा अपर्याप्त संवीक्षा का परिणाम 'विद्यालयों में विज्ञान शिक्षा में सुधार' योजना के अंतर्गत कर्नाटक सरकार को 0.62 करोड़ रु. के अधिक अनुदान जारी करने में हुआ। अनुदान के अप्रयुक्त भाग के प्रति 2.01 करोड़ रु. की राशि भी वसूली हेतु शेष पड़ी रही। मामले को लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर, मंत्रालय ने 0.91 करोड़ रु. वसूल किये (अक्टूबर 2005)। 0.62 करोड़ रु. के जारी अधिक अनुदान को सम्मिलित करके 1.72 करोड़ रु. के शेष अभी भी वसूल किये जाने थे।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (मंत्रालय) ने विज्ञान शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार तथा वैज्ञानिक चेतना के प्रोत्साहन, जैसा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में परिकल्पित है, की दृष्टि से 'विद्यालय में विज्ञान शिक्षा में सुधार' (वि.वि.शि.सु.) नामक केन्द्र समर्थित योजना को सूत्रबद्ध किया। योजना के अंतर्गत, विशिष्ट उद्देश्य हेतु मंत्रालय द्वारा राज्य/सरकार/स.शा.क्षे. को 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता, राज्यों के इस आश्वासन पर, उपलब्ध कराई गई थी कि प्रयोगशालाओं एवं पुस्तकालयों को केन्द्र की सहायता से वांछित मानक तक लाने के बाद इनके अनुक्षण तथा पुनर्सज्जा का उत्तरदायित्व राज्यों का होगा। अनुमोदित उद्देश्य थे: वैज्ञानिक सामानों को उपलब्ध कराना, नई प्रयोगशालाएं स्थापित करना, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालय की किताबों तथा सरकारी एवं सहायता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षकों के प्रशिक्षण का उच्चीकरण।

सितम्बर 1999 में, कर्नाटक सरकार ने नई प्रयोगशालाएं और विज्ञान पुस्तकालय स्थापित करने के लिए और प्रयोगशाला उपकरण एवं विज्ञान सामग्रियों को उपलब्ध कराने के लिए मंत्रालय को 7.00 करोड़ रु. की वित्तीय सहायता हेतु प्रस्ताव भेजा। मंत्रालय ने 7.00 करोड़ रु. संस्वीकृत किये (फरवरी 2002) एवं पिछले वर्षों में निर्गत

किये गये अधिक अनुदान के प्रति 1.59 करोड़ रु. तथा 0.13 करोड़ रु. के अव्ययित शेष के समायोजन के बाद जुलाई 2002 तक 5.28 करोड़ रु. जारी किए।

लेखापरीक्षा ने पाया (मई 2004) कि मंत्रालय ने राज्य सरकार के प्रस्ताव की सही ढंग से संवीक्षा नहीं की और आंकड़े की परिशुद्धता की जांच किये बिना, शामिल किये गये विद्यालयों की संख्या के विषय में राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के आधार पर निधियां संस्वीकृत कीं। लेखापरीक्षा द्वारा मामला इंगित किए जाने पर, मंत्रालय ने स्थिति का पुनरीक्षण किया और स्वीकार किया (अगस्त 2005) कि राज्य सरकार ने 316 विद्यालयों को विज्ञान पुस्तकालय की किताबों को उपलब्ध कराने हेतु दो बार सम्मिलित किया जिसका परिणाम 0.62 करोड़ रु. के अधिक अनुदान जारी करने में हुआ जैसा कि तालिका में दर्शाया गया है:-

तालिका-अ

(लाख रु. में)

क्र. सं.	मद	संस्वीकृत अनुदान			वास्तविक उपयोग			जारी किया गया अधिक अनुदान
		विद्यालयों की सं. जिनके लिए अनुदान संस्वीकृत किए गए	दर प्रति विद्यालय	राशि	सम्मिलित किए गए विद्यालयों की सं.	दर प्रति विद्यालय	राशि	
1.	पुस्तकालय हेतु पुस्तकें	820	0.18	147.60	504	0.17	85.68	61.92

मंत्रालय ने यह भी सूचित किया कि राज्य सरकार ने 'नई प्रयोगशालाओं की स्थापना' और 'वर्तमान विज्ञान प्रयोगशालाओं का उच्चीकरण' के अंतर्गत क्रमशः 310 और 510 विद्यालयों हेतु जारी निधियों के प्रति इन श्रेणियों के अंतर्गत क्रमशः 190 और 314 विद्यालय आच्छादित किए गए थे। इसने यह भी कहा कि जारी किए गए 5.28 करोड़ रु. में से राज्य सरकार द्वारा किए गए 4.37 करोड़ रु. के वास्तविक व्यय के आधार पर 0.91 करोड़ रु. का प्रत्यर्पणीय अधिक अनुदान निर्धारित किया गया था। मंत्रालय ने अक्टूबर 2005 में भी सूचित किया कि राज्य सरकार ने 0.91 करोड़ रु. का प्रत्यर्पण किया था।

तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि मंत्रालय ने वसूली योग्य राशि 2.63 करोड़ रु. (2.01 करोड़ रु. + 0.62 करोड़ रु. के अधिक जारी किए गए अनुदान के प्रति) की बजाय गलती से 0.91 करोड़ रु. परिकलित की जैसा कि तालिका अ तथा ब में दर्शाया गया है।

तालिका-ब

(लाख रु. में)

क्र. सं.	मद	संस्वीकृत अनुदान			वास्तविक उपयोग			अप्रयुक्त अनुदान
		विद्यालयों की सं. जिनके लिए अनुदान संस्वीकृत किए गए	दर प्रति विद्यालय	राशि	सम्मिलित किए गए विद्यालयों की सं.	दर प्रति विद्यालय	राशि	
1.	नई प्रयोगशाला की स्थापना	310	0.90	279.00	190	0.77	146.30	132.70
2.	प्रयोगशाला का उच्चीकरण	510	0.30	153.00	314	0.27	84.78	68.22
	योग	820		432.00	504		231.08	200.92

इस प्रकार, 7.00 करोड़ रु. का अनुदान संस्वीकृत करते समय मंत्रालय पहले ही आच्छादित किए जा चुके विद्यालयों की संख्या के संदर्भ में राज्य सरकार के प्रस्ताव की सही ढंग से संवीक्षा करने में विफल रहा और 0.62 करोड़ रु. का अधिक अनुदान जारी किया। अनुदान के अप्रयुक्त भाग के प्रति 2.01 करोड़ रु. वसूल किये जाने थे। अतः वसूली योग्य 2.63 करोड़ रु. की कुल राशि में से सिर्फ 0.91 करोड़ रु. ही वास्तव में वसूल किए गए थे तथा शेष 1.72 करोड़ रु. सितम्बर 2006 तक अभी वसूल नहीं किए गए थे।

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति के उत्तर में, मंत्रालय ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए कहा (सितम्बर 2006) कि कर्नाटक सरकार को 1.72 करोड़ रु. की शेष राशि की वापसी के लिए कहा गया था। इसने आगे यह भी कहा कि राज्य सरकार की ओर से विलम्ब के मामले में भी मंत्रालय भविष्य में इसे अन्य केन्द्र समर्थित योजना के अंतर्गत जारी किए जाने वाले अनुदान में से इस राशि को समायोजित करने का प्रयास करेगा।

11.3 मानीटरिंग की कमी के परिणामस्वरूप निधियों की निष्क्रियता

‘विद्यालय में विज्ञान शिक्षा में सुधार’ के अन्तर्गत गुजरात सरकार को जारी 3.94 करोड़ रु. के अव्ययित अनुदान की वसूली तथा मानीटरिंग में मंत्रालय की विफलता का परिणाम उसके लगभग चार वर्षों हेतु निष्क्रिय रहने में हुआ।

नवम्बर 1999 में, गुजरात सरकार ने विद्यालयों में विज्ञान शिक्षा में सुधार (वि.वि.शि.सु.) योजना के अंतर्गत मंत्रालय को 16424 उच्चतर प्राथमिक विद्यालयों को वैज्ञानिक उपकरण की आपूर्ति के लिए 3.94 करोड़ रु. की वित्तीय सहायता की अनुदान के लिए एक प्रस्ताव भेजा। तदनुसार मंत्रालय ने राज्य सरकार के पास 1989-90 के लिए इस योजना से सम्बन्धित पड़े 1.13 लाख रु. के अव्ययित अनुदान का समायोजन करने के बाद फरवरी 2002 में 3.93 करोड़ रु. जारी किये।

लेखापरीक्षा ने पाया (अक्टूबर 2005) कि अनुदान प्राप्ति के दो वर्षों से अधिक समय के बाद राज्य सरकार ने मंत्रालय को सूचित किया (अक्टूबर 2004) कि उसने अनुदान का उपयोग नहीं किया क्योंकि योजना निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, गुजरात को सूचित नहीं की गई थी और अनुदान के अभ्यर्पण का प्रस्ताव रखा। मंत्रालय, यह जानने के बावजूद कि 3.94 करोड़ रु. का अनुदान अव्ययित पड़ा था, इसे दिसम्बर 2005 तक वसूल करने में विफल रहा। चूंकि राज्य सरकार अव्ययित अनुदान को वापस करने के लिए पहले ही मानी गई थी, मंत्रालय को यह राशि विकलांग बच्चों हेतु एकीकृत शिक्षा की दूसरी केन्द्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत राज्य सरकार को दिसम्बर 2004 में जारी 5.12 करोड़ रु. की उत्तरवर्ती अनुदान के प्रति समायोजित कर लेनी चाहिए थी। इस प्रकार, मंत्रालय अनुदान की वापसी की मानीटरिंग में विफल रहा जिसका परिणाम 3.94 करोड़ रु. के अवरोधन में हुआ।

प्रत्युत्तर में मंत्रालय ने बताया (जून 2006) कि विकलांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा एक अलग उद्देश्य हेतु एक पृथक योजना थी और अव्ययित अनुदान के अभ्यर्पण की राज्य सरकार की वचनबद्धता के कारण योजनाओं के मध्य निधियों के किसी समायोजन पर विचार नहीं किया था। उसने आगे बताया कि राज्य सरकार से अव्ययित शेष को वापस करने के लिए कहा गया था। मंत्रालय का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि उसने राज्य सरकार के पास शेष अव्ययित राशि को न तो वापस प्राप्त किया और न ही समायोजित किया।

अध्याय XII : खान एवं खनिज मंत्रालय

12.1 किराये के भुगतान पर परिहार्य व्यय

केन्द्रीय लेखा कार्यालय द्वारा सरकारी भवन में आबंटित स्थान पर कब्जा सुनिश्चित करने में मंत्रालय की विफलता का परिणाम निजी आवास हेतु किराए के भुगतान पर 25.15 लाख रु. के परिहार्य व्यय में हुआ।

केन्द्रीय लेखा कार्यालय, भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण (के.ले.का., भा.भू.स.) ब्रेबोर्न रोड, कोलकाता स्थित एक किराये के भवन से परिचालन कर रहा था तथा नवम्बर 1998 से स्वयं द्वारा अधिभोगित 7,044 वर्ग फुट (व.फु.) के किराये के प्रति 1.19 लाख रु. प्रतिमाह का भुगतान कर रहा था। तत्कालीन इस्पात एवं खान मंत्रालय ने महानिदेशक, भा.भू.स. को किराये का भवन खाली करने तथा अपने विभिन्न कार्यालयों को सरकार के स्वामित्व वाले भवनों में स्थानान्तरित करने के निर्देश दिए (जुलाई 1999)। अतः भा.भू.स. अपने स्वयं के भवन में स्थानान्तरित हो गया तथा अपने के.ले.का. को अपने धरित्रि भवन में छठी एवं सातवीं मंजिल पर स्थान आबंटित किया (सितम्बर 2002)।

लेखापरीक्षा जांच से उजागर हुआ (अगस्त 2005) कि के.ले.का. धरित्रि भवन में इस आधार पर स्थानान्तरित नहीं हुआ कि 6,343 वर्ग फुट का आबंटित स्थान अपर्याप्त था तथा भा.भू.स. से वैकल्पिक स्थान प्रदान करने हेतु अनुरोध किया। अतः भा.भू.स. ने, सम्पदा प्रबन्धक, कोलकाता से के.ले.का. को उपयुक्त स्थान आबंटित करने की सिफारिश की (मार्च 2003)। सम्पदा प्रबन्धक से कोई अनुकूल उत्तर प्राप्त न होने पर भा.भू.स. ने के.ले.का. के लिए धरित्रि भवन में स्थान की पहचान करने हेतु एक समिति गठित की। लगभग एक वर्ष पश्चात समिति ने धरित्रि भवन के विभिन्न तलों पर के.ले.का. हेतु 12,343 वर्ग फुट के स्थान की पहचान की (अप्रैल 2005)। तदनुसार, स्थान की उपलब्धता के.ले.का. को उसी महीने सूचित कर दी गई, लेकिन के.ले.का. ने किराये का आवास खाली नहीं किया तथा सितम्बर 2006 तक किराये के भुगतान पर परिहार्य व्यय जारी रखा।

लेखापरीक्षा में यह इंगित किए जाने पर (अगस्त 2005), मंत्रालय ने सितम्बर 2005 में धरित्रि भवन में अवसंरचना के अभाव तथा के.ले.का. स्कंध में चल रहे कम्प्यूटरीकरण के कार्य के कारण कम से कम जून 2006 तक किराये का आवास खाली करने में अपनी असमर्थता प्रकट की।

तदन्तर लेखापरीक्षा जांच के आगे प्रकट हुआ कि जून 2006 तक भी के.ले.का. आबंटित स्थान की अनुपयोगिता के बताए गए आधार पर किराये के आवास से

स्थानान्तरित नहीं हुआ था, यद्यपि भा.भू.स. ने धरित्रि भवन को अधिभोग हेतु उपयुक्त पाया था। कार्रवाई अनियमित थी तथा दण्डमुक्ति के साथ सक्षम प्राधिकारी के आदेशों का उल्लंघन करती है। के.ले.का. के स्थान की अपर्याप्तता से अनुपयोगिता (जब अधिक स्थान अनुमत किया गया) का बदलता रूख दर्शाता है कि प्रस्तुत आधार वास्तविक नहीं है। सरकारी भवनों में स्थानान्तरण हेतु 1999 के अंत में निर्गत, मंत्रालय के निर्देशों, की लगातार अवहेलना की के.लो.का की कार्रवाई सार्वजनिक व्यय में मितव्ययता की उपेक्षा का सूचक भी है।

मामला अगस्त 2006 में मंत्रालय को प्रेषित किया गया था। अपने प्रत्युत्तर (जनवरी 2007) में मंत्रालय ने बताया कि स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क (स्था.क्षे.ने.) का प्रयोग करने वाले, कॉम्पैक्ट एकीकृत अनुप्रयोग, के आरम्भ को ध्यान में रखते हुए एक स्थान, जो सुसंहत नहीं बल्कि विभिन्न तलों पर फैला हुआ था, में कार्य करना व्यवहार्य नहीं पाया गया। इसके अतिरिक्त जैसे ही सम्पदा प्रबन्धक कोलकाता द्वारा उपयुक्त आवास उपलब्ध करवाया जायेगा, के.ले.का को स्थानान्तरित कर दिया जायेगा।

मंत्रालय का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि स्था.क्षे.ने. पर परिचलित अनुप्रयोग किसी एक तल अथवा सुसम्बद्ध जगह तक सीमित नहीं है और केवल के.ले.का. की किराये के परिसर से स्थानान्तरित होने की अनिच्छा की पुष्टि करता है।

इस प्रकार मंत्रालय की के.ले.का. को निजी आवास खाली करने तथा सरकारी भवन में आबंटित स्थान में स्थानान्तरित करने को सुनिश्चित करने में विफलता का परिणाम निजी आवास के किराये के भुगतान पर 25.15¹ लाख रु. के परिहार्य व्यय में हुआ।

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण

केन्द्रीय क्षेत्र, नागपुर

12.2 बकाया देय की अवसूली

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण नागपुर द्वारा बकाया देय की वसूली हेतु तंत्र विकसित करने में विफल रहा जिसका परिणाम 75.74 लाख रु. के राजस्व की हानि तथा 24.81 लाख रु. के ब्याज की परिणामी हानि में हुआ।

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, केन्द्रीय क्षेत्र, नागपुर (भा.भू.स.) केन्द्रीय/राज्य सरकार के विभागों, स्वायत्त निकायों और निजी पक्षों की ओर से अन्वेषणात्मक कार्यों जैसे सर्वेक्षण,

¹ अप्रैल 2005, जिस माह में समिति ने धरित्रि भवन में पर्याप्त स्थान की पहचान की थी, से दिसम्बर 2006 तक परिकलित

जांच, ड्रिलिंग आदि का उत्तरदायित्व लेता है और अपने ग्राहकों से इस कार्य हेतु शुल्क की वसूली करता है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि अपने ग्राहक विभागों से बकाया 87.40 लाख रु. के कुल शुल्क में से मार्च 2006 तक केवल 11.66 लाख रु. की राशि वसूली थी। छः राज्य सरकारों (महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक एवं छत्तीसगढ़) और कुछ संघ सरकार के विभागों के सम्मिलित करके अपने ग्राहक विभागों से निष्पादित कार्य के लिए 75.74 लाख रु. के शेष शुल्क (1997-98 तक की अवधि से सम्बन्धित 9.38 लाख रु. और 1997-98 से 2005-06 तक 66.36 लाख रु.) बकाया थे। विभाग ने कार्य पूर्ण होने पर शुल्कों की तुरन्त वसूली के लिए अग्रिम में से शुल्क की वसूली अथवा विलम्ब आदि के लिए दण्ड प्रभारित करने के लिए अभी तक कोई तंत्र विकसित नहीं किया था। चूककर्ताओं को अनुस्मारक जारी करने की अपेक्षा बकाया देय की वसूली के लिए मंत्रालय स्तर पर कार्रवाई करने में विफलता का परिणाम बकायों के संचित होने और मार्च 2006 तक संघ सरकार की औसत उधार दर पर परिकल्पित 24.81 लाख रु. के ब्याज की हानि में हुआ।

मंत्रालय ने उत्तर दिया (अप्रैल/अक्टूबर 2006) कि अंतिम बिल कार्य के समाप्त होने के उपरान्त ही तैयार किए गए थे और बकाया देय की तुरन्त वसूली के लिए सभी चूककर्ताओं को उच्चतर स्तरों पर आवधिक अनुस्मारक जारी किए गए थे। बताया गया कि कुछ पुराने बिलों की वसूली तब की गई जब उसी परियोजना के लिए कार्य की पुनरावृत्ति हुई। यह भी कहा गया था कि बकाया देय को बट्टे खाते डालने की कोई प्रक्रिया नहीं थी।

मंत्रालय का उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि ज्यादातर ग्राहक सरकारी विभाग थे जिनमें कार्य सौंपने से पूर्व सक्षम प्राधिकारियों का अनुमोदन प्राप्त किया जाता है तथा ऐसी चूकों के लिए कोई कारण नहीं होना चाहिए। देयों की तुरन्त वसूली के लिए एक प्रभावी तंत्र विकसित करने में विफलता के कारण 75.74 लाख रु. के बकाया संचित हुए और 31 मार्च 2006 तक लगभग 24.81 लाख रु. के ब्याज की परिणामी हानि हुई।

मामला मंत्रालय को अगस्त 2006 में प्रेषित किया गया था। उनका उत्तर सितम्बर 2006 तक प्रतीक्षित था।

अध्याय XIII : विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय

वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद

13.1 सेवा कर की अवसूली

प्रायोजित परियोजनाओं के संबंध में अपने ग्राहकों से सेवा कर वसूलने में राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान, गोवा की विफलता का परिणाम 82.70 लाख रु. की हानि में हुआ क्योंकि अंत में कर प्राधिकरणों को सेवा कर का भुगतान इसे अपनी स्वयं की निधियों में से करना पड़ा था।

विभिन्न वैज्ञानिक एवं तकनीकी संस्थान शुल्क/प्रभारों के भुगतान पर उद्योग हेतु अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं हाथ में लेते हैं। वित्त अधिनियम, 2001 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (वि. एवं प्रौ.) परामर्शी सेवाओं को सेवा कर के दायरे में ले आया। तदनुसार, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (वै.औ.अ.प.) ने 8 अगस्त 2001 को अपने दायरे में आने वाली सभी प्रयोगशालाओं को अपने ग्राहकों से परामर्शी प्रभारों के साथ सेवा कर वसूलने तथा इस प्रकार वसूले गए कर को 30 दिनों के भीतर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्राधिकरणों को जमा कराने हेतु निर्देश जारी किए।

लेखापरीक्षा जांच ने उजागर किया कि उपरोक्त प्रावधानों और वै.औ.अ.प. द्वारा जारी परिपत्र के बावजूद वै.औ.अ.प. की एक इकाई, राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान, गोवा (रा.स.वि.सं.) विभिन्न अभिकरणों की ओर से अपने द्वारा हाथ में ली गई प्रायोजित योजनाओं पर सेवा कर वसूलने तथा भुगतान करने में इस आधार पर असफल रहा था कि प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और ज्ञान आधार के उपयोग के वै.औ.अ.प. के दिशानिर्देशों में केवल परामर्श सेवाओं के सम्बन्ध में सेवा कर प्रभारित करना विचारित किया था तथा प्रायोजित परियोजनाओं पर ऐसे कर के भुगतान का उल्लेख नहीं था। रा.स.वि.सं. की कार्रवाई अनियमित थी क्योंकि उनके द्वारा हाथ में ली गई प्रायोजित परियोजनाओं पर सेवा कर की उगाही और उद्ग्रहण से संबंधित यदि कोई संदेह था तो उसे वै.औ.अ.प. से आवश्यक स्पष्टीकरण लेना चाहिए था।

रा.स.वि.सं. की समय पर कर से उद्ग्रहण करने तथा जमा करवाने में विफलता, केन्द्रीय उत्पाद व सीमाशुल्क आयुक्त, पणजी, गोवा द्वारा अगस्त 2004 में, रा.स.वि.सं. को इसके द्वारा हाथ में ली गई सभी परियोजनाओं के सम्बन्ध में ब्याज सहित सेवा कर के भुगतान के निर्देश के साथ नोटिस जारी करने का कारण बनी। नोटिस प्राप्ति के बाद, वै.औ.अ.प. ने जनवरी 2005 में रा.स.वि.सं. को ग्राहकों, जिनके लिए प्रायोजित परियोजनाओं का कार्यान्वयन किया था, से सेवा कर की वसूली का निर्देश दिया जिसके

न होने पर परियोजनाओं, से अवितरित बौद्धिक शुल्क और/या उपलब्ध अव्ययित शेष से राशि अदा की जाए। वै.औ.अ.प. ने आगे यह सलाह दी कि इन विकल्पों का प्रयोग कर चुकने के पश्चात यदि आवश्यक हो तो प्रयोगशाला आरक्षित निधि से सेवा कर का भुगतान किया जाए।

तदनुसार रा.स.वि.सं. ने जुलाई 2001 से अगस्त 2004 की अवधि के दौरान हाथ में ली गई 165 प्रायोजित परियोजनाओं के संबंध में जनवरी 2005 में सेवा कर के प्रति 69.34 लाख रु. तथा जनवरी 2006 में विलम्बित भुगतान के प्रति 17.74 लाख रु. के ब्याज की अदायगी की थी। इसमें से, रा.स.वि.सं. 10 ग्राहकों से केवल 4.38 लाख रु. की वसूली कर सका। अवितरित बौद्धिक शुल्क और परियोजनाओं के अव्ययित शेषों से 27.74 लाख रु. की अदायगी की गई थी, बाकी 54.96 लाख रु. की अदायगी प्रयोगशाला/आरक्षित निधि में से की गई थी।

जनवरी 2006 में रा.स.वि.सं. ने बताया कि प्रायोजित परियोजनाओं को सम्मिलित करते हुए सभी परियोजनाओं पर सेवा कर के भुगतान का नोटिस सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग (सी.शु.के.उ.शु.वि.) द्वारा केवल अगस्त 2004 में ही सूचित किया था। तदनुसार कानूनी राय ली गई जो सी.शु.के.उ.शु.वि. के विचारों से मेल खाती थी। इसलिए प्रयोगशाला को सेवा कर देयों के निपटान हेतु निर्देश जारी किए थे।

रा.स.वि.सं. का उत्तर तर्क संगत नहीं था क्योंकि दिनांक 9 जुलाई 2001 की अधिसूचना स्पष्ट प्रावधान करती थी कि ग्राहक को किसी भी तरीके से दिए गए सभी वैज्ञानिक अथवा तकनीकी परामर्श पर सेवा कर देय है तथा तदनुसार रा.स.वि.सं. ने अगस्त 2001 में सभी प्रयोगशालाओं को सेवा कर के अतिरिक्त संघटक की वसूली करने तथा वसूल किए गए कर को 30 दिन के अन्दर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकरणों के पास जमा करने के निर्देश दिए।

अतः रा.स.वि.सं. की प्रशासनिक चूक विभिन्न अभिकरणों से 64.96 लाख रु. के सेवाकर की अवसूली का कारण बनी। फलस्वरूप, रा.स.वि.सं. को अपनी प्रयोगशाला आरक्षित निधि/अवितरित बौद्धिक शुल्क और अव्ययित परियोजना निधियों से 17.74 लाख रु. के ब्याज सहित 64.96 लाख रु. की राशि का भुगतान करना पड़ा जिसका परिणाम 82.70 लाख रु. की हानि में हुआ।

अध्याय XIV : जहाजरानी, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय

सड़क परिवहन व राजमार्ग विभाग

14.1 पथकर के उद्ग्रहण में विलम्ब के कारण राजस्व हानि

कोई समय सीमा, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग खण्डों एवं पुलों को पूरा करने के उपरान्त पथकर उद्ग्रहण हेतु अधिसूचना जारी करनी चाहिए, विनिर्दिष्ट करने में मंत्रालय की विफलता का परिणाम अधिसूचना जारी करने में विलम्ब में हुआ जिसके कारण 85.90 करोड़ रु. की राजस्व हानि हुई।

राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 तथा उसके अन्तर्गत बनाये गए नियमों के अन्तर्गत केन्द्र सरकार को नियमों में विनिर्दिष्ट राशि से अधिक मूल्य से बनाये गए राष्ट्रीय राजमार्ग खण्डों एवं स्थायी पुलों का उपयोग करने वाले वाहनों से पथकर के उद्ग्रहण का अधिकार है। पथकर की दरें जहाजरानी, सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय (मंत्रालय) द्वारा अधिसूचित तथा केन्द्र सरकार की ओर से संबंधित निष्पादन अभिकरणों जैसे भा.रा.रा.प्रा.¹/राज्य लो.नि.वि. द्वारा विभागीय तौर पर या निजी ठेकेदारों के माध्यम से संग्रहीत की जानी होती है। उपयोगकर्ताओं से उद्ग्रहीत शुल्क निष्पादन अभिकरणों द्वारा सरकार को प्रेषित किया जाता है। राजस्व की समयबद्ध वसूली हेतु यह आवश्यक है कि पथकर के उद्ग्रहण की अधिसूचना राजमार्ग के नए बनाए गए खण्ड को परिवहन के लिए खोलने के साथ ही कर दी जाए।

लेखापरीक्षा ने पाया कि यद्यपि मंत्रालय ने पथकर उद्ग्रहण तथा अधिसूचना जारी करने के लिए नियम बनाए लेकिन वह उस समय-सीमा को विनिर्दिष्ट करने में विफल रहा, जिसके अन्दर परियोजना के पूर्ण होने के पश्चात ऐसी अधिसूचनाएं जारी की जानी चाहिए। इसके कारण लेखापरीक्षा द्वारा नमूना जांच किए गए 28 में से 8 मामलों में राजमार्ग/पुलों को यातायात के लिए खोलने की तिथि से परिकल्पित राजमार्ग शुल्क के उद्ग्रहण हेतु अधिसूचना जारी करने में 5 महीने से 23 महीने के बीच विलम्ब का परिणाम 85.90 करोड़ रु. के कुल राजस्व की हानि में हुआ, जैसा कि अनुबंध-क में दर्शाया गया है।

मंत्रालय ने अपने उत्तर में बताया (नवंबर 2005) कि पथकर शुल्क उद्ग्रहण की अधिसूचना जारी करने में विलम्ब के कारण किसी व्यक्ति विशेष या किसी निजी संस्था को किसी प्रकार का आर्थिक लाभ नहीं हुआ तथा संबंधित व्यक्तियों में से किसी एक की भी ओर से बिना किसी उद्देश्य के, लाभार्थी सिर्फ सामान्य जनता थी। मंत्रालय का

¹ भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (भा.रा.रा.प्रा.)

दावा ग्राह्य नहीं है क्योंकि तत्काल कार्रवाई करने तथा समय से अधिसूचना जारी करने में इसकी विफलता ने सरकार को भारी राजस्व की हानि पहुँचाई।

14.2 हिन्दुस्तान पोत-कारखाना लिमिटेड (हि.पो.का.लि.) को 1.00 करोड़ रु. का अनुचित लाभ

मंत्रालय द्वारा अपने दिशानिर्देशों के उल्लंघन में आर्थिक सहायता जारी करने का परिणाम हि.पो.का.लि. को 1.00 करोड़ रु. के अनुचित लाभ में हुआ।

भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र पोत-कारखानों के पुनरुत्थान और आदेश दर्ज होने की खराब स्थिति को सुधारने के उद्देश्य से, जहाजरानी मंत्रालय (मंत्रालय) ने 'पोत-निर्माण आर्थिक सहायता योजना' की घोषणा की (सितम्बर 1993)। मार्च 2003 में संशोधित किए गए योजना दिशानिर्देश ने उस मूल्य पर 30 प्रतिशत पोत-निर्माण सहायता का प्रावधान किया, जिस पर भारतीय पोत-कारखाना, पोत-निर्माण हेतु खगोलीय निविदा हासिल करेगा। इसके अतिरिक्त, घरेलू आदेश हेतु मूल्य निर्धारण, संबंधित विदेशी मुद्रा के संदर्भ में परिकलित किया जाना था तथा प्रत्येक अवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र पोत-कारखानों को भुगतान, वास्तविक भुगतान की तिथि को प्रचलित विदेशी मुद्रा की बाजार निर्धारित समान दर पर किश्तों में किया जाना था। मंत्रालय को अनुबंध में सहमत चरण भुगतान के अनुसार आर्थिक सहायता जारी करनी थी।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से प्रकट हुआ कि हिन्दुस्तान पोत-कारखाना लिमिटेड (हि.पो.का.लि.) को चेन्नई आधारित एक क्रेता से 35 मिलियन अमेरिकी डालर (प्रत्येक हल की लागत 17,514,000 अमेरिकी डालर) की कुल लागत पर दो माल वाहकों (हल 11115 तथा 11116) के निर्माण के लिए घरेलू आदेश मिले (मई 2004)। क्रेता के साथ हुए समझौते के अनुसार, हि.पो.का.लि. को क्रेता से आठ किश्तों में भुगतान प्राप्त करना था। हल 11115 तथा 11116 हेतु आपूर्ति की अनुबन्धित तिथि क्रमशः अगस्त 2006 और फरवरी 2007 थी।

अप्रैल 2006 तक मंत्रालय ने हि.पो.का.लि. को 38.89 करोड़ रु. की कुल आर्थिक सहायता तीन किश्तों² में जारी की। लेखापरीक्षा ने पाया कि मंत्रालय ने मार्च 2003 के दिशानिर्देशों के उल्लंघन में मंत्रालय ने भुगतान की वास्तविक तिथि पर प्रचलित दर पर परिकलित करने के बजाय समझौते में दर्शाये गए चरण भुगतान की देय तिथियों पर प्रचलित विदेशी मुद्रा दर के आधार पर आर्थिक सहायता जारी की। वास्तविक भुगतानों की तिथियों पर अमेरिकी डालर/रुपये की विदेशी मुद्रा दरें देय तिथियों पर दरों से

² 10 सितम्बर 2005 को 27.70 करोड़ रु. की प्रथम किश्त, 17 जनवरी 2006 को 10.24 करोड़ की दूसरी किश्त तथा 6 अप्रैल 2006 को 0.95 करोड़ की तीसरी किश्त

सामान्यतः कम थी, जिसका परिणाम हि.पो.का.लि.को 1.00 करोड़ रु. के अनुचित लाभ में हुआ।

मामला अगस्त 2006 में मंत्रालय को सूचित कर दिया गया था तथा उनका उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2006)।

अनुबंध-क

(पैराग्राफ 14.1 के सन्दर्भ में)

कर की वसूली की अधिसूचना जारी करने में विलम्ब से राजस्व की हानि

क्र. सं.	राष्ट्रीय राजमार्ग/पुल/मार्ग विस्तार का नाम	विलम्ब की अवधि	राजस्व की हानि (करोड़ रु. में)	विलम्ब का विवरण
1.	रा.रा.-45 से रा.रा.-4 को मिलाने वाला चेन्नई उपमार्ग फेज-I	जुलाई 2002 से मई 2003 (11 महीने)	12.96	भा.रा.रा.प्रा. ने पथकर के उद्ग्रहण हेतु एक अधिसूचना का प्रारूप प्रस्तुत किया (अप्रैल 2002) तथा उपमार्ग को यातायात के लिए खोला (जून 2002)। वास्तविक कर वसूली जून 2003 से शुरू हुई क्योंकि मंत्रालय अधिसूचना के प्रारूप, पथकर की दरों के स्पष्टीकरण, कर-चौक के स्थान के निर्धारण हेतु मुख्यतः भा.रा.रा.प्रा. पर निर्भर था, जिससे अधिसूचना जारी करने में मई 2003 तक का विलम्ब हुआ।
2.	महाराष्ट्र में रा.रा.-9 पर येनेगुर पुल (कि.मी. 307/600 शोलापुर-हैदराबाद खण्ड)	नवम्बर 2000 से सितम्बर 2002 (23 महीने)	4.61	पुल यातायात के लिए अक्टूबर 2000 में खोला गया लेकिन अधिसूचना का प्रारूप लो.नि.वि., महाराष्ट्र से जून 2001 में प्राप्त हुआ। लो.नि.वि. के स्पष्ट (मई 2002) किए जाने तक कि 1.77 करोड़ रु. की लागत से बनाये गए पुल को यातायात के लिए दिशानिर्देशों में संशोधन के जारी किए जाने से पहले खोला जा चुका था (दिसम्बर 2001) मंत्रालय ने कोई कार्रवाई नहीं की। अधिसूचना अक्टूबर 2002 में जारी की गई।
3.	गुजरात में रा.रा.-8 अ पर सामाखियाली गांधीधाम सड़क परियोजना	अगस्त 2002 से फरवरी 2003 (7 महीने)	7.07	पथकर के उगाही हेतु भा.रा.रा.प्रा. ने अप्रैल 2002 में अधिसूचना का प्रारूप प्रस्तुत किया। मंत्रालय ने भा.रा.रा.प्रा. से थोक कीमत सूचकांक पर आधारित संशोधित मसौदे की मांग की तथा मार्च 2003 में अधिसूचना जारी की गई।
4.	रा.रा.-7 के बंगलौर कृष्णागिरी के खंड पर रा.रा. विस्तार (कि.मी. 0.00 से 89.00)	अप्रैल 2004 से अप्रैल 2005 (13 महीने)	29.77	मार्ग विस्तार मार्च 2004 में पूरा किया गया तथा पथकर की उगाही हेतु मसौदा मंत्रालय में दिसम्बर 2003 में प्राप्त हुआ। मंत्रालय ने भा.रा.रा.प्रा. से पथकर की उगाही के लिए तथा पथकर में छूट के लिए स्पष्टीकरण मांगा और अधिसूचना मई 2005 में जारी की गई।
5.	मनोर देहीसार खंड रा.रा.-8 कि.मी. 439 से 502	अक्टूबर 2002 से अप्रैल 2003 (7 महीने)	15.40	लो.नि.वि. महाराष्ट्र ने मई 2001 में कार्य पूरा किया। भा.रा.रा.प्रा. से अधिसूचना का प्रारूप फरवरी 2002 में प्राप्त हुआ। मंत्रालय ने कार्य समाप्ति के स्थिति पर पृष्ठभूमि टिप्पणी हेतु व्यवस्था, उगाही का तरीका, कर-चौक का स्थान निर्धारण आदि तथा संशोधित मसौदे की मांग की। अधिसूचना मई 2003 में जारी की गई।

2007 का प्रतिवेदन संख्या 2

6.	दिल्ली मुम्बई खंड (कि.मी. 113.830 से 213.00) रा.रा.-76	मार्च 2005 से जुलाई 2005 (5 महीने)	4.35	मसौदे से संबंधित मंत्रालय की अप्रैल 2004 में प्राप्त मिसिल खो गई तथा मसौदे की एक प्रति अप्रैल 2005 में प्राप्त की गई तथा कार्य फरवरी 2005 में समाप्त किया गया। अधिसूचना जुलाई 2005 में जारी की गई और कर की उगाही अगस्त 2005 से की गई।
7.	महाराष्ट्र में सतर- खंडाला खंड पर रा.रा.- 4 का कि.मी. 725.00 से कि.मी. 722.00 तक विस्तार	अगस्त 2004 से फरवरी 2005 (7 महीने)	8.54	जुलाई 2004 में प्राप्त मसौदा मंत्रालय द्वारा वित्त शाखा के परामर्श के बिना संशोधित किया गया जो अनुमोदन में विलम्ब/मार्च 2005 तक अधिसूचना के जारी होने का कारण बना।
8.	उ.प्र. में रा.रा.-27 पर नेनी, इलाहाबाद में यमुना नदी पर कंक्रीट- केबल पुल	सितम्बर 2004 से जनवरी 2005 (5 महीने)	3.20	अप्रैल 2004 में प्राप्त मसौदा सितम्बर 2004 में अनुमोदित किया गया तथा पुल का नाम इंगित किए बिना विधि मंत्रालय को जांच हेतु भेजा गया जो बिना जांच के वापस भेज दिया गया। यह फरवरी 2005 तक अधिसूचना के जारी होने में विलम्ब का कारण बना।
		योग	85.90 करोड़	

अध्याय XV : पर्यटन मंत्रालय

15.1 सहायता अनुदान को अधिक जारी करना

राज्य सरकार के परियोजना प्रस्ताव की उचित ढंग से संवीक्षा करने में पर्यटन मंत्रालय की विफलता का परिणाम 2.39 करोड़ रु. अधिक जारी करने में हुआ।

पर्यटन मंत्रालय को आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार से 4 करोड़ रु. की केंद्रीय वित्त सहायता (के.वि.स.) एवं शेष राशि का राज्य सरकार द्वारा प्रबन्ध किए जाने के अनुरोध के साथ 10.25 करोड़ रु. की लागत पर हैदराबाद में पर्यटक सुविधा केन्द्र “बालयोगी पर्यटक भवन” स्थापित करने हेतु एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ (जुलाई 2002)। इसके अतिरिक्त परियोजना के लिए 2.15 एकड़ माप की भूमि का प्रबन्ध राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क किया जाना था। विचारोपरान्त, मंत्रालय ने पर्यटक विकास केन्द्रों हेतु योजना के अंतर्गत प्रस्ताव को मंजूरी दी।

मंत्रालय ने राज्य सरकार द्वारा परियोजना हेतु प्रदान की गई भूमि की 12 करोड़ रु. की कीमत को शामिल कर कुल लागत को 22.25 करोड़ रु. मान कर राज्य सरकार द्वारा मांगी गई 4 करोड़ रु. की सहायता के प्रति 5 करोड़ रु. की केंद्रीय वित्तीय सहायता संस्वीकृत की (मार्च 2003)। राज्य सरकार से कोई नया प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ था। 5 करोड़ रु. की संस्वीकृति इस आधार पर न्यायसंगत ठहराई गई थी कि मंत्रालय पहले ही 2001-02 के दौरान परियोजना के लिए 5 करोड़ रु. की संस्वीकृति के लिए सहमत था।

मंत्रालय ने मार्च 2003 में 1.89 करोड़ रु. की पहली किस्त जारी की तथा मार्च 2004 में राज्य सरकार से प्राप्त 3.09 करोड़ रु. के उपयोग प्रमाणपत्र के प्रति अप्रैल 2004 में 2.50 करोड़ रु. की दूसरी किस्त जारी की। वस्तुतः परियोजना 10.25 करोड़ रु. (भूमि की लागत को निकाल कर) की प्रारम्भिक प्रक्षेपित परियोजना लागत के प्रति 7.20 करोड़ रु. की कम लागत पर सम्पूर्ण हुई (मार्च 2005)। तत्पश्चात्, मंत्रालय ने राज्य सरकार को 0.88 करोड़ रु. की अधिक जारी राशि को किसी अन्य परियोजना में समायोजित करने की सलाह दी क्योंकि परियोजना की 7.20 करोड़ रु. की लागत के लिए 4.39 करोड़ रु. की कुल जारी राशि के प्रति 3.51 करोड़ रु. थी के.वि.स. ग्राह्य मानी गई थी। 0.88 करोड़ रु. की अधिक जारी राशि अक्टूबर 2006 तक न तो वसूल की गई थी और न ही समायोजित की गई थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि पर्यटन केन्द्रों का विकास योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार परियोजना के लिए केवल 2 करोड़ रु. तक की के.वि.स. उपलब्ध कराई जा सकती

थी, जबकि प्रचुर राजस्व सृजन परियोजनाओं की योजनाओं के अंतर्गत, परियोजना लागत का 25 प्रतिशत या 10 करोड़ रु. में से, जो भी कम था, की के.वि.स. ग्राह्य थी। चूंकि मंत्रालय ने परियोजना को पर्यटक विकास केन्द्र योजना के अंतर्गत अनुमोदित किया था इसलिए परियोजना के लिए ग्राह्य के.वि.स. केवल 2 करोड़ रु. तक ही हो सकती थी एवं इसलिए 5 करोड़ रु. की संस्वीकृति (परियोजना की कुल लागत में भूमि की लागत के 12 करोड़ रु. सहित) अनियमित थी। इस प्रकार, मंत्रालय को 0.88 करोड़ रु. जैसा कि उनके द्वारा समानुपातिक आधार पर गणना की गई थी, की बजाय 2.39 करोड़ रु., की वसूली करने की आवश्यकता है।

मंत्रालय ने अपने उत्तर में बताया (मई 2006) कि 0.88 करोड़ रु. की राशि दूसरी परियोजना के प्रति समायोजित की जाएगी। इसने आगे बताया (नवम्बर 2006) कि जब परियोजना पर विचार किया गया था तो पर्यटक केन्द्र के अंतर्गत अनुदान सहायता की अधिकतम सीमा 2 करोड़ रु. थी परन्तु जब परियोजना संस्वीकृत की गई थी तो संशोधित दिशानिर्देश लागू थे जिसके अंतर्गत प्रत्येक लक्ष्य के लिए उच्चतम सीमा 5.00 करोड़ रु. थी।

मंत्रालय के उत्तर (मई 2006 और नवम्बर 2006) तर्कसंगत नहीं हैं क्योंकि यद्यपि परियोजना की संस्वीकृति नई योजना दिशानिर्देश की अधिसूचना के बाद हुई थी किन्तु इसे पुरानी योजना के अंतर्गत संस्वीकृत किया गया था जहां केवल 2 करोड़ रु. तक की के.वि.स. की पात्रता थी। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार द्वारा 4 करोड़ रु. की मांग के प्रति 5 करोड़ रु. की संस्वीकृति अनियमित थी तथा उसकी मांग नहीं की गई थी।

15.2 अविवेकपूर्ण रूप से निधियां जारी करना

प्रस्तावित परियोजना हेतु भूमि की उपलब्धता को सुनिश्चित किए बिना निधियों को अविवेकपूर्ण रूप से जारी करने का परिणाम 31.31 लाख रु. के अपव्यय में हुआ।

पर्यटन मंत्रालय (प.मं.) ने भा.प.वि.नि.¹ के माध्यम से यमुना नदी तट, राष्ट्रीय समाधियों और लाल किला के मध्य पड़ने वाले क्षेत्र में “यमुना नदी तट-वृहद हरित पर्यटन कॉम्प्लेक्स, दिल्ली” के विकास का निर्णय लिया (जनवरी 2004)। मंत्रालय ने कार्य की योजना/रेखाचित्र/ब्लू प्रिंट्स, विस्तृत अनुमानों की तैयारी तथा परियोजना निष्पादन अभिकरण को भूमि हस्तांतरण के लम्बित रहते भा.प.वि.नि. को कार्य शुरू करने के लिए अग्रिम के तौर पर 5.00 करोड़ रु. जारी किए (फरवरी 2004)। संस्वीकृति के अनुसार, भा.प.वि.नि. को संस्वीकृति की तिथि से छः सप्ताह के भीतर भूमि उपलब्धता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था, क्योंकि यह भूमि केन्द्र सरकार की थी। कार्य को 15 फरवरी 2005 तक यानि संस्वीकृति जारी करने की तिथि से एक वर्ष के भीतर पूरा

¹ भारतीय पर्यटन विकास निगम लिमिटेड

करना अपेक्षित था। परियोजना के पूरा होने के बाद, निर्मित परिसम्पत्तियां रखरखाव तथा प्रबन्धन हेतु दि.वि.प्रा.² को सौंपी जानी थी।

भा.प.वि.नि. ने संस्वीकृत कार्य करने की अनुमति हेतु भू.वि.का.³ को निवेदन किया (मार्च 2004) तथा प.मं. को 3 प्रतिशत आकस्मिक व्यय एवं 5 प्रतिशत पारिश्रमिक प्रभार सहित 787.33 लाख रु. की अनुमानित लागत पर एक परियोजना का प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया। किन्तु, भू.वि.का. ने प.मं. को सूचित किया (दिसम्बर 2004) कि भूमि परियोजना हेतु उपलब्ध नहीं थी क्योंकि उक्त भूमि यमुना नदी तट के एकीकृत विकास के उद्देश्य हेतु दि.वि.प्रा. को पहले ही हस्तांतरित कर दी गई थी।

तत्पश्चात, प.मं. ने भा.प.वि.नि.लि. को फरवरी 2004 में जारी 5.00 करोड़ रु. की राशि की वापसी का निर्देश दिया (दिसम्बर 2004)। भा.प.वि.नि. ने 31.31 लाख रु., जिसमें मुख्यतः परियोजना परामर्शदाता एवं सुरक्षा गार्ड को किराए पर रखने तथा भा.प.वि.नि. का आकस्मिक व्यय एवं पारिश्रमिक प्रभार के 28.94 रु. शामिल थे, काटकर 4.69 करोड़ रु. वापस कर दिए (जून 2005)।

संस्वीकृत विस्तृत अनुमानों तथा भा.प.वि.नि. को परियोजना हेतु भूमि सौंपने की प्रत्याशा में 5.00 करोड़ रु. जारी करने का परिणाम पन्द्रह महीने से अधिक के लिए सार्वजनिक निधियों की निष्क्रियता में हुआ।

इस प्रकार, प्रस्तावित परियोजना हेतु भूमि की उपलब्धता को सुनिश्चित किए बिना निधियों की अविवेकपूर्ण संस्वीकृति एवं निर्मुक्ति का परिणाम 31.31 लाख रु. के अपव्यय में हुआ।

मामला जनवरी 2006 में मंत्रालय को प्रेषित किया गया; उनका उत्तर दिसम्बर 2006 तक प्रतीक्षित था।

² दिल्ली विकास प्राधिकरण

³ भूमि विकास कार्यालय

अध्याय XVI : शहरी विकास मंत्रालय

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग

भारत-बांग्लादेश सीमान्त क्षेत्र

16.1 निष्फल व्यय

अकुशल परियोजना प्रबन्धन, एक पुल के निर्माण में 10 वर्षों से अधिक के असामान्य विलम्ब का कारण बना जिसका परिणाम 116.55 लाख रु. के निष्फल व्यय के अतिरिक्त चूककर्ता ठेकेदार पर 10.04 लाख रु. के अर्थदण्ड के अनाधिरोपण में हुआ।

सीमा सुरक्षा बल (सी.सु.ब.) द्वारा भारत-बांग्लादेश सीमा (भा.बां.सी.) पर वर्ष भर गश्त लगाने एवं यातायात की अबाधित गतिविधि की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से शहरी कार्य एवं रोजगार मंत्रालय (मंत्रालय) ने पुनर्बाभा नदी पर भा.बां.सी. सड़क के सीध में इस्पात के एक कैचीनुमा पुल के निर्माण के लिए अगस्त 1994 में प्रशासनिक अनुमति एवं 91.95 लाख रु. के व्यय की संस्वीकृति प्रदान की। के.लो.नि.वि. नियमावली के प्रावधानों के विपरीत अर्थात् संरचनात्मक आरेखण एवं रूपरेखा को अन्तिम रूप देने के पहले, कार्यकारी अभियन्ता, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (के.लो.नि.वि.) ने अप्रैल 1995 में 104.00 लाख रु. की लागत पर, मई 1995 से कार्य प्रारम्भ करने तथा नवम्बर 1996 में उसे पूरा करने के अनुबंध के साथ पुल के निर्माण का काम एक ठेकेदार को प्रदान किया।

लेखापरीक्षा में अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि अगस्त 1995 तक ठेकेदार ने स्थल पर कार्य आरम्भ नहीं किया एवं समापन की निर्धारित तिथि तक मात्र तीन प्रतिशत कार्य ही पूरा कर सका था। कार्यकारी अभियन्ता ने 10.04 लाख रु. अर्थात् संविदा में प्रावधान के अनुसार संविदा राशि का 10 प्रतिशत, अर्थदण्ड लगाने की बजाय संविदा को जारी रखने हेतु नवम्बर 2002 तक समय का अनन्तिम विस्तार प्रदान किया। लेखापरीक्षा संवीक्षा से आगे प्रकट हुआ कि अक्टूबर 2002 तक अर्थात् समापन की निर्धारित तिथि से छः साल से अधिक के बाद, 98 प्रतिशत कार्य पूरा किया गया तथा अगस्त 2001 तक किए गए कार्य के लिए चल खाता भुगतान के रूप में ठेकेदार को 116.55 लाख रु. अदा किए गए थे। उसके बाद से कोई कार्य नहीं हुआ एवं पुल अभी तक अधूरा है।

यद्यपि कार्यकारी अभियन्ता ने बकाया कार्य चूककर्ता ठेकेदार के जोखिम एवं लागत पर पूरा करने हेतु संविदा को निरस्त करने का प्रस्ताव मुख्य अभियन्ता को किया था (अप्रैल

2003), फिर भी सितम्बर 2006 तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। कार्य को निरस्त न करने तथा अर्थदण्ड अधिरोपित न करने के कारण अभिलेखों में नहीं पाए गए।

अतः ठेकेदार द्वारा कार्य पूरा करने में असामान्य विलम्ब, कड़ी निगरानी की कमी एवं खराब संविदा प्रबंधन पुल के अपूर्ण रहने के कारण बने जिसका परिणाम 116.55 लाख रु. के निष्फल व्यय के अतिरिक्त 10.04 लाख रु. के अर्थदण्ड के अनाधिरोपण में हुआ। आंशिक निर्मित पुल, दोनों तटबंधों पर असुरक्षित, टूट-फूट के अध्यधीन पड़ा रहा तथा नवम्बर 2006 तक बारह साल बाद भी इसके निर्माण का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सका।

मामला अगस्त 2006 में मंत्रालय को प्रेषित किया गया; उनका उत्तर दिसम्बर 2006 तक प्राप्त नहीं हुआ था।

16.2 ठेकेदारों को जारी सामग्रियों पर बिक्री कर की अवसूली के कारण अतिरिक्त देयता

निर्माण कार्यों के निष्पादन के लिए ठेकेदारों को जारी विभागीय सामग्रियों पर बिक्री कर की अवसूली का परिणाम बिक्री कर और ब्याज के कारण विभाग को 3.29 करोड़ रु. की अतिरिक्त देयता में हुआ।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (के.लो.नि.वि.) सीमेन्ट और स्टील का प्रापण करता है और ठेकेदारों को लोक कार्य के निष्पादन हेतु जारी करता है। माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार, ठेकेदार को सामग्रियों की आपूर्ति वस्तुओं की बिक्री की तरह है और यह बिक्री कर आकर्षित करता है। केरल में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के लेखों की नमूना जांच में पाया गया कि मण्डलों ने ठेकेदारों से उनके चल लेखा बिल से उनको समय-समय पर तय निर्गम दर पर जारी सामग्रियों की सिर्फ लागत वसूल की तथा सामग्रियों पर देय बिक्री कर वसूल नहीं किया। अनुबन्ध की शर्तें प्रावधान करती हैं कि अनुबन्ध के संदर्भ में सामग्रियों पर बिक्री कर या अन्य कोई कर ठेकेदार द्वारा देय था और इस विषय में सरकार किसी दावे को चुकाने के लिए उत्तरदायी नहीं थी। बिक्री कर की उगाही में चूक को लेखापरीक्षा में मार्च 2001 के प्रारम्भ में इंगित किया गया था लेकिन मंडल ने न तो बिक्री कर सहित निर्गम दर संशोधित की और न ही चल लेखा बिलों से बिक्री कर को अलग से वसूला। बाद में, वाणिज्य कर विभाग, केरल सरकार ने कोजीकोड मंडल के मामले में वर्ष 1997-98 से 2003-04, त्रिशूर मंडल के मामले में 1997-98 से 2000-01 और कोची मंडल के मामले में 1997-98 से 2001-02 के लिए बिक्री कर के निर्धारण को अंतिम रूप दिया (नवम्बर 2005 और मार्च 2006 के मध्य) तथा 1.92 करोड़ रु. के बिक्री कर और विलंबित भुगतान पर 1.37 करोड़ रु. ब्याज का दायित्व निर्धारित किया। इस प्रकार, संविदा में विशिष्ट प्रावधानों के बावजूद

ठेकेदारों को जारी विभागीय सामग्रियों पर बिक्री कर की अवसूली का परिणाम तीन मंडलों द्वारा सम्पादित कार्यों हेतु विभाग पर 3.29 करोड़ रु. के दायित्व में हुआ।

मामला अगस्त 2006 में मंत्रालय को प्रेषित किया गया था; उनका उत्तर अक्टूबर 2006 तक प्रतीक्षित था।

अध्याय XVII : संघ शासित क्षेत्र

अण्डमान व निकोबार प्रशासन

जहाजरानी सेवाएं निदेशालय (ज.से.नि.)

17.1 दो यात्री जलयानों के निर्माण पर निष्फल व्यय

संविदात्मक दायित्वों को पूरा न करने के लिए एक निर्माणकर्ता के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने में प्रशासन की कमी और संविदात्मक प्रावधानों के उल्लंघन में अग्रिम भुगतान जारी करने का परिणाम 13.42 करोड़ रु. के निष्फल व्यय में हुआ। इसके अतिरिक्त अग्रिमों पर ब्याज और निर्णीत हर्जाने के कारण प्रतिष्ठान से 2.35 करोड़ रु. की राशि वसूली योग्य रही।

200 यात्रियों वाले, अतिजीवित जलयान एम.वी. तापी, की प्रतिस्थापना के विचार से अण्डमान व निकोबार प्रशासन (प्रशासन) ने मार्च 1999 में मै. शालीमार वर्क्स (1980) लि. कलकत्ता (निर्माणकर्ता) के साथ प्रति जलयान 7.12 करोड़ रु. की लागत पर, 100 यात्रियों वाले दो जलयानों, एम.वी. रानी लक्ष्मी और एम.वी. रानी चंगा के निर्माण हेतु दो करार किए।

करार के अनुसार जलयानों की सुपुर्दगी, संविदा पर हस्ताक्षर होने या प्रथम भुगतान प्राप्त करने की तिथि, जो भी बाद में हो, के 15 महीनों के भीतर की जानी थी। इसके अतिरिक्त करार में नियत था कि यदि निर्धारित समय के उपरान्त छः माह तक जलयानों की सुपुर्दगी नहीं की गई तो क्रेता करार रद्द करने तथा पूर्तिकर्ता को प्रदान की गई धनराशि की वापसी का दावा करने का हकदार होगा। क्रेता किसी अन्य निर्माणकर्ता(ओं) से जलयान का निर्माण पूरा करने हेतु नया करार कर सकता था। दोनों जलयानों की सुपुर्दगी की तिथि जुलाई 2000 थी।

लेखापरीक्षा जांच से प्रकट हुआ कि प्रतिष्ठान ने फरवरी 2000 तक 50 प्रतिशत आवरण अवस्था (तृतीय अवस्था) तक का कार्य पूर्ण किया था और तकनीकी सलाहकार मै. राष्ट्रीय पोत अभिकल्पना और अनुसंधान केन्द्र (रा.पो.अ.अ.के.) द्वारा जारी किए गए प्रमाणपत्र के आधार पर उसे ज.से.नि. द्वारा 9.26 करोड़ रु. अदा किए गए थे।

यद्यपि जलयानों के निर्माण में तृतीय अवस्था से आगे कोई प्रगति नहीं हुई थी तथा करार के निबंधन एवं शर्तों में किसी तरह के अग्रिम के भुगतान का प्रावधान नहीं था फिर भी प्रशासन ने करार में नियत शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन करते हुए एक विशेष

मामले के तौर पर सितम्बर 2002 तक 4.14 करोड़ रु. की अतिरिक्त राशि और मई 2004 में 3.07 लाख रु. की एक अतिरिक्त राशि जारी की।

इस प्रकार, 13.42 करोड़ रु. की कुल राशि जो कि 14.24 करोड़ रु. के संविदात्मक मूल्य का 94.26 प्रतिशत है, निर्माणकर्ता को अदा की गई जबकि जलयानों का निर्माण कार्य 50 प्रतिशत आवरण स्थिति से आगे नहीं हुआ था। इसके अतिरिक्त जलयान की नियत सुपुर्दगी की तिथि (जुलाई 2000) से छः वर्ष अधिक का समय बीत जाने पर भी कार्य अभी तक पूर्ण नहीं हो पाया था। प्रशासन ने करार को रद्द करने और किसी अन्य प्रतिष्ठान द्वारा शेष कार्य पूर्ण कराने हेतु कोई कार्रवाई नहीं की थी।

इस प्रकार, संविदात्मक दायित्वों को पूरा न करने के लिए एक निर्माणकर्ता के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने में प्रशासन की कमी और संविदात्मक प्रावधानों के उल्लंघन में अग्रिम भुगतान जारी करने का परिणाम जलयानों के निर्माण में अत्यधिक विलंब होने और 13.42 करोड़ रु. के निवेश के निष्फल रहने में हुआ। इसके अतिरिक्त अग्रिमों पर ब्याज और निर्णीत हर्जाने के कारण प्रतिष्ठान से 2.35 करोड़ रु. की राशि वसूली योग्य थी (अप्रैल 2006)।

मामला मंत्रालय को प्रेषित किया था (जुलाई 2006)। उत्तर प्रतीक्षित था (अक्टूबर 2006)।

विद्युत विभाग, दमन

17.2 बकाया देय की अवसूली

उपभोक्ताओं से प्रतिभूति जमा प्राप्त करने, उनके नवीनीकरण करने एवं संशोधित प्रशुल्क के अनुसार उनके मूल्य में वृद्धि करने में विद्युत विभाग की तरफ से विफलता 2.32 करोड़ रु. के बकाया देय के संचयन का कारण बनी।

विद्युत विभाग के राजस्व की सुरक्षा के उद्देश्य से, उपभोक्ताओं के साथ किए गए अनुबंध में तीन माह की औसत खपत के बराबर राशि अथवा निर्धारित न्यूनतम राशि में से जो भी अधिक थी, की प्रतिभूति जमा का भुगतान अधिरोपित करने वाले खण्ड को सम्मिलित करना अपेक्षित था। विद्युत विभाग, दमन ने प्रत्येक माह बकायों की वसूली पर निगरानी तथा चूक की स्थिति में आपूर्ति विच्छेदन के लिए अपने बिलिंग अनुभाग में एक पद्धति तैयार करने हेतु अप्रैल 1979 में निर्देश जारी किए। इस पर भी बल दिया गया कि किसी भी दशा में, प्रतिभूति जमा की राशि से अधिक बकायों के संचयन की अनुमति न दी जाए।

विद्युत विभाग, दमन की लेखापरीक्षा (फरवरी 02/जून 05) में प्रकट हुआ कि फरवरी 1994 तथा मार्च 2006 के बीच में विभिन्न उपभोगताओं से विद्युत प्रभार के कारण

2.32 करोड़ रु. की राशि बकाया थी। चूक करने वाले उपभोक्ताओं की सूची की संवीक्षा से निम्नलिखित प्रकट हुआ:

- (i) 16 उपभोक्ताओं के सम्बन्ध में 1.86 करोड़ रु. की बकाया राशि के प्रति बैंक गारंटी के रूप में केवल 22.43 लाख रु. की प्रतिपूर्ति जमा उपलब्ध थी।
- (ii) छः उपभोक्ताओं के सम्बन्ध में 8.21 लाख रु. की बकाया राशि के प्रति 3.62 लाख रु. की बैंक गारंटी पहले ही समाप्त हो चुकी थी।
- (iii) 23 उपभोक्ताओं के मामले में यद्यपि 0.76 करोड़ रु. की बकाया राशि संचयी हो चुकी थी जबकि बैंक गारंटी या तो ली नहीं गई थी अथवा बैंक से प्राप्त नहीं हुई थी।

अतः उपभोग की गई विद्युत के अनुरूप प्रतिभूति जमा राशि को बढ़ाने तथा पुनर्वैधीकरण या वसूली हेतु बैंक जमानत के अपालन में विभाग की विफलता का परिणाम मार्च 2006 तक 2.32 करोड़ रु. के विद्युत बकाया देय के संचयन में हुआ।

उत्तर में विभाग ने बताया (नवम्बर 2005) की प्रतिभूति जमा का भुगतान अधिरोपित करने वाला खण्ड प्रशुल्क अधिसूचना में समाविष्ट किया गया था तथा उसे विद्युत शक्ति आपूर्ति अनुबंध में समाविष्ट कर लिया जायेगा। विभाग ने यह भी बताया कि विद्युत कनेक्शन जारी करते समय उपभोक्ताओं से मान्य दर पर प्रतिभूति जमा वसूली की गई थी लेकिन प्रशुल्क में बढ़ोतरी के कारण प्रतिभूति में वृद्धि किया जाना बाकी था। विभाग ने आगे जवाब दिया (अक्टूबर 2006) कि लेखापरीक्षा अभ्युक्ति जारी होने के बाद, बैंक जमानत के रूप में प्रतिभूति जमा को बढ़ाकर 1000 रु. से 1500 रु. (जुलाई 2004) अथवा तीन माह की औसत खपत में से जो भी अधिक थी, तथा अक्टूबर 2006 में 2000 रु. कर दी गई थी। नये उपभोक्ताओं तथा वर्तमान बैंक गारंटी की समाप्ति पर वर्तमान उपभोक्ताओं से भी संशोधित दर से प्रतिभूति जमा वसूली जायेगी। चूककर्ताओं के मामलों, स्थायी विच्छेदन के बाद बकाया देय की वसूली हेतु राजस्व वसूली न्यायालय (रा.व.न्या.) को पहले ही प्रेषित किए जा चुके थे।

विभाग का उत्तर पुष्टि करता है कि प्रतिभूति जमा राशि से अधिक बकाया को संचित होने की अनुमति दी गई तथा चूक करने वाले उपभोक्ताओं की विद्युत आपूर्ति विच्छेदन जैसी शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई।

इस प्रकार, विद्युत विभाग की तरफ से सतर्कता में कमी के कारण फरवरी 1994 से मार्च 2006 की अवधि के लिए 2.32 करोड़ रु. की राशि बकाया रही जिसका परिणाम 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की सामान्य दर से परिकलित 0.79 करोड़ रु. ब्याज की हानि में हुआ।

मामला जून 2006 में मंत्रालय को प्रेषित किया गया था; उनका उत्तर सितम्बर 2006 तक प्रतीक्षित था।

अध्याय XVIII : सामान्य


18.1 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही - संक्षिप्त स्थिति

लोक लेखा समिति के बार-बार निर्देशों/सिफारिशों के बावजूद विभिन्न मंत्रालयों और विभागों ने 127 लेखापरीक्षा पैराग्राफों पर कार्यवाही टिप्पणियां लोक लेखा समिति द्वारा निर्धारित समय-सीमा के बीत जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं की।

विभिन्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से सम्बन्धित सभी मामलों के सम्बन्ध में कार्यपालिका के उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लोक लेखा समिति (लो.ले.स.) ने 1982 में यह निर्णय लिया कि मंत्रालयों/विभागों को इन प्रतिवेदनों में अन्तर्विष्ट सभी पैराग्राफों पर उपचारात्मक/शोधक कार्यवाही टिप्पणियां (का.टि.) प्रस्तुत करनी चाहिए।

लो.ले.स. ने निर्धारित समय-सीमा के भीतर का.टि. प्रस्तुत करने में अधिकांश मंत्रालयों/विभागों की ओर से अत्यधिक विलम्ब तथा निरन्तर विफलता को गम्भीरता से लिया। संसद में 22 अप्रैल 1997 को प्रस्तुत किये गये अपने नौवें प्रतिवेदन (ग्यारहवीं लोक सभा) में लो.ले.स. ने यह इच्छा व्यक्त की कि मार्च 1994 तथा 1995 तक समाप्त वर्षों के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से सम्बन्धित लम्बित का.टि. को तीन माह की अवधि के भीतर पूरा करके प्रस्तुत किया जाये तथा सिफारिश की कि मार्च 1996 को समाप्त हुए वर्ष से आगे के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से सम्बन्धित सभी पैराग्राफों पर का.टि. लेखापरीक्षा द्वारा पुनरीक्षण के पश्चात प्रतिवेदनों को संसद के समक्ष प्रस्तुत करने के चार माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।

अक्टूबर 2006 तक भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों, संघ सरकार (सिविल, अन्य स्वायत्त निकाय तथा वैज्ञानिक विभाग) में सम्मिलित पैराग्राफों पर बकाया का.टि. की समीक्षा से पता चला कि मंत्रालयों/विभागों ने 127 पैराग्राफों पर का.टि. प्रस्तुत नहीं की। इसमें मार्च 1995 को समाप्त हुए वर्ष तक के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल किए गए 35 पैराग्राफ शामिल हैं, जैसा कि परिशिष्ट-I में दिखाया गया है। बकाया का.टि. 1988-89 से भी पहले की तिथि से सम्बन्धित थी।



यद्यपि मार्च 1996 से मार्च 2005 को समाप्त वर्षों के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संसद के पटल पर मई 1997 और मार्च 2006 के बीच प्रस्तुत किये गये थे तथा का.टि. प्रस्तुत करने की निर्धारित चार माह की समय-सीमा प्रत्येक मामले में समाप्त हो गई थी, मंत्रालयों/विभागों द्वारा 92 पैराग्राफों पर का.टि. अभी प्रस्तुत की जानी थी, जबकि 132 पैराग्राफों के बारे में अन्तिम का.टि. अक्टूबर 2006 तक प्रतीक्षित थी जैसाकि परिशिष्ट-II में दिखाया गया है।

18.2 विभागीय रूप से प्रबंधित सरकारी उपक्रम - प्रोफार्मा लेखाओं की स्थिति

सामान्य वित्तीय नियमावली के उपबंधों के अनुसार, वाणिज्यिक या अर्धवाणिज्यिक प्रकृति वाले विभागीय रूप से प्रबंधित सरकारी उपक्रमों को ऐसे सहायक लेखे या प्रोफार्मा लेखे अनुरक्षित करने होते हैं जो नियंत्रक-महालेखापरीक्षक से विचार विमर्श के बाद सरकार द्वारा निर्धारित हों।

मार्च 2006 तक वाणिज्यिक या अर्धवाणिज्यिक प्रकृति के 34 सरकारी उपक्रम विभागीय रूप से प्रबंधित थे। इन उपक्रमों के वित्तीय परिणाम प्रति वर्ष प्रोफार्मा लेखाओं द्वारा सुनिश्चित किए जाते हैं, जो सामान्यतः व्यापार लेखे, लाभ-हानि लेखे तथा तुलन पत्र से बनते हैं। जबकि भारत सरकार मुद्रणालय, व्यापार लेखा, लाभ एवं हानि लेखा तथा तुलन-पत्र के बिना प्रोफार्मा लेखे तैयार करता है, प्रकाशन विभाग केवल भण्डार लेखे तैयार करता है।

प्रत्येक मंत्रालय/विभाग के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि उनके नियंत्रण वाले उपक्रमों के लेखापरीक्षित लेखे वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के नौ महीने के अन्दर तैयार कर लिए जायें। विभागीय रूप से प्रबंधित सरकारी उपक्रमों के अद्यतन उपलब्ध लेखाओं के आधार पर तैयार संक्षिप्त वित्तीय परिणामों की स्थिति परिशिष्ट-III में दर्शायी गई है।

परिशिष्ट से यह देखा जाएगा कि 29 उपक्रमों के संबंध में एक वर्ष से लेकर तैंतीस वर्ष तक की अवधि तक के प्रोफार्मा लेखे बकाया थे, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

अवधि जब से बकाया पड़े थे		
वर्षों की संख्या	अवधि	उपक्रमों की संख्या
1-5	2001-02 से 2005-2006	23
6-11	1995-96 से 2000-2001	5
33-34	1973-74	1
योग		29

जहाजरानी सेवाएं, अण्डमान निकोबार, द्वीपसमूह के मामले में 1973-74 से प्रोफार्मा लेखे बकाया थे। प्रोफार्मा लेखाओं के अभाव में इन संगठनों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सेवाओं की लागत, जिनकी वाणिज्यिक आधार पर प्रबन्धित किए जाने की अपेक्षा है; का पता नहीं लगाया जा सका। सामान्य निष्पादक संकेतकों जैसे निवेश पर प्राप्ति, लाभकारिता आदि के क्रियाकलापों को परिकलित करना भी संभव नहीं था।

विभागीय रूप से प्रबंधित उपक्रम के लेखाओं के संकलन में विलम्ब को (i) कृषि, (ii) रक्षा (iii) पर्यावरण एवं वन (iv) वित्त (v) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (vi) सूचना एवं प्रसारण (vii) विद्युत (viii) जहाज रानी, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग (ix) शहरी विकास एवं गरीबी उन्मूलन मंत्रालयों के सचिवों को दिसम्बर 2006 में सूचित कर दिया गया था। उनके उत्तर/टिप्पणियां दिसम्बर 2006 तक प्रतीक्षित थी।

18.3 बट्टेखाते डाली गई/छोड़ी गई हानियां तथा गैर-वसूली योग्य देय राशि

वर्ष 2005-06 के दौरान बट्टे खाते में डाली गई/छोड़ी गई हानियों तथा वसूल न किये जाने वाले प्राप्यों, शुल्कों, अग्रिमों की विवरणी इस प्रतिवेदन के परिशिष्ट-IV में दी गई हैं। परिशिष्ट से यह देखा जा सकेगा कि वर्ष 2005-06 के दौरान 360 मामलों में मुख्यतः प्रणाली की विफलता के कारण 95.41 करोड़ रु. की हानियों, 1.72 करोड़ रु. सरकारी कर्मियों की व्यक्तिगत लापरवाही/जालसाजी आदि के कारण, तथा अन्य कारणों के लिए 5.18 करोड़ रु. बट्टेखाते में डाले गये थे। वर्ष के दौरान, 588 मामलों में कुल 15.27 करोड़ रु. की वसूली तथा अनुग्रही अदायगी को छोड़ा गया था।

18.4 ड्राफ्ट पैराग्राफों के विषय में मंत्रालयों/विभागों के प्रत्युत्तर

लोक लेखा समिति के कहने पर जारी किए गए वित्त मंत्रालय के निर्देशों के बावजूद, मंत्रालयों/विभागों के सचिवों ने इस प्रतिवेदन में शामिल 50 में से 24 ड्राफ्ट पैराग्राफों के उत्तर नहीं भेजे।

लो.ले.स. की सिफारिश पर, वित्त मंत्रालय ने भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में शामिल करने के लिए प्रस्तावित ड्राफ्ट पैराग्राफों के विषय में छः सप्ताह के अन्दर अपना उत्तर भेजने के लिए जून 1960 में सभी मंत्रालयों को निर्देश जारी किये। ड्राफ्ट पैराग्राफ सदैव संबंधित लेखापरीक्षा कार्यालयों द्वारा अर्धशासकीय पत्रों के माध्यम से संबंधित मंत्रालयों/विभागों के सचिवों को लेखापरीक्षा के परिणामों के प्रति उनका ध्यान आकर्षित करते हुए तथा छः सप्ताह के अन्दर उनका उत्तर भेजने का अनुरोध करते हुए भेजे जाते हैं। मंत्रालयों से उत्तर प्राप्त न होने के तथ्य लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल ऐसे प्रत्येक पैराग्राफ के अन्त में निरपवाद रूप से दर्शाए जाते हैं।

मार्च 2006 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के इस प्रतिवेदन में शामिल 50 ड्राफ्ट पैराग्राफ अप्रैल 2006-दिसम्बर 2006 की अवधि में अर्धशासकीय पत्रों के माध्यम से संबंधित मंत्रालयों/विभागों के सचिवों को भेजे गए थे।

2007 का प्रतिवेदन संख्या 2

मंत्रालयों/विभागों के सचिवों ने लोक लेखा समिति के कहने पर जारी किए गए वित्त मंत्रालय के उपर्युक्त अनुदेशों के अनुपालन में 24 ड्राफ्ट पैराग्राफों के उत्तर नहीं भेजे जैसा कि परिशिष्ट-V में दर्शाया गया है। परिणामतः ये 24 पैराग्राफ, मंत्रालयों/विभागों के सचिवों के उत्तर के बिना ही प्रतिवेदन में शामिल कर लिए गए हैं।


नई दिल्ली
दिनांक 07 मार्च, 2007



(डा. अं.कु. बनर्जी)
महानिदेशक लेखापरीक्षा
केन्द्रीय राजस्व

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक 13 मार्च, 2007



(विजयेन्द्र नाथ कौल)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट-I
(पैराग्राफ. 18.1 के सन्दर्भ में)

मार्च 1995 को समाप्त हुए वर्ष के लिए अक्टूबर 2006 तक विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से प्रतीक्षित कार्रवाई टिप्पणियों की संक्षिप्त स्थिति

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम	मार्च को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन	सिविल			अन्य स्वायत्त निकाय			वैज्ञानिक विभाग			योग		
			प्राप्य	पूर्णतया प्राप्त नहीं	पत्राचाराधीन	प्राप्य	पूर्णतया प्राप्त नहीं	पत्राचाराधीन	प्राप्य	पूर्णतया प्राप्त नहीं	पत्राचाराधीन	प्राप्य	पूर्णतया प्राप्त नहीं	पत्राचाराधीन
1.	वित्त (राजस्व विभाग)	1994	2	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2
2.	सूचना एवं प्रसारण	1995	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1
3.	शहरी विकास एवं गरीबी उन्मूलन	1989	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-
		1990	-	-	-	5	5	-	-	-	-	5	5	-
		1991	-	-	-	8	8	-	-	-	-	8	8	-
		1992	-	-	-	9	9	-	-	-	-	9	9	-
		1993	-	-	-	12	12	-	-	-	-	12	12	-
4.	युवा मामले एवं खेलकूद	1994	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1
	योग		3	-	3	36	35	1	-	-	-	39	35	4

परिशिष्ट-II

(पैराग्राफ 18.1 के सन्दर्भ में)

मार्च 2005 को समाप्त हुए वर्ष के लिए अक्टूबर 2006 तक विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से प्रतीक्षित कार्रवाई टिप्पणियों की संक्षिप्त स्थिति

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम	मार्च को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन	सिविल			अन्य स्वायत्त निकाय			वैज्ञानिक विभाग			योग		
			प्राप्य	पूर्णतया प्राप्त नहीं	पत्राचाराधीन	प्राप्य	पूर्णतया प्राप्त नहीं	पत्राचाराधीन	प्राप्य	पूर्णतया प्राप्त नहीं	पत्राचाराधीन	प्राप्य	पूर्णतया प्राप्त नहीं	पत्राचाराधीन
1.	दूरसंचार विभाग	2003	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-
		2005	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-
2.	वाणिज्य एवं उद्योग	2004	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1
		2005	3	3	-	-	-	-	-	-	-	3	3	-
3.	वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग (वै.औ.अ.वि.)	2004	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-
		2005	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	-
4.	संस्कृति	1998	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1
		2001	-	-	-	2	-	2	-	-	-	2	-	2
		2003	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
		2004	1	-	1	2	2	-	-	-	-	3	2	1
		2005	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम	माच को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन	सिविल			अन्य स्वायत्त निकाय			वैज्ञानिक विभाग			योग		
			प्राप्य	पूर्णतया प्राप्त नहीं	पत्राचाराधीन	प्राप्य	पूर्णतया प्राप्त नहीं	पत्राचाराधीन	प्राप्य	पूर्णतया प्राप्त नहीं	पत्राचाराधीन	प्राप्य	पूर्णतया प्राप्त नहीं	पत्राचाराधीन
5.	विदेश मामले	1999	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1
		2000	4	-	4	-	-	-	-	-	-	4	-	4
		2001	3	-	3	-	-	-	-	-	-	3	-	3
		2002	4	-	4	-	-	-	-	-	-	4	-	4
		2003	11	3	8	-	-	-	-	-	-	11	3	8
		2004	11	5	6	1	-	1	-	-	-	12	5	7
		2005	5	2	3	-	-	-	-	-	-	5	2	3
6.	वित्त	1998	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1
		1999	2	1	1	-	-	-	-	-	-	2	1	1
		2000	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1
		2002	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
		2003	4	1	3	1	-	1	-	-	-	5	1	4
		2004	1	-	1	2	-	2	-	-	-	3	-	3
		2005	1	-	1	1	-	1	-	-	-	2	-	2

2007 का प्रतिवेदन सं. 2

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम	मार्च को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन	सिविल			अन्य स्वायत्त निकाय			वैज्ञानिक विभाग			योग		
			प्राप्य	पूर्णतया प्राप्त नहीं	पत्राचाराधीन	प्राप्य	पूर्णतया प्राप्त नहीं	पत्राचाराधीन	प्राप्य	पूर्णतया प्राप्त नहीं	पत्राचाराधीन	प्राप्य	पूर्णतया प्राप्त नहीं	पत्राचाराधीन
7.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1997	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1
		1999	1	-	1	1	-	1	-	-	-	2	-	2
		2000	3	1	2	-	-	-	-	-	-	3	1	2
		2001	3	1	2	-	-	-	-	-	-	3	1	2
		2002	1	-	1	2	1	1	-	-	-	3	1	2
		2003	2	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2
		2004	5	1	4	3	-	3	-	-	-	8	1	7
		2005	5	5	-	2	2	-	-	-	-	7	7	-
8.	भारी उद्योग एवं लोक उपक्रम	2005	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	
9.	गृह मामले	2004	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	
		2005	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	
10.	मानव संसाधन विकास	1999	2	-	2	-	-	-	-	-	2	-	2	
		2000	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	
		2001	1	-	1	3	-	3	-	-	4	-	4	
		2002	-	-	-	3	3	-	-	-	3	3	-	
		2003	4	1	3	2	-	2	-	-	6	1	5	
		2004	3	-	3	7	2	5	-	-	10	2	8	
		2005	1	1	-	7	4	3	-	-	8	5	3	

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम	मार्च को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन	सिविल			अन्य स्वायत्त निकाय			वैज्ञानिक विभाग			योग		
			प्राप्य	पूर्णतया प्राप्त नहीं	पत्राचाराधीन	प्राप्य	पूर्णतया प्राप्त नहीं	पत्राचाराधीन	प्राप्य	पूर्णतया प्राप्त नहीं	पत्राचाराधीन	प्राप्य	पूर्णतया प्राप्त नहीं	पत्राचाराधीन
	महिला एवं बाल विकास विभाग	2002	1	-	1	1	-	1	-	-	-	2	-	2
11.	सूचना एवं प्रसारण	1997	2	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2
		1998	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1
		2000	3	-	3	-	-	-	-	-	-	3	-	3
		2001	3	-	3	-	-	-	-	-	-	3	-	3
		2002	-	-	-	3	-	3	-	-	-	3	-	3
		2003	1	-	1	4	-	4	-	-	-	5	-	5
		2004	1	-	1	4	2	2	-	-	-	5	2	3
		2005	1	-	1	5	4	1	-	-	-	6	4	2
12.	श्रम	2000	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1
		2001	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1
		2004	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1
		2005	-	-	-	4	3	1	-	-	-	4	3	1
13.	विधि एवं न्याय	2003	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
14.	योजना आयोग	2005	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-

2007 का प्रतिवेदन सं. 2

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम	मार्च को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन	सिविल			अन्य स्वायत्त निकाय			वैज्ञानिक विभाग			योग		
			प्राप्य	पूर्णतया प्राप्त नहीं	पत्राचाराधीन	प्राप्य	पूर्णतया प्राप्त नहीं	पत्राचाराधीन	प्राप्य	पूर्णतया प्राप्त नहीं	पत्राचाराधीन	प्राप्य	पूर्णतया प्राप्त नहीं	पत्राचाराधीन
15.	विद्युत	2005	2	1	1	-	-	-	-	-	-	2	1	1
16.	जहाजरानी	2004	1	1	-	1	1	-	-	-	-	2	2	-
		2005	1	1	-	10	4	6	-	-	-	11	5	6
17.	लघु उद्योग एवं कृषि ग्रामीण उद्योग	2004	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1
18.	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	1998	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1
		2001	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1
		2003	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1
		2004	1	1	-	1	1	-	-	-	-	2	2	-
19.	सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन	1997	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1
		2000	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1
20.	इस्पात	2003	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
21.	कपड़ा	2003	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
		2005	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
22.	पर्यटन	2004	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
		2005	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-
23.	शहरी विकास	2002	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम	मार्च को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन	सिविल			अन्य स्वायत्त निकाय			वैज्ञानिक विभाग			योग		
			प्राप्य	पूर्णतया प्राप्त नहीं	पत्राचाराधीन	प्राप्य	पूर्णतया प्राप्त नहीं	पत्राचाराधीन	प्राप्य	पूर्णतया प्राप्त नहीं	पत्राचाराधीन	प्राप्य	पूर्णतया प्राप्त नहीं	पत्राचाराधीन
		2003	1	1							1	1		
		2004	2	2	-	1	1	-	-	-	3	3	-	
		2005	3	3	-	4	4	-	-	-	7	7	-	
24.	युवा मामले एवं खेलकूद	2003	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	
		2004	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	
		2005	-	-	-	4	4	-	-	-	4	4	-	
	योग		131	47	84	88	40	48	5	5	224	92	132	

परिशिष्ट-III
(पैराग्राफ 18.2 के सन्दर्भ में)
विभागीय रूप से प्रबंधित सरकारी उपक्रमों के संक्षिप्त वित्तीय परिणाम

(लाख रु. में)

क्र. सं.	उपक्रम का नाम	लेखाओं की अवधि	सरकारी पूंजी	निरूद्ध परिसम्पत्तियां (निवल)	आज की तारीख तक मूल्यहास	लाम (+) हानि (-)	सरकारी पूंजी पर ब्याज	कुल प्रतिफल	मध्य पूंजी से कुल प्रतिफल की प्रतिशतता	अभ्युक्तियां
कृषि मंत्रालय										
1.	दिल्ली दुग्ध योजना	2005-06	3622.88	23399.07	2274.73	(-)1222.77	173.87	(-) 1048.30	--	परिसम्पत्तियों के सकल ब्लॉक में वृद्धि 22343.40 लाख रु. से प्राप्त की गई भूमि के मूल्य में वृद्धि के कारण थी।
2.	बर्फ और प्रशीतन संयंत्र, कोचीन	2004-05	239.95	1226.39	82.58	81.89	28.79	44.22	--	
रक्षा मंत्रालय										
3.	केन्टीन भण्डार विभाग	2004-05	48.00	3369.56	2628.79	6421.81	9054.49	15476.30	21.19	
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय										
4.	पर्यावरण तथा वन विभाग, अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह	1999-00	1443.83	162.11	1281.72	(-) 993.99	*2147.31	(-)993.99	(-)4.20	*प्रोफार्मा लेखे के अनुसार सरकारी पूंजी पर ब्याज 2147.31 लाख रु. है लेकिन सही आंकड़े, यदि ब्याज के परिकलन के लिए सही प्रकृति अपनाई जाती तो 1164.45 लाख रु. होते।
वित्त मंत्रालय										
5.	बैंक नोट प्रैस, देवास	2004-05	28901.11	11958.13	16942.98	1621.08	2043.22	3664.30	12.67	
6.	करंसी नोट प्रैस, नासिक रोड	2004-05	47357.01	26322.97	21123.94	(+)691.94	3010.38	8326.58	26.50	
7.	सरकारी क्षारोद कार्यशाला, गाजीपुर	2003-04	508.24	404.89	99.15	76.79	164.79	241.58	15.04	1606.12*

क्र. सं.	उपक्रम का नाम	लेखाओं की अवधि	सरकारी पूंजी	निरुद्ध परिसम्पत्तियां (निवल)	आज की तारीख तक मूल्यहास	लाभ (+) हानि (-)	सरकारी पूंजी पर ब्याज	कुल प्रतिफल	मध्य पूंजी से कुल प्रतिफल की प्रतिशतता	अभ्युक्तियाँ
8.	सरकारी क्षारोद कार्यशाला, नीमच	2003-04	1412.42	1020.92	383.18	2921.36	4.19	2925.55	7168.71	40.81*
9.	सरकारी अफीम कारखाना, गाजीपुर	2003-04	366.44	217.47	165.96	1305.72	1341.23	2646.95	20.25	13072.40*
10.	सरकारी अफीम कारखाना, नीमच	2003-04	53234.00	404.99	124.89	7008.51	892.91	7901.42	90.79	8702.84*
11.	भारत सरकार टकसाल, हैदराबाद	2004-05	67038.39	21455.80	3715.39	(-7430.64)	7910.53			
12.	भारत सरकार टकसाल, कोलकाता	2002-03	479.46	5735.44	1127.60	(+)5545.55	58.21	5603.76	-	-
13.	भारत सरकार टकसाल, मुंबई	1999-2000	41415.96	4718.48	1637.18	10001.12	5269.22	36.87	शून्य	
14.	भारतीय सुरक्षा मुद्रणालय, नासिक रोड़	2004-05	80352.15	11641.97	5196.97	(-)3684.12	5291.47	1607.35	2.91	
15.	भारत सरकार टकसाल, नोएडा	1998-99	2629.24	1905.20	724.04	3809.92	211.98	3821.91	145.36	
16.	सिक्वोरिटी पेपर मिल, होशंगाबाद	2002-03	9448.39	4034.83	3461.09	(+)1582.94	Nil	1582.94	-	
17.	सिक्वोरिटी मुद्रणालय, हैदराबाद	2003-04	2325.00	814.00	1400.00	1.00	821.00	822.00	-	-
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय										
18.	केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली	2004-05	906.87	251.03	99.81	(+)124.24	137.04	549.86	38.44	
19.	चिकित्सा भण्डार डिपो	2001-02	3224.27	87.41	26.62	(-) 473.38	46.97	147.73	--	आंकड़ों में चि.भ.डि. चेन्नई और गुवाहटी के परिणाम शामिल नहीं हैं क्योंकि ये सिर्फ वर्ष 2000-01 के लिए ही उपलब्ध थे।
20.	केन्द्रीय मनोचिकित्सा संस्थान का वनस्पति उद्यान, कनके, रांची	2005-06	0.31	0.23	0.00143	0.204	0.125	0.390	84.59	

*वर्ष की औसत पूंजी

2007 का प्रतिवेदन सं. 2

क्र. सं.	उपक्रम का नाम	लेखाओं की अवधि	सरकारी पूंजी	निरूद्ध परिसम्पत्तियां (निवल)	आज की तारीख तक मूल्यहास	लाभ (+) हानि (-)	सरकारी पूंजी पर ब्याज	कुल प्रतिफल	मध्य पूंजी से कुल प्रतिफल की प्रतिशतता	अभ्युक्तियाँ
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय										
21.	फिल्म प्रभाग, मुंबई	1994-95	1641.87	1602.94	801.41	(-) 1418.89	167.87	-	-	हानि इस वर्ष की हानि को दर्शाती है।
विद्युत मंत्रालय										
22.	बदरपुर शर्मल पॉवर स्टेशन, नई दिल्ली	2005-06	42673	10445	35625	(+)3100	863	3963	9.29	
23.	विद्युत विभाग, अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	2001-02	17926.41	15464.33	2015.55	(-) 55167.01	1718.91	(-) 8694.07	(-) 61.40	
24.	विद्युत विभाग, लक्षद्वीप	2004-05	4228.68	2654.59	1574.09	(-)2066.76	343.26	(-)1723.50	--	
25.	परमाणु ऊर्जा विभाग, नामकीय इंधन परिसर, हैदराबाद	2004-05	41494.48	25733.13	15761.36	15053.47	5685.11	20738.58	48.94	
26.	परमाणु उर्जा विभाग, उच्च जल पूल प्रबंधन, मुंबई	2003-04	703617.81	0.00	0.00	(-) 39296.94	72191.19	32894.25	4.68	आंकड़े अनन्तिम हैं।
जहाजरानी, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय										
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग विभाग										
27.	चण्डीगढ़ परिवहन उपक्रम	2004-05	7994.47	5128.94	745.21	(-) 721.55	334.24	(-) 387.31	(-) 3.84	
28.	राज्य परिवहन सेवा, अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह, पोर्ट ब्लेयर	2004-05	1910.21	532.19	1084.46	(-)18653.37	1825.09	(-)16828.28	(-) 111.94	
जहाजरानी विभाग										
29.	नौका सेवा, अण्डमान	2002-03	26092.38	3373.67	5486.23	(-) 32.74	(-) 2553.32	(-) 2586.06	(-) 9.91	
30.	प्रकाशस्तम्भ तथा दीपपोत विभाग	2003-04	14619.00	15288.00	6051.00	(+)4503.00	340.00	4843.00	66	

क्र. सं.	उपक्रम का नाम	लेखाओं की अवधि	सरकारी पूंजी	निरुद्ध परिसम्पत्तिया (निवल)	आज की तारीख तक मूल्यहास	लाभ (+) हानि (-)	सरकारी पूंजी पर व्याज	कुल प्रतिफल	मध्य पूंजी से कुल प्रतिफल की प्रतिशतता	अभ्युक्तियाँ
31.	समुद्री विभाग (नौकाघाट) अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह	2003-04	2884.55	205.10	61.60	(-) 4166.22	(-)289.41	(-) 4455.63	(-) 154.47	
32.	जहाज सेवाएं, अंडमान और निकोबार, द्वीपसमूह	1972-73	43.50	56.80	7.89	(-) 80.15	4.47	(-) 75.68	-	1972-73 से 1991-92 की अवधि हेतु लेखे प्राप्त हुए थे परन्तु लेखापरीक्षा द्वारा उन्हें प्रामाणिकता हेतु विभाग को वापिस कर दिया था।
शहरी विकास मंत्रालय										
33.	प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली	2000-01 से आगे	-	-	-	-	-	-	-	प्रकाशन विभाग प्रोफोर्मा लेखे के बजाए-स्टोर लेखे बनाता है जिनकी 1999-2000 तक लेखापरीक्षा की जा चुकी है। मंत्रालय ने नवम्बर 2001 में लेखा पद्धति को वाणिज्यिक पद्धति में बदलने का निर्णय लिया था। विभाग द्वारा अभी तक पद्धति बदली नहीं गई थी।
34.	भारत सरकार मुद्रणालय	2004-05	1191.63	-	60.44	-	55.99	-	-	भारत सरकार के मुद्रणालय "बिना लाभ एवं हानि" के आधार पर कार्य करते हैं।

परिशिष्ट - IV

(पैराग्राफ 18.3 के सन्दर्भ में)

2005-2006 के दौरान बट्टे खाते में डाली गई /छोड़ी गई हानियों तथा अवसूली योग्य राशियों का विवरण

(लाख रुपये में)

मंत्रालय/विभाग का नाम	बट्टे खातों में डाली गई एवं अवसूली योग्य राशियों का विवरण									
	प्रणाली की असफलता		उपेक्षा/घोखाघड़ी आदि		अन्य कारण		वसूली छोड़ना		अनुग्रही राशि का भुगतान	
	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि
कृषि	-	-	-	-	10	0.98	-	-	-	-
परमाणु ऊर्जा	-	-	-	-	30	9.33	-	-	-	-
केन्द्रीय उत्पाद	-	-	-	-	4	1.24	-	-	1	5.00
सीमा शुल्क	8	1.01	-	-	1	0.63	15	13.80	-	-
रक्षा	-	-	-	-	2	162.79	-	-	-	-
विदेश मामले	-	-	1	3.35	-	-	-	-	-	-
वित्त (आर्थिक मामले एवं राजस्व)	-	-	-	-	3	0.56	-	-	71	353.34*
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	29	9499.00	7	31.00	17	210.56*	-	-	-	-
गृह	-	-	-	-	1	0.55	-	-	-	-
सूचना प्रौद्योगिकी	-	-	-	-	2	4.69*	-	-	-	-
लोकसभा सचिवालय	1	33.00	-	-	2	0.07	-	-	-	-
खान	-	-	-	-	2	2.55	-	-	-	-
विद्युत	-	-	-	-	-	-	1	0.04	-	-
योजना	-	-	-	-	1	0.09	-	-	-	-
डाक एवं दूरसंचार	-	-	128	127.55	29	2.87	3	0.19	47	0.11
अन्तरिक्ष	-	-	-	-	9	0.67	-	-	-	-
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	-	-	-	-	8	7.84	1	0.07	-	-
जहाजरानी, सड़क परिवहन और राजमार्ग	16	7.88	14	9.65	34	111.83	-	-	61	3.05*
शहरी विकास	-	-	-	-	-	-	-	-	387*	1151.57*
जल संसाधन	-	-	-	-	1	0.40	1	0.06	-	-
योग	54	9540.89	150	171.55	156	517.65	21	14.16	567	1513.07

* भारतीय विदेश केन्द्र के कर्मचारियों को भुगतान जिन्होंने स्व.से.यो. का चुनाव किया था

* पुस्तकीय मूल्य - 2,99,950 रु

* सी.सी.ए. मद के 3,36,074 रु की राशि भी सम्मिलित है।

* प्रत्येक को 5,000 रु की दर पर ज.ने.प.न्या. के बाद प्रभावित कर्मचारियों को वित्तीय सहायता।

* सी.सी.ए., यू.डी. तथा एच.यू.पी.ए. के लेखाकरण नियंत्रण के अंतर्गत वि.ले.अ. के द्वारा किया गया विशेष स्व.से.नि. में से आधिक्य घोषित किए गए केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को उत्पन्न अनुग्रहपूर्वक भुगतान।

परिशिष्ट - V

(पैराग्राफ 18.4 के सन्दर्भ में)

ड्राफ्ट पैराग्राफों के विषय में मंत्रालयों/विभागों के प्रत्युत्तर

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग	पैराग्राफों की कुल संख्या	पैराग्राफों की संख्या जिनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के पैराग्राफों का संदर्भ
1.	कृषि संबंधी	01	--	--
2.	संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी	09	06	2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.9
3.	कम्पनी कार्य	01	--	--
4.	संस्कृति	02	01	4.2
5.	भू-विज्ञान मंत्रालय	01	01	5.1
6.	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय	01	--	--
7.	विदेश मामले	13	07	7.1, 7.3, 7.6, 7.9, 7.12, 7.13, 7.14
8.	वित्त	02	01	8.1
9.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	03	--	--
10.	गृह	02	--	--
11.	मानव संसाधन विकास	04	01	11.2
12.	खान एवं खनिज	02	01	12.2
13.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	01	--	14.2
14.	जहाजरानी, सड़क परिवहन और राजमार्ग	02	01	14.2
15.	पर्यटन	02	01	15.2
16.	शहरी विकास	02	02	16.1 तथा 16.2
17.	संघ शासित क्षेत्र	02	02	17.1 तथा 17.2
	योग	50	24	

